मध्यप्रदेश पंचायिका

अगस्त 2012

संपादकीय परिवार

विश्वमोहन उपाध्याय

राकेश गौतम

समन्वय

सुरेश तिवारी

आकल्पन

आशा रोमन

हेमंत वायंगणकर

वेबसाइट

आत्माराम शर्मा

कम्पोजिंग

अल्पना राठौर

एक प्रति : बीस रुपये

वार्षिक : दो सौ रुपये

सम्पर्क

मध्यप्रदेश पंचायिका

मध्यप्रदेश माध्यम

40, प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल

भोपाल-462011

फोन : 2764742, 2551330

फैक्स : 0755-4228409

कृपया वार्षिक ग्राहक बनने के लिए अपने ड्राफ्ट/मनीआर्डर मध्यप्रदेश माध्यम, भोपाल के नाम से भेजें।

मध्यप्रदेश पंचायिका में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं, इसके लिए सम्पादक की सहमति अनिवार्य नहीं है।

इस अंक में

मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित वकील पंचायत का शुभारम्भ करते हुये मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान

विगत दिनों मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद के नवचयनित संविदा उपयंत्रियों की प्रशिक्षण कार्यशाला को संबोधित करते हुए पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव

खास खबरें : चुनाव सुधार पर राष्ट्रव्यापी बहस होना चाहिये 03

महत्वपूर्ण खबरें : हितग्राहीमूलक योजनाएं ऑन-लाइन हों 10

पुस्तक चर्चा : 'अभियान' की बारीकियों को समझाती पुस्तिका 12

आवरण कथा : समावेशी विकास की बुनियाद हैं समीक्षाएँ 13

दृश्य-परिदृश्य : मुख्यमंत्री ने किया विन्टेज भोपाल का विमोचन 17

विभागीय गतिविधियाँ : ग्रामीण विकास विभाग का उच्च-स्तरीय दल चीन पहुँचा 19

उपलब्धि : सिंचाई से हुई सब्जी उत्पादन में वृद्धि 23

प्रशिक्षण : बजट अनुमान तैयार करने के लिये मार्गदर्शी सिद्धांत 27

पंचायत गजट : पंचायतों में नवीन अंशदायी पेंशन प्रणाली योजना लागू 29

योजना : मसाला उत्पादन से होगी आय में वृद्धि 41

कानून चर्चा : पंचायत की कार्यवाहियों का निरीक्षण 43

खेती-किसानी : बीजोपचार एवं अंकुरण परीक्षण कर बोनी करें 45

आपकी बात : ग्रामसभाओं के चरणबद्ध आयोजन की प्रशंसा 47

आयुक्त की कलम से

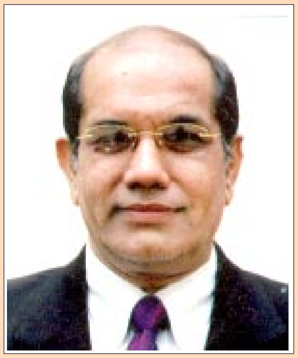

प्रिय पाठकों,

प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदेश के कर्मचारियों को 7 प्रतिशत महँगाई भत्ते की सौगात दी। इस अवसर पर उन्होंने कहा चुनाव सुधार पर राष्ट्रव्यापी बहस होना चाहिए ताकि चुनावों में मितव्ययिता एवं पारदर्शिता आ सके। उन्होंने कहा कि लोकसभा व विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होने चाहिए व चुनाव के लिये स्टेट फंडिंग की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसी खबर को हमने 'खास खबरें' स्तम्भ के अंतर्गत प्रकाशित किया है। राज्य सरकार के विभिन्न विभाग जनकल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करते हैं। इन जनकल्याणकारी योजनाओं की विभागीय समीक्षा तथा उसकी निगरानी का कार्य समीक्षा बैठक के रूप में प्रत्येक तीन माह में किया जाता है। गत दिनों मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के समस्त विभागों की समीक्षा बैठक एवं उनके द्वारा उन जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी प्राप्त की। इसी जानकारी को हमने 'आवरण कथा' स्तम्भ के अंतर्गत प्रकाशित किया है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने विगत दिनों भोपाल में विन्टेज भोपाल पुस्तक का विमोचन किया इस जानकारी को हमने 'दृश्य-परिदृश्य' स्तम्भ के अंतर्गत प्रकाशित किया है। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा चलाई जा रही हितग्राहीमूलक योजनाओं की जानकारी व गतिविधियों के संकलन को 'विभागीय गतिविधियाँ' स्तम्भ के अंतर्गत प्रकाशित किया है। 'उपलब्धि' स्तम्भ में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा चलाई जा रही हितग्राहीमूलक योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी प्रकाशित की जा रही है। 'प्रशिक्षण' स्तम्भ में पंचायत राज संस्थाओं में योजनाओं के उचित क्रियान्वयन हेतु बजट अनुमान तैयार करने के लिये मार्गदर्शी सिद्धांत की जानकारी प्रकाशित की जा रही है। जिला एवं जनपद पंचायत की सेवा में नियोजित मूल पदों के कर्मचारियों के लिये नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू की गई है। इस जानकारी से संबंधित शासनादेश 'पंचायत गजट' स्तम्भ में प्रकाशित किया जा रहा है। इस माह 'योजना' स्तम्भ के अंतर्गत किसानों के लिये मसाला क्षेत्र विस्तार योजना की जानकारी प्रकाशित की जा रही है। पंचायत राज व्यवस्था के अंतर्गत निर्वाचित संस्थाओं के पदाधिकारियों द्वारा किये जा रहे कार्य एवं उनको सौंपे गये दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा से हो इसीलिये पंचायत राज अधिनियम में पंचायतों की कार्यवाहियों के निरीक्षण का प्रावधान है। 'कानून चर्चा' स्तम्भ में इसी जानकारी को प्रकाशित किया गया है। बुवाई से पहले यदि बीज को अच्छी तरह सुखाकर व साफकर इन्हें फफूंदनाशक दवाओं से उपचारित कर लिया जाये तो फसल कई बीमारियों से सुरक्षित रहती है। इसी जानकारी को हमने 'खेती-किसानी' स्तम्भ के अंतर्गत संकलित किया है। और अंत में आपके पत्रों को 'आपकी बात' स्तम्भ में हमेशा की तरह प्रकाशित किया गया है। ये पत्र हमें अपनी गल्तियों और योजनाओं के फीडबैक देते हैं। यदि आप भी पत्रिका के माध्यम से कोई सुझाव या जानकारी देना चाहते हैं तो हमें आपके सुझावों का स्वागत है। हमें आपके पत्रों का इंतजार रहेगा।

(विश्वमोहन उपाध्याय)

चुनाव सुधार पर राष्ट्रव्यापी बहस होना चाहिये

स्वतंत्रता दिवस पर प्रदेशवासियों को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश में चुनाव सुधार पर राष्ट्रव्यापी बहस होना चाहिए क्योंकि देश में पूरे समय कहीं न कहीं चुनाव होते रहे हैं इसलिये लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराये जाने चाहिए। इस समय और धन दोनों बचेगा।

स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गत दिनों भव्य और आकर्षक मुख्य समारोह में ध्वजारोहण किया। रस्मी परेड की सलामी ली और पुलिस पदक वितरित किए। श्री चौहान ने इस अवसर पर अपने संदेश में कहा कि चुनाव में काले धन का उपयोग भ्रष्टाचार का मूल कारण है। चुनाव सुधार पर राष्ट्रव्यापी बहस होना चाहिये। उन्होंने देश में शिक्षा की दोहरी प्रणाली को समाप्त करने पर भी विचार की जरूरत रेखांकित की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदेश के कर्मचारियों को 7 प्रतिशत महँगाई भत्ते की अतिरिक्त किश्त की सौगात दी।

अपने संदेश में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि पूरे समय कोई न कोई चुनाव होते रहते हैं। इसमें समय बर्बाद होता है तथा विकास प्रभावित होता है। उन्होंने कहा कि लोक सभा और विधानसभा के चुनाव पाँच साल में एक बार होना चाहिये। विधानसभा का कार्यकाल तय होना चाहिये। लोकसभा या विधानसभा के सदस्य की मृत्यु होने पर राजनीतिक दल या प्राप्त मतों की संख्या के आधार पर दूसरे सदस्य को अवसर दिया जाना चाहिये। चुनाव में होने वाला खर्च भ्रष्टाचार का मूल है। अतः चुनाव के लिये स्टेट फंडिंग की व्यवस्था की जाना चाहिये। इस फंड से चुनाव आयोग दलों को चुनाव के लिये राशि उपलब्ध करवाये। प्रत्याशी द्वारा इसके अतिरिक्त खर्च करने पर उसके विरुद्ध चुनाव आयोग द्वारा कार्रवाई की जाए।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि देश में दोहरी शिक्षा प्रणाली समाप्त किए जाने पर विचार होना चाहिये। गरीब हो या अमीर बच्चों को एक जैसी शिक्षा सुविधा मिलना चाहिये। वर्तमान में अमीरों के बच्चे पब्लिक स्कूलों में और गरीबों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति और कमजोर वर्गों के लोगों को उद्योगों और शासकीय सेवा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये। उर्वरकों के बढ़े मूल्यों पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि इसे तत्काल वापस लिया जाना चाहिये। उर्वरकों के दाम ढाई से तीन गुना बढ़ा दिये गये हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिये।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने स्वतंत्रता दिवस पर कर्मचारियों को सौगात देते हुए घोषणा की कि राज्य सरकार 7 प्रतिशत की दर से महँगाई भत्ते की अतिरिक्त किश्त एक अगस्त 2012 से देगी। यह वृद्धि समान रूप से राज्य के पेंशनरों को भी मिलेगी।

श्री चौहान ने कहा कि हमें अपनी सभ्यता, संस्कृति और वसुधैव कुटुंबकम् के दर्शन पर गर्व है। जनता की कड़ी मेहनत और सरकार के प्रयासों से मध्यप्रदेश विकास की यात्रा में सफलता की मंजिलें तय कर रहा है। पिछले पाँच साल में लक्ष्य से ज्यादा विकास दर हासिल की है। कृषि विकास दर भी दो गुना से ज्यादा पहुँच गयी है। उन्होंने कहा कि आजादी का आंदोलन जिस जोश और जज्बे से लड़ा गया था, प्रदेश के विकास के लिये भी उसी प्रकार का जुनून जरूरी है।

नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएँ देते हुए उन्होंने

स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का पुनः स्मरण किया और श्रद्धांजलि दी। प्रदेश में कृषि के क्षेत्र में हुई उल्लेखनीय प्रगति का उल्लेख करते हुए श्री चौहान ने कहा कि ढाँचागत और किसान केन्द्रित सुधारों के चलते प्रदेश ने कृषि क्षेत्र में देश में सर्वाधिक 18 प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल की। श्री चौहान ने बिना ब्याज सहकारी ऋण उपलब्ध करवाने के निर्णय उल्लेख करते हुए कहा कि किसानों को 10 हजार करोड़ रुपये के ऋण वितरित किए जायेंगे। इस साल धान पर 100 रुपये प्रति क्विंटल बोनस भी दिया जायेगा।

श्री चौहान ने सिंचाई के क्षेत्र में हासिल उपलब्धियों के संदर्भ में कहा कि इस साल रबी के लिये 2 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता निर्मित की जायेगी। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी अंचलों में सिंचाई परियोजनाएँ पूरी करने का काम हुआ है। चंबल, बाणसागर, बरियारपुर, बरगी, माही, राजीव सागर परियोजनाओं से मालवा, महाकौशल, विंध्य और आदिवासी अंचलों में सिंचाई क्षमता का विस्तार होगा। नर्मदा का पानी क्षिप्रा नदी में पहुँचाकर मालवा अंचल की आवश्यकताओं को पूरा करने का काम जल्दी शुरू किया जायेगा।

मुख्यमंत्री ने विद्युत उत्पादन क्षेत्र में किए गये प्रयासों की चर्चा करते हुए कहा कि पिछले साढ़े आठ साल में बिजली उत्पादन की क्षमता में 4 हजार मेगावाट की बढ़ोत्तरी हुई है। निजी क्षेत्र को नवकरणीय ऊर्जा विकास के लिये प्रोत्साहित करने की नई नीति बनाई गई है। प्रत्येक ब्लाक में अक्षय ऊर्जा शॉप खोलने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य होगा। देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयत्र नीमच जिले में बन रहा है।

श्री चौहान ने औद्योगिक विकास के संदर्भ में कहा कि उद्योगों के जरिये राज्य के युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने की नीति के तहत निवेश बढ़ाने के प्रयासों के परिणाम मिल रहे हैं। प्रदेश देश में औद्योगिक निवेश के नये केंद्र के रूप में उभर रहा है। राज्य में तीन हजार करोड़ रुपये से भी अधिक लागत से 27 नए औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना का निर्णय लिया गया है। अधोसंरचना को मजबूत बनाने की पहल की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में नई सड़कों का जाल बिछाया गया है। ग्रामीण एवं सभी क्षेत्रों में 80 हजार किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण किया गया है। गाँवों की आंतरिक सड़कें बनाने के लिये लागू की गई पंच परमेश्वर योजना में ग्राम पंचायतों को इस साल19 सौ करोड़ रुपये मिलेंगे। आँगनवाड़ियों तथा सभी ग्राम पंचायतों के लिये भवन उपलब्ध करवाने पर विशेष जोर रहेगा। ग्राम स्तर की सामूहिक पेयजल परियोजनाओं को गति देने के लिये मध्यप्रदेश जल निगम का गठन किया गया है।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आवासहीन परिवारों के लिये मुख्यमंत्री अन्त्योदय आवास योजना के अंतर्गत साढ़े पाँच हजार मकान अत्यन्त गरीब परिवारों को दिये गये हैं। मुख्यमंत्री आवास मिशन के अंतर्गत 21 हजार मकान बनाये जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में घरों के लिये चौबीस घंटे और खेती के लिये आठ घंटे बिजली देने के लिये 6 हजार से ज्यादा फीडर के विभाजन का कार्य तेजी से चल रहा है। उन्होंने कहा कि मर्यादा अभियान के पहले चरण में 15 लाख ग्रामीण घर में शौचालय बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

शहरी क्षेत्रों में अधोसंरचना सुधार की चर्चा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना में 37 शहर के लिये 132 करोड़ रुपये की राशि से योजनाएँ शुरू की जा रही हैं। जीवनदायिनी नर्मदा जी के जल को प्रदूषण मुक्त रखने के लिये नर्मदा तट पर स्थित नगरों के लिये कार्य योजना बनाई गयी है।

शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार की पहल को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि एक लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्तियाँ की जा रही हैं। अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम को लागू करने में प्रदेश देश में अग्रणी रहा है। महाविद्यालयों में नये रोजगारमूलक पाठ्यक्रमों को प्रारंभ करने की तैयारी चल रही है। अटल बिहारी बाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय तथा बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना शीघ्र की जायेगी।

मुख्यमंत्री ने अनूसूचित जातियों, जनजातियों एवं अल्पसंख्यक परिवारों के शैक्षणिक एवं आर्थिक उत्थान की चर्चा करते हुए कहा कि इन वर्गों के पच्चीस हजार विद्यार्थियों को रोजगारमूलक प्रशिक्षण दिया जायेगा। कौशल विकास मिशन के जरिये आगामी वर्षों में 15 लाख युवाओं को कौशल उन्नयन का प्रशिक्षण दिया जायेगा। जिन जिलों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नहीं हैं वहाँ जल्दी ही खोले जायेंगे और कम से कम छह ट्रेड में प्रशिक्षण दिया जायेगा। महिलाओं को उनकी पसंदीदा ट्रेड में प्रशिक्षण दिया जायेगा।

श्री चौहान ने खेलों एवं खिलाड़ियों के विकास के लिये आवंटित 136 करोड़ के बजट का हवाला देते हुए कहा कि जबलपुर में तीरंदाजी केंद्र खोला जायेगा। स्वस्थ्य प्रदेश के लिये संपूर्ण स्वास्थ्य सबके लिये कार्ययोजना का उल्लेख करते हुए श्री चौहान ने कहा कि हर गाँव में ग्राम आरोग्य केंद्र की स्थापना की गयी है। सभी जिलों में 108 एम्बुलेंस सेवा का विस्तार होगा।

वन संपदा के संतुलित दोहन के संबंध में श्री चौहान ने कहा कि बाँस के दोहन से होने वाले शुद्ध लाभ का शत-प्रतिशत भुगतान अब बाँस कटाई में लगे श्रमिकों को दिया जायेगा। वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ-यात्रा कराने के लिये लागू मुख्यमंत्री तीर्थ-दर्शन योजना का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि तीर्थ-यात्रा की पहली ट्रेन 3 सितंबर को भोपाल से रामेश्वरम् के लिये रवाना होगी।

अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम बनाने पर होगा विचार

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गत दिनों मुख्यमंत्री निवास में वकील पंचायत में घोषणा की कि विधि आयोग को पुनर्जीवित किया जायेगा। आयोग में अध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति की जायेगी। सनद लेकर वकालत शुरू करने वाले नये अधिवक्ताओं को राज्य सरकार द्वारा कार्यालय शुरू करने के लिये एकमुश्त 12 हजार की सहायता दी जायेगी। श्री चौहान ने अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम बनाने की सैद्धांतिक सहमति देते हुए कहा कि इसके लिये विधि विशेषज्ञों से सलाह ली जायेगी। वकील पंचायत में विधि एवं विधायी मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा, राज्यसभा सांसद श्री प्रभात झा सहित प्रदेश के विभिन्न क्षेत्र से आये अधिवक्ता मौजूद थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अब राजस्व बोर्ड में अधिवक्ताओं को भी प्रतिनिधित्व दिया जायेगा। उन्होंने घोषणा की कि अधिवक्ताओं की मृत्यु होने पर उनके परिवार को राज्य सरकार द्वारा एक लाख रुपये की मदद दी जायेगी। इससे बार काउंसिल द्वारा दी जाने वाली राशि को मिलाकर अब मृत्यु होने पर अधिवक्ता के परिवार को दो लाख रुपये मिलेंगे। गंभीर बीमारियों से पीड़ित अधिवक्ताओं की चिकित्सा के लिये कोष बनाया जायेगा। जिला और तहसील स्तर पर अधिवक्ताओं के लिये लाइब्रेरी बनायी जायेगी। विधि अधिकारियों तथा शासकीय अभिभाषकों के मानदेय में वृद्धि की जायेगी। जमीनों की उपलब्धता के आधार पर अधिवक्ता संघों को न्यूनतम दरों पर कार्यालय के लिये भूमि उपलब्ध करवायी जायेगी। मोटर दावा दुर्घटना के प्रकरणों में अपील पर शुल्क वृद्धि के संबंध में विशेषज्ञों की राय ली जायेगी। जबलपुर में बार काउंसिल के भवन निर्माण के लिये राज्य सरकार द्वारा सहयोग किया जायेगा। नोटरी के लिये नियुक्ति की न्यूनतम अवधि को कम करने पर विचार किया जायेगा। अभिभाषक संघों के बिजली के देयकों का एक सीमा तक भुगतान राज्य शासन द्वारा किया जायेगा।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अधिवक्ता देश की न्याय-प्रणाली के आधार हैं। देश को दिशा देने में अधिवक्ताओं का महत्वपूर्ण योगदान है। वे प्रदेश की तरक्की में सहयोग करें। उन्होंने आव्हान किया कि अच्छी तर्कशक्ति वाले देशभक्त वकील राजनीति में आयें। समाज के सभी वर्ग मिल-जुल कर अपना विकसित मध्यप्रदेश बनायें। उन्होंने कहा कि आज मध्यप्रदेश की विकास दर 11.98 प्रतिशत है, जो देश में दूसरे स्थान पर है। इसी तरह कृषि विकास दर 18 प्रतिशत है, जो प्रदेश की प्रगति को प्रदर्शित करती है। प्रदेश में 15 लाख युवाओं को रोजगार दिलाने के लिये कौशल विकास मिशन शुरू किया गया है। प्रदेश में पूंजी निवेश को आकर्षित करने के सभी प्रयास किये जा रहे हैं। प्रदेश में वोकेशनल यूनिवर्सिटी बनायी जा रही है। उन्होंने कहा कि पंचायतें बुलाने का मकसद संबंधित समुदाय से सीधे विचार-विमर्श कर व्यवहारिक योजनाएँ बनाना है। लाड़ली लक्ष्मी जैसी अनेक योजनाएँ पंचायतों की देन हैं। उन्होंने कहा कि अब आमजन की सलाह पर ही प्रदेश में योजनाएँ बनती हैं।

कार्यक्रम में विधि एवं विधायी मंत्री डॉ. मिश्रा ने कहा कि वकील पंचायत एक अनूठी पहल है। इसके माध्यम से कमजोर और गरीबों को न्याय दिलाने वाले अधिवक्ताओं की समस्याओं को सुनने और उनके निराकरण की पहल की गयी है।

महाधिवक्ता श्री आर.डी. जैन ने कहा कि 56 सालों के इतिहास में पहली बार वकीलों से सीधे संवाद की पहल हुई है। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री चौहान के प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि वरिष्ठ वकीलों का सम्मान करने की भी नई परंपरा प्रदेश से शुरू हुई है। उन्होंने कहा कि केवल संवाद से ही बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान निकल सकता है।

प्रमुख सचिव कानून श्री के.डी. खान ने कहा कि वकीलों की पंचायत का आयोजन प्रदेश के इतिहास में एक अविस्मरणीय दिन है। न्याय व्यवस्था के संचालन में सहयोगी वकीलों से सीधे संवाद की यह एक ऐतिहासिक पहल है। राज्य बार काउंसिल के अध्यक्ष श्री शिवेन्द्र उपाध्याय ने वकीलों को मिलने वाली सुविधाओं और सहायता के संबंध में मांग पत्र प्रस्तुत किया।

शासकीय अधिवक्ता परिषद के अध्यक्ष श्री रमेन्द्र सिंह गौर ने शासकीय अधिवक्ताओं के मानदेय बढ़ाने का आग्रह किया।

भाजपा विधि प्रकोष्ठ के अध्यक्ष श्री शांतिलाल लोढ़ा ने कहा कि देश में पहली बार अधिवक्ताओं की पंचायत आयोजित की गई है। उन्होंने विधि प्रकोष्ठ की ओर से मुख्यमंत्री के सम्मान में अभिनन्दन-पत्र का वाचन किया। भोपाल बार एसोसिएशन की ओर से मुख्यमंत्री को स्मृति-चिन्ह भेंट किया गया।

बार काउंसिल आफ इंडिया के उपाध्यक्ष श्री जफर खान ने कहा कि इस अनूठी पंचायत में जो फैसले लिये जायेंगे उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर बताया जायेगा। उन्होंने वकील पंचायत के आयोजन के लिये मुख्यमंत्री की खुले दिल से सराहना की। राज्य बार काउंसिल के उपाध्यक्ष श्री बालचन्द्र उपाध्याय, राज्य बार काउंसिल की कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष श्री विजय चौधरी, हाई कोर्ट बार काउंसिल एसोसिएशन जबलपुर के उपाध्यक्ष श्री अनिल खरे, हाई कोर्ट बार काउंसिल ग्वालियर के अध्यक्ष, हाई कोर्ट बार काउंसिल इंदौर के अध्यक्ष श्री पूरन शर्मा ने जिला अदालतों में अधोसंरचनात्मक सुविधाओं, वकीलों की व्यावसायिक जरूरतों एवं मुद्दों के संबंध में चर्चा की।

वरिष्ठ अभिभाषकों का सम्मान - मुख्यमंत्री ने वकालत के पेशे को अपना जीवन समर्पित करने और उच्च मानदण्डों को स्थापित करने वाले वरिष्ठ वकीलों को उनके योगदान के लिये सम्मानित किया। सम्मानित होने वाले वकीलों में सर्वश्री बसंती लाल पाठक, रामनारायण वर्मा, पूरनचंद्र जैन, दयाशंकर व्यास, धीरज सिंह सोलंकी और श्रीराम भार्गव शामिल थे।

इस अवसर पर राज्य भाजपा के अध्यक्ष एवं सांसद श्री प्रभात झा, मुख्य सचिव श्री आर. परशुराम, राज्य बार काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष श्री रामेश्वर नीखरा, नामांकित वरिष्ठ अधिवक्ता एवं बड़ी संख्या में विभिन्न जिलों से आये अभिभाषक उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन विधि सचिव श्री आर.के. वर्मा ने किया। पंचायत का शुभारंभ वंदे मातरम् और मध्यप्रदेश गान की प्रस्तुति से हुआ।

मुख्य सचिव ने की बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा

मुख्य सचिव श्री आर. परशुराम ने गत 8 अगस्त को प्रदेश में बाढ़ राहत कार्यों के संचालन की समीक्षा की। उन्होंने प्रभावित जिलों के कलेक्टरों को नागरिकों की सहायता के लिए निरंतर कार्य के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने बाँधों के जल स्तर की जानकारी ली और नागरिकों की सुरक्षा के संबंध में सजग, सक्रिय बने रहने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि प्रदेश में आपदा प्रबंधन के लिए व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाया जाएगा। बैठक में बताया गया कि प्रदेश में 1 जून 2012 से 8 अगस्त 2012 तक हुई वर्षा के आधार पर प्रदेश के 14 जिलों में सामान्य से अधिक, 26 जिलों में सामान्य एवं 10 जिलों में कम वर्षा हुई है। अब तक बाढ़ से जो क्षति हुई है उसमें वर्षा/बाढ़ से 23 लोगों की असामयिक मृत्यु, 247 पशु हानि और कुछ जिलों में मकानों की क्षति शामिल है। होशंगाबाद में सेठानी घाट में 7 अगस्त 2012 को जल स्तर 970 फीट खतरे के निशान से ऊपर था। आज 10 फीट पानी उतर गया है। निचली बस्तियों में 500 लोगों को सेना के बचाव दल की सहायता से सुरक्षित शिविरों में पहुँचाया गया। दस राहत शिविर खोले गये हैं। राजधानी भोपाल में स्थिति नियंत्रण में है। यहाँ कल 03 जन हानि रिकार्ड हुई है। सीहोर में कई गाँवों से संपर्क टूटा है। वहाँ20 राहत शिविर खोले गये हैं। हरदा में 14 राहत शिविर खोले गये हैं। खरगोन में इंदिरा सागर बाँध का जल स्तर कम हुआ है। स्थिति नियंत्रण में है, शिविर में 400 लोगों को ठहराया गया है। छिंदवाड़ा में 3 राहत शिविर में 250 लोगों को शिफ्ट किया गया है। भोपाल एवं बैतूल से जो संपर्क टूटा था वो चालू हो गया है। दो व्यक्ति तवा नदी में बह गये हैं जिनकी तलाश जारी है, शेष स्थिति नियंत्रण में है। विदिशा में बेतवा नदी का बेक वाटर बस्तियों में घुसने से 8 राहत शिविर में 1500 लोगों को शिफ्ट किया गया है। पानी अभी पूरी तरह उतरा नहीं है, बेतवा नदी के पुल पर जल स्तर 20 फीट से ऊपर है। बैतूल में स्थिति नियंत्रण में है। रायसेन में दौबाखेड़ी गाँव चारों ओर से घिरा है जिससे संपर्क टूटा हुआ है, यहाँ लगभग 208 लोगों को बचाने के लिए सेना का बचाव दल पहुँच रहा है। धाराजी में नर्मदा नदी के किनारे कुक्षी, धरमपुरी, मनावर तहसील में 6 शिविर शुरू किए गए हैं जहाँ लगभग 900 लोगों को शिफ्ट किया गया है।

प्रदेश के 42 जिलों में लागू होगी साक्षर भारत योजना

प्रदेश के 42 जिलों में साक्षर भारत योजना में 15 वर्ष से अधिक आयु के अशिक्षितों को कार्यात्मक शिक्षित बनाया जायेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में सभी को साक्षर करने के उद्देश्य की पूर्ति के लिये तीन माह के भीतर चिन्हित जिलों में जिला से लेकर पंचायत स्तर तक साक्षरता समिति गठन कर ली जाये। श्री चौहान गत दिनों राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण की साधारण सभा की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में स्कूल शिक्षा मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनीस, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव, महापौर श्रीमती कृष्णा गौर और मुख्य सचिव श्री आर. परशुराम भी मौजूद थे।

बैठक में बताया गया कि प्रदेश में वर्ष 2011 की स्थिति में लगभग 7 प्रतिशत साक्षर हैं। इसमें पुरुषों की साक्षरता 80.5 तथा महिलाओं की साक्षरता 60 प्रतिशत है। साक्षर भारत योजना का लक्ष्य न्यूनतम 80 प्रतिशत लोगों को साक्षर करना है। इस योजना का लक्ष्य समूह महिला, अनूसूचित जाति, जनजाति तथा अल्पसंख्यक वर्ग है। योजना के क्रियान्वयन के लिये पंचायत स्तर पर दो-दो प्रेरक नियुक्त किये जायेंगे। इनमें एक प्रेरक अनिवार्य रूप से महिला रहेगी। बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रेरक के चयन का आधार 12वीं कक्षा में प्राप्त अंक रहेगा। यह भी निर्णय लिया गया कि प्रेरकों की नियुक्ति छह माह की अवधि के लिये की जायेगी। प्रेरक स्वयंसेवी कार्यकर्ताओं के माध्यम से ग्रामों में 15 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को निर्धारित क्रम के अनुसार प्राथमिक शिक्षा देंगे। नव साक्षरों के कौशल उन्नयन तथा इस साक्षरता के बाद शिक्षा में निरंतरता बनाये रखने का प्रावधान भी योजना में है।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में मध्यप्रदेश के 10 जिले शामिल

देश के 7 करोड़ ग्रामीण गरीब परिवारों को गरीबी के दुष्चक्र से निकालने और आजीविका गतिविधियों के जरिये उनकी गरीबी दूर कर उन्हें मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत की गई है। मिशन के प्रथम चरण में मध्यप्रदेश के 10 जिलों के 46 विकासखण्ड के 6,207 गाँव शामिल किये गये हैं। प्रथम चरण में अनुसूचित-जनजाति बहुल जिलों को शामिल किया गया है। इनमें श्योपुर, झाबुआ, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, शहडोल, अनूपपुर, डिण्डोरी, मण्डला और बालाघाट शामिल हैं।

उल्लेखनीय है कि मिशन के माध्यम से देश के 600 जिलों के 6 हजार विकासखण्डों में ग्रामीणों को प्रभावशाली सशक्त मंच प्रदान कर आजीविका गतिविधियों से जोड़ा जायेगा। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के जरिये ढाई लाख ग्राम-पंचायत में शामिल 6 लाख गाँव में रह रहे गरीब परिवारों को आर्थिक उत्थान के बेहतर अवसर उपलब्ध करवाये जायेंगे। मिशन के सुचारु क्रियान्वयन के उद्देश्य से आज से प्रशासन अकादमी, भोपाल में 6 दिवसीय कार्यशाला शुरू हुई। इसमें मध्यप्रदेश, गुजरात और राजस्थान प्रदेश के 50 से अधिक प्रतिभागी भागीदारी कर रहे हैं। कार्यशाला का समापन एक सितम्बर को होगा।

कार्यशाला में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में सम्पन्न होने वाली गतिविधियों पर प्रकाश डाला गया। राज्य आजीविका फोरम के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री एल.एम. बेलवाल ने बताया कि मिशन का मुख्य उद्देश्य गरीब ग्रामीणों को संस्थागत मंच प्रदान कर उनकी आजीविका में निरंतर वृद्धि करना है। इस मकसद से वित्तीय सेवाओं तक बेहतर और सरल तरीके से उनकी पहुँच बनाकर पारिवारिक आय को बढ़ाने के सार्थक प्रयास होंगे। ग्रामीण परिवारों के कौशल और क्षमता संवर्द्धन से उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जायेगा।

मुख्यमंत्री तीर्थ-दर्शन योजना

राज्य शासन तथा रेलवे के मध्य एम.ओ.यू.

मध्यप्रदेश में लागू देश में अपने तरह की अनूठी और हर आम-ओ-खास की धर्म-स्थलों में जाने की दिली तमन्ना से जुड़ी मुख्यमंत्री तीर्थ-दर्शन योजना का गत दिनों भोपाल में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की विशेष उपस्थिति में राज्य शासन और भारतीय रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज्म कार्पोरेशन के बीच एम.ओ.यू. हुआ। एम.ओ.यू. पर राज्य शासन की ओर से प्रमुख सचिव राजस्व एवं धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग श्री बसंत प्रताप सिंह तथा रेलवे की ओर से आई.आर.सी.टी.सी. के ग्रुप जनरल मैनेजर श्री वीरेन्द्र सिंह ने हस्ताक्षर किये। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इस क्षण को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि धर्म इस देश का प्राण है। राज्य शासन भौतिक समृद्धि के साथ-साथ प्रदेशवासियों के आध्यात्मिक सुख के लिये भी प्रयत्नरत है। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री आर. परशुराम भी मौजूद थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि तीर्थ-दर्शन योजना राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना में इस वर्ष 60 हजार वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ-दर्शन करवाये जायेंगे। इस योजना की घोषणा वरिष्ठ नागरिक पंचायत में की गई थी। इसमें 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को तीर्थ-दर्शन के लिये स्थान चिन्हित किए गए हैं। इसमें सर्वधर्म समभाव को ध्यान में रखते हुए सभी धर्मों के तीर्थ-स्थलों का चयन किया गया है। तीर्थ-यात्रा की जिम्मेदारी रेलवे विभाग को सौंपी गई है। करारनामे के तहत रेलवे द्वारा तीर्थ-यात्रियों के परिवहन, भोजन, बीमा, चिकित्सा, गाइड आदि की व्यवस्था की जायेगी।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने यह भी कहा कि प्रदेश की जीवनदायिनी, माँ नर्मदा को प्रदूषण मुक्त रखने का जन-अभियान आगामी देवउठनी ग्यारस से प्रारंभ किया जायेगा। अभियान की शुरुआत इस पवित्र नदी के उद्‌गम स्थल अमरकंटक से होगी तथा खम्भात की खाड़ी तक नर्मदा को प्रदूषण मुक्त करने का कार्य होगा।

मध्यप्रदेश सरकार की इस अभिनव मुख्यमंत्री तीर्थ-दर्शन योजना में पहली ट्रेन 3 सितंबर, 2012 को हबीबगंज रेलवे स्टेशन से रामेश्वरम् के लिये रवाना हुई। प्रथम यात्रा में भोपाल एवं नर्मदापुरम् संभाग के भोपाल और होशंगाबाद सहित राजगढ़, विदिशा, रायसेन, सीहोर, बैतूल तथा हरदा जिले के बुजुर्ग शामिल हुए।

नर्मदा को प्रदूषणमुक्त करने का अभियान अमरकंटक से

मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने कहा है कि पुण्य-सलिला नर्मदा नदी को प्रदूषणमुक्त करने के लिए जनसहयोग से अभियान चलाया जायेगा। अभियान देवउठनी ग्यारस से नर्मदा नदी के उद्‌गम स्थल अमरकंटक से प्रारंभ होगा। उन्होंने घोषणा की कि मालवा के सभी क्षेत्रों तक नर्मदा का पानी पहुँचाया जायेगा। इसके लिये व्यापक कार्ययोजना तैयार की जा रही है। पानी से मालवा के आठ लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई और पीने का पानी मिलेगा। उद्योगों के लिये भी जल प्रदाय किया जायेगा। इस योजना को पूर्ण करने में धनराशि की कमी नहीं आने दी जायेगी।

मुख्यमंत्री श्री चौहान गत दिनों इंदौर नगर पालिक निगम द्वारा बिचौली हप्सी में 30 एकड़ क्षेत्र में विकसित किये जाने वाले शहरी वन विहार एवं जैव विविधता पार्क (सिटी फारेस्ट) के शुभारंभ समारोह को सम्बोधित कर रहे थे। पार्क साढ़े 5 करोड़ रुपये की लागत से विकसित होगा। इस मौके पर उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय, स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्री महेन्द्र हार्डिया, सांसद श्रीमती सुमित्रा महाजन, महापौर श्री कृष्णमुरारी मोघे, विधायकगण सहित अन्य जन-प्रतिनिधि मौजूद थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि नर्मदा नदी मध्यप्रदेश की जीवन रेखा है। इसे किसी भी हाल में प्रदूषण से बचाया जायेगा। उन्होंने कहा कि मालवा में लगातार जल-स्तर गिरना चिंता का विषय है। नर्मदा का जल मालवा के हर क्षेत्र में पहुँचाया जायेगा। इसके लिये व्यापक योजना तैयार की जा रही है। योजना को पूर्ण करने में धनराशि की कमी नहीं आने दी जायेगी। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि प्रदेश विशेषतः मालवा में अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें तथा जल-संरक्षण और जल-संवर्धन के कार्य करवायें।

हर शहर के पास स्मृति-वन बनायें

मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में हर शहर के पास स्मृति वन बनायें जिसमें अपने परिजन की स्मृति में पेड़ लगाए जाएं। जिस तरह से भोपाल में स्मृति-वन तथा इंदौर में पितृ पर्वत पर पेड़ लगाये गये हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान गत दिनों लोक संरक्षित क्षेत्र केरवा रोड में वन महोत्सव को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने संकल्प दिलाया कि पृथ्वी को बचाने के लिये हर नागरिक साल भर में कम से कम एक पेड़ लगाए। उन्होंने क्षेत्र में बरगद का पेड़ लगाया। कार्यक्रम में वन मंत्री श्री सरताज सिंह भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि पेड़ पौधे और मनुष्य एक दूसरे के पूरक हैं। एक के अस्तित्व पर दूसरे का अस्तित्व निर्भर है। जीने के लिये सबसे ज्यादा जरूरी आक्सीजन हमें पेड़, पौधों से मिलती है। इसीलिये हमारी संस्कृति में कहा गया है कि प्रकृति का दोहन करें, शोषण नहीं। उन्होंने कहा कि आज ग्लोबल वार्मिंग की समस्या के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। इससे फसलों का उत्पादन घटेगा और समुद्र में जल-स्तर बढ़ेगा। इस समस्या का एक ही समाधान है वनों को बचाएं और अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। उन्होंने कहा कि हर अच्छे अवसर पर पेड़ लगाएं। हर खुशी के अवसर को पृथ्वी के लिये भी खुशी का अवसर बनाएं। वृक्षारोपण के अभियान से अधिक से अधिक लोग जुड़ें।

वन मंत्री श्री सरताज सिंह ने कहा कि वन विभाग प्रदेश के बिगड़े वनों को ठीक करने की कार्य योजना बना रहा है। नदियों के किनारे अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जायेगा। पर्यावरण को ठीक रखने में वनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। वनीकरण से वनों पर आधारित डेढ़ करोड़ वनवासियों को रोजगार उपलब्ध करवाया जा सकता है। कार्यक्रम में करीब ढाई हजार पौधे रोपे गये। कार्यक्रम में वन विकास निगम के अध्यक्ष श्री गुरूप्रसाद शर्मा तथा उपाध्यक्ष श्री बाबू लाल मेवरा, राज्य लघु वनोपज संघ के अध्यक्ष श्री विश्वास सारंग, विधायक श्री जितेन्द्र डागा, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मीना-हिम्मत, प्रमुख सचिव वन श्री देवराज बिरदी सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे।

उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग की अवधि बढ़ी

राज्य शासन ने चावल पर लेव्ही अधिरोपित करने के लिए नीति का निरसन एवं धान की कस्टम मिलिंग नीति का निर्धारण किया है। शासन ने उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग कराने की समयावधि 30 जून से बढ़ाकर31 जनवरी 2013 तय की है। निर्धारित एजेंसियों द्वारा इसे नियत समय से पूर्व पूरा कराने का प्रयास किया जायेगा। शासन ने नीति में जो संशोधन किये हैं, उसके अनुसार उपार्जित धान के शेष स्कन्ध एवं आगामी खरीफ मौसम में उपार्जित होने वाले धान को, बिना लेव्ही चावल लिए हुए बाजार दर पर मिलिंग कराने के निर्देश दिये हैं। इसके लिए निर्धारित लेव्ही नीति को मिलिंग दर लागू होने की तिथि से समाप्त किया गया है।

स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन, राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा मिलिंग दर का निर्धारण खुली निविदा पद्धति से करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। मिलिंग दरें खुली निविदा पद्धति से बुलाने की प्रक्रिया में प्राप्त न्यूनतम दर पर मिलिंग के लिए एल-वन से लेकर क्रमानुसार अन्य निविदादाताओं से सहमति ली जायेगी। यदि अन्य निविदादाता न्यूनतम प्राप्त दर पर मिलिंग के लिए सहमत होते हैं तो उनसे उस दर पर मिलिंग करवाई जायेगी। सहमत मिलों को उनकी क्षमता के अनुसार मिलिंग कार्य सौपा जायेगा। इसके बाद धान की शेष मात्रा के लिए द्वितीय न्यूनतम दर वाली मिलों से उनकी क्षमता के अनुसार मिलिंग कार्य करवाया जायेगा। इस दर पर अन्य निविदादाताओं को भी ऑफर किया जायेगा। इस प्रकार मिलिंग दर बढ़ाते हुए उस दर तक मिलिंग कार्य करवाया जायेगा, जिस दर पर मिलों की कुल क्षमता वर्तमान स्कन्ध के समकक्ष हो या तब तक, जब तक सक्षम संस्था उसे औचित्यपूर्ण मानती है।

हितग्राहीमूलक योजनाएं ऑन-लाइन हों

किसान-कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया ने एक बैठक में विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि कृषि विभाग की हितग्राहीमूलक योजनाओं को ऑन-लाइन किया जाये। उन्होंने हितग्राहियों के नाम भी सार्वजनिक करने को कहा। उन्होंने कहा कि जैविक खेती की संशोधित नीति का प्रारूप एक सप्ताह के भीतर बनाकर एक कार्यदल गठन करने की कार्रवाई शीघ्र करें। डॉ. कुसमरिया ने कहा कि शासन की जन-कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों को मिले, इसकी सतत समीक्षा करें। बैठक में बताया गया कि विभाग द्वारा बलराम ताल, स्प्रिंकलर, ड्रिप एरीगेशन, नल-कूप खनन व डीजल पम्प वितरण, बैलगाड़ी, ट्रेक्टर कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने संबंधी योजनाओं को ऑन-लाइन किया गया है।

आदिवासियों को स्वरोजगार मिला

आदिवासी वित्त विकास निगम की इस वित्तीय वर्ष में अब तक एक करोड़ रुपये की वसूली हुई है। निगम द्वारा पूर्व के वर्षों में विभिन्न स्व-रोजगार योजनाओं के जरिये 4 से 6 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाया गया था। पिछले वर्ष निगम द्वारा 831 हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के जरिये 8 करोड़ रुपये का ऋण उपलब्ध करवाया गया था। निगम द्वारा इस वर्ष टंट्या भील स्व-रोजगार योजना में आदिवासी क्षेत्रों में 5 हजार जरूरतमंदों को स्व-रोजगार के लिये ऋण राशि उपलब्ध करवाई जायेगी। इस योजना में 30 प्रतिशत अनुदान एवं शेष राशि व्यावसायिक बैंक से ऋण के रूप में उपलब्ध करवाई जायेगी। योजना के लिए विभागीय बजट में 2 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

सूचना प्रौद्योगिकी नीति संशोधित

राज्य शासन ने सूचना प्रौद्योगिकी नीति के प्रावधानों में महत्वपूर्ण संशोधन का आदेश जारी किया है। अब प्रदेश में निवेश करने वाले औद्योगिक संस्थानों को भूमि 99 वर्ष तक की लीज पर प्रकरण दर प्रकरण के आधार पर दी जाएगी। लीज के नवीनीकरण का प्रावधान भी होगा। उल्लेखनीय है कि इस संबंध में राज्य मंत्रि-परिषद ने हाल ही में निर्णय लिया था। पूर्व में भूमि 33 वर्ष की लीज पर दिए जाने का प्रावधान था। सूचना प्रौद्योगिकी नीति-2006 की संबंधित कंडिका में किया गया यह संशोधन लागू होने के बाद निष्पादित किए जाने वाले समस्त पट्टाभिलेखों पर प्रभावशील होगा। सूचना प्रौद्योगिकी नीति में किए गए इस संशोधन से प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण आई.टी. केन्द्र बनने जा रहे इंदौर में एसईजेड स्थापना में गति आएगी। इंदौर में इन्फोसिस लिमि., टाटा कन्सलटेंसी लिमि. और सुवी लिमि. को एसईजेड में भूमि आवंटन के मामलों में भी यह महत्वपूर्ण संशोधन लागू होगा।

मध्यप्रदेश को टूडेज ट्रेवलर अवार्ड

गिल इंडिया कम्यूनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा होटल ताज पैलेस, नई दिल्ली में "टूडेज ट्रैवलर" पत्रिका के 15वें वार्षिक समारोह में मध्यप्रदेश पर्यटन को टूडेज ट्रेवलर-2012 का पुरस्कार श्री सुबोधकांत सहाय, केंद्रीय पर्यटन मंत्री द्वारा दिया गया। मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम को यह पुरस्कार बेस्ट ईको टूरिज्म डेस्टिनेशन के लिए दिया गया। यह पुरस्कार निगम के अध्यक्ष डॉ. मोहन यादव द्वारा श्री रमेश सिप्पी निर्माता एवं निर्देशक के विशेष आतिथ्य में ग्रहण किया गया। कार्यक्रम में पर्यटन संबंधी कॉफी टेबल बुक "टूडेज ट्रेवलर" का विमोचन भी किया गया। उल्लेखनीय है कि निगम को इसी वर्ष राष्ट्रपति द्वारा देश में पर्यटन के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए 4 राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। टूडेज ट्रेवलर अवार्ड पर्यटन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया जाता है। श्री सुबोधकांत सहाय ने कहा कि देश में पर्यटन का कार्य क्षेत्र पर्यटन-स्थलों के विकास एवं पर्यटक सुविधाओं में वृद्धि तक सीमित नहीं है वरन् पर्यटन के माध्यम से रोज़गार उपलब्ध करवाने की असीम संभावनाएं हैं।

मध्यप्रदेश में प्रारंभ होंगे 336 लोक सेवा केन्द्र

नागरिकों को मध्यप्रदेश लोक सेवा के प्रदान की गारंटी अधिनियम-2010 में अधिसूचित सेवाओं के आवेदन संबंधित पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करने के साथ ही निजी भागीदारी के माध्यम से एक वैकल्पिक व्यवस्था देने के लिए प्रदेश में 336 लोक सेवा केन्द्र प्रारंभ किए जा रहे हैं। यह केन्द्र विकास खण्ड मुख्यालय और नगरीय क्षेत्रों में खोले जा रहे हैं। लोक सेवा केन्द्र में ऑन-लाइन आवेदन लिये जाएँगे और उसी समय आवेदक को पावती दी जाएगी। आवेदक को आवेदन-पत्र जमा करते समय किसी प्रपत्र में आवेदन

नहीं लाना होगा, उन्हें केवल आवश्यक दस्तावेज देने होंगे। लोक सेवा केन्द्र संचालक आवेदक से आवश्यक दस्तावेजों सहित विस्तृत विवरण प्राप्त कर उसका आवेदन ऑन-लाइन दर्ज करेगा। केन्द्र में ही वांछित दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित प्रति प्राप्त कर मूल दस्तावेजों से मिलान किया जाएगा। स्व-प्रमाणित दस्तावेजों को स्केन कर उन्हें आवेदन के साथ अपलोड किया जाएगा। केन्द्र संचालक द्वारा आवेदक से निर्धारित शुल्क भी लिया जाएगा। आवेदक द्वारा आवेदन की प्रति मांगे जाने पर 5 रुपये में उपलब्ध करवायी जाएगी। यथासंभव केवल पूर्ण आवेदन ही लिए जाएँगे, लेकिन यदि आवेदक अपूर्ण आवेदन दाखिल करना चाहे तो उसे ऑन-लाइन प्राप्त कर 30 दिन के अंदर आवेदन पूरा करने के लिए कहा जाएगा। इस अवधि में आवेदन पूर्ण नहीं करने पर वह निरस्त माना जाएगा। पूर्ण आवेदन निर्धारित अवधि में पदाभिहित अधिकारी को भेजे जाएँगे। पदाभिहित अधिकारी द्वारा समय पर सेवा उपलब्ध नहीं करवाने या इंकार करने के मामले में केन्द्र संचालक द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के ध्यान में लाया जाएगा। प्रथम अपील का समय पर निराकरण नहीं होने पर द्वितीय अपीलीय अधिकारी के ध्यान में लाने और पारित आदेश की एक प्रति आवेदक को निःशुल्क उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी भी केन्द्र संचालक की रहेगी। कलेक्टर पूरी प्रक्रिया की सतत मानीटरिंग करेंगे। प्रतिमाह लोक सेवा केन्द्र संचालक द्वारा प्राप्त आवेदन शुल्क में से प्रक्रिया शुल्क की राशि के अलावा शेष राशि जिला ई-गवर्नेंस समिति के खाते में जमा करवाई जाएगी।

बुन्देलखण्ड पैकेज से भण्डारण क्षमता पर खर्च होंगे 97 करोड़

प्रदेश में सहकारी क्षेत्र में भण्डारण क्षमता बढ़ाने के प्रयास किये जा रहे हैं। आने वाले वर्षों में बुंदेलखण्ड क्षेत्र के6 जिलों में 27 गोदामों का निर्माण कर 77 हजार 600 मीट्रिक टन भण्डारण क्षमता का निर्माण किया जायेगा। इस कार्य पर लगभग 97 करोड़ की राशि खर्च की जा रही है। बुंदेलखण्ड पैकेज के तहत सागर जिले में 21 हजार 600 मीट्रिक टन के 7 गोदाम, दमोह में 9,400 मीट्रिक टन क्षमता के 3 गोदाम, पन्ना में 9,200 मीट्रिक टन क्षमता के 3 गोदाम, टीकमगढ़ में 11 हजार 200 मीट्रिक टन के 4 गोदाम, छतरपुर में 18 हजार 200 मीट्रिक टन के 6 गोदाम एवं दतिया जिले में 8 हजार मीट्रिक टन क्षमता के 4 गोदाम का निर्माण किया जा रहा है। इन गोदामों का निर्माण मण्डी बोर्ड, मार्कफेड एवं वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन द्वारा किया जा रहा है।

❑ शुभम दुबे

खनि पट्टा स्वीकृति के लिए समितियां

राज्य शासन ने वन क्षेत्रों में अवैध उत्खनन पर नियंत्रण की दृष्टि से, वन क्षेत्र से बाहर लेकिन वन सीमा से 250 मीटर के अंदर खनिज के महत्व एवं उपलब्धता को देखते हुए खनि-पट्टा स्वीकृत करने के संबंध में विचार किया जाना है, तो इस संबंध में सक्षम अधिकारी को अनुशंसा करने के लिये संभाग स्तर पर समिति का गठन किया है। संभाग स्तर पर गठित समिति में संबंधित संभागायुक्त समिति के अध्यक्ष होंगे। समिति के सदस्य सचिव संभाग मुख्यालय के खनि अधिकारी रहेंगे। वन क्षेत्रों में अवैध उत्खनन की बेहतर रोकथाम के लिये वन सीमा से 250 मीटर के भीतर पत्थर फड़ी लगाने की अनुमति लीज-धारकों को नहीं दी जायेगी।

समिति में सदस्य के रूप में संबंधित मुख्य वन संरक्षक (वन, वृत्त के भारसाधक अधिकारी), संबंधित कलेक्टर अथवा कलेक्टर द्वारा अधिकृत अधिकारी, जो अपर कलेक्टर स्तर से कम का न हो, संबंधित वन मण्डलाधिकारी (वन मण्डल के भारसाधक अधिकारी) तथा संबंधित जिले के खनिज अधिकारी/प्रभारी अधिकारी खनिज शाखा को शामिल किया गया है।

समिति को जो कार्य सम्पादित करने के लिये अधिकृत किया गया है, उनमें संभागायुक्त अपने प्रभार के जिलों के प्रकरणों की समीक्षा माह में एक बार अनिवार्य रूप से करेंगे। संभागांतर्गत जिलों से संभाग मुख्यालय, खनि अधिकारी को वन सीमा से बाहर परंतु वन सीमा से 250 मीटर के भीतर के खनि रियायत के प्रस्ताव भेजे जायेंगे। संभाग-स्तरीय समिति को प्रस्तुत समस्त प्रस्तावों पर संबंधित वन मण्डलाधिकारी का स्पष्ट अभिमत सभी प्रकरणों में प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

इसी प्रकार संभाग मुख्यालय के खनि अधिकारी का दायित्व होगा कि वे जिलों से प्राप्त समस्त प्रस्ताव को समीक्षात्मक टीप सहित प्रतिमाह समिति के समक्ष विचारार्थ एवं अनुशंसा के लिये प्रस्तुत करेंगे। समिति के निर्णय के उपरांत कार्यवाही विवरण तैयार कर समिति के निर्णय से सभी जिलों को अवगत करायेंगे। समिति के समक्ष यदि वन भूमि, राजस्व वन भूमि एवं ऐसे क्षेत्र जो वन अधिनियम, 1927 की धारा-4 के तहत अधिसूचित हैं, से संबंधित प्रस्ताव विचारार्थ भेजे जाते हैं तो उन पर भी वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रावधान लागू होंगे।

❑ ताहिर अली

पुस्तक चर्चा

'अभियान' की बारीकियों को समझाती पुस्तिका

खुले में शौच से मुक्ति के लिये राज्य शासन ने निर्मल भारत परियोजना के अनुरूप ही प्रदेश में 'मर्यादा अभियान' का भी संचालन किया जा रहा है। किसी भी ऐसे अभियान के लिये मैदानी कार्यकर्ताओं का दक्ष होना तो जरूरी होता ही है साथ ही जरूरी होती है एक सुव्यवस्थित कार्ययोजना। राज्य सरकार ने 'मर्यादा अभियान' के नाम से खुले में शौच से मुक्ति के लिये जो एक योजना बनाई है उसमें कब-क्या और कैसे होगा यह भी सुनिश्चित किया गया है। इस योजना को समझने, समझाने के नजरिये से एक पुस्तिका 'मर्यादा अभियान' का प्रकाशन किया गया है।

पुस्तिका के आरम्भिक अध्याय में 'मर्यादा अभियान' की पृष्ठ भूमि को समझाया गया है और भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के 'निर्मल भारत अभियान' से उसकी सम्बद्धता को दर्शाया गया है। खुले में शौच से मुक्ति के लिए तैयार की गई इस योजना से घरों में शौचालयों के निर्माण का मार्ग तो प्रशस्त होगा ही इस कदम से वातावरण को प्रदुषित होने से भी बचाया जा सकेगा। इसके बाद के अध्याय में 'मर्यादा अभियान' के उद्देश्यों को स्पष्ट किया गया है। इस अध्याय में मुख्य रूप से खुले में शौच की प्रथा को समाप्त करना और शौच के उपरान्त साबुन से हाथ धोने अर्थात् मल से मुख तक होने वाले संक्रमण को रोकना है।

अगले अध्याय में यह बताया गया है कि मर्यादा अभियान का उद्देश्य हर परिवार में शौचालयों का निर्माण ही नहीं गाँवों में सभी के लिये स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध करवाना भी है। इसी तारतम्य में गाँव में बनने वाले सभी व्यक्तिगत शौचालयों में पानी की सुचारु व्यवस्था करना, ग्रामीण महिलाओं के आत्म सम्मान को बढ़ाना और शालाओं में भी स्वच्छता सुविधा बढ़ाना है जिससे शाला छोड़ने की प्रवृत्ति में गिरावट हो। 'मर्यादा अभियान' के अंतर्गत प्रदेश के सभी गाँवों को लिए जाने का कार्यक्रम है और पुस्तिका में यह स्पष्ट किया गया है कि 'मर्यादा अभियान' को प्रदेश में लागू किया जाएगा। प्रथम चरण में यह अभियान उन पाँच हजार आठ सौ गाँवों में आरम्भ किया जाएगा जहाँ पंचायत स्तर पर नल-जल योजनाएं विद्यमान हैं और वो सुचारु तरीके से चल रही हैं। इस चरण में इन पाँच हजार आठ सौ गाँवों के अलावा बुरहानपुर जिले, सीहोर जिले की बुधनी जनपद और धार जिले की बदनावर जनपद की भी सभी पंचायतें शामिल होंगी। दूसरे चरण में प्रदेश के उन सभी गाँवों में जहाँ नल-जल योजनाएं बन्द पड़ी हैं वहाँ पर उन नल-जल योजनाओं को आवश्यक सुधार कर पुनः आरम्भ किया जाएगा ताकि वहां मर्यादा अभियान चलाया जा सके। तीसरे चरण में प्रदेश के सभी बकाया गाँवों में मर्यादा अभियान चलाया जायेगा।

पुस्तिका के एक अध्याय में सूचना, शिक्षा एवं व्यवहार परिवर्तन के प्रभाव को समझाया गया है। इसी अध्याय में यह बताया गया है कि मर्यादा अभियान की सफलता के लिये पहले गाँव वालों के व्यवहार में परिवर्तन लाना होगा और इसके लिये ग्राम स्वास्थ्य तदर्थ समिति के सदस्य ग्रामीण महिलाओं को इस दिशा में प्रेरित करेंगे और गाँवों में अभियान की सफलता के लिये स्वच्छता दूत का चयन भी किया जायेगा। इस अध्याय में यह भी बताया जाएगा कि युवा संगठनों, एन.सी.सी., एन.एस.एस. और भारत स्काउट्स एवं गाईड्स जैसे संगठनों का उपयोग भी प्रचार-प्रसार में होगा।

पुस्तिका में पृथक-पृथक अध्यायों में व्यापक संचार गतिविधियों के संचालन, पारिवारिक शौचालयों की लागत एवं निर्माण एजेन्सियों के निर्धारण और पारिवारिक शौचालयों के लिये वित्त प्रबंधन के बारे में बताया गया है। पुस्तिका में आँगनवाड़ी में शौचालय निर्माण की जरूरत को समझाया गया है। मर्यादा अभियान के अंतर्गत जब कोई गाँव यह घोषित कर देगा कि गाँव में सभी परिवारों में व्यक्तिगत शौचालय बन गये हैं और गाँव का कोई भी व्यक्ति खुले में शौच को नहीं जाता है तब स्वच्छता उत्सव मनाने की व्यवस्था का जिक्र भी पुस्तिका में किया गया है। गाँवों की शालाओं में भी शौचालयों के निर्माण, सामुदायिक स्वच्छता परिसर के निर्माण और मर्यादा अभियान की पृष्ठभूमि को समझाने का यत्न भी एक पृथक अध्याय में किया गया है।

* मर्यादा अभियान : नारी विकास सर्वोपरि पुस्तिका * प्रकाशक - पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग (मध्यप्रदेश शासन)

❑ राजा दुबे

त्रैमासिक विभागीय समीक्षा

समावेशी विकास की बुनियाद हैं समीक्षाएँ

त्रैमासिक विभागीय समीक्षा के अंतर्गत वर्ष 2012-2013 के प्रथम त्रैमास की समीक्षा का दौर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सात अगस्त से आरम्भ किया था। सात, आठ, नौ और तेरह अगस्त को चार दिनों में मुख्यमंत्री जी ने अड़तीस विभागों की समीक्षा की। इस प्रकार की समीक्षा बैठकों से विभाग के वार्षिक लक्ष्यों को प्रत्येक त्रैमास में आनुपातिक दृष्टि से प्राप्त किया जा रहा है या नहीं यह तथ्य सामने आता है। इस बार मुख्यमंत्री ने पिछली समीक्षा बैठकों में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की जाँच भी की और पिछली बैठकों में लिए गए निर्णयों का क्रियान्वयन न होने पर लापरवाही करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश भी दिये। समीक्षा का पैटर्न सुपरिभाषित होने से एक ओर जहाँ समीक्षा में अपेक्षाकृत कम समय लगा वहीं अधिकांश विभागों में जानकारियों के कम्प्यूटरीकरण से तथ्यों के साथ छेड़छाड़ की आशंका भी नहीं बनी है। बोध वाक्य वाले अंदाज में कहें तो यह समीक्षा समावेशी विकास की बुनियाद है।

स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सरपंच पुरस्कृत होंगे - ग्राम स्वच्छता के लिये जनजागृति बेहद जरूरी है और जन प्रतिनिधि के रूप में सरपंच जनजागरण की सबसे समर्थ इकाई होता है इसीलिए मुख्यमंत्री, शिवराज सिंह चौहान ने ग्राम स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सरपंचों को पुरस्कृत करने का निर्णय लिया है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक में यह घोषणा की गई। बैठक में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए ग्रामीण बाजारों को आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने की बात भी की गई। बैठक में मनरेगा के अंतर्गत अधिक से अधिक मानव दिवसों के सृजन और सभी ग्रामीण योजनाओं के संचालन में लक्ष्यों की प्राप्ति को सबसे महत्वपूर्ण बताया गया।

निशक्तजन के लिये अलग से होगी भर्ती परीक्षा - शासकीय सेवा में निशक्तजन की भर्ती के लिये अब पृथक से भर्ती परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। यह निर्णय सामाजिक न्याय विभाग की समीक्षा बैठक में लिया गया। 'स्पर्श अभियान-दो' को जनआन्दोलन का रूप दिये जाने और निशक्तजन दो कृत्रिम अंग और उपकरण उपलब्ध करवाने और करेक्टिव सर्जरी के लिये जो शिविर लगाये जायें उन शिविरों का आयोजन समीपस्थ मेडीकल कॉलेजों के साथ समन्वय कायम कर किया जावे और समाजसेवी संस्थाओं और अशासकीय संस्थाओं से भी उन्हें सम्बद्ध किया जाये। समीक्षा बैठक में राज्य निशक्तजन पुनर्वास मिशन के गठन का निर्णय भी लिया गया।

जनदर्शन में श्रमिकों से भी मिलेंगे मुख्यमंत्री - मध्यप्रदेश, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम के तहत इक्कीस लाख बीस हजार श्रमिकों का पंजीयन करने वाला देश का पहला राज्य हो गया है। यह जानकारी श्रम विभाग की त्रैमासिक समीक्षा बैठक में दी गई। बैठक में यह भी बताया गया कि इन श्रमिकों की शीघ्र ही भोपाल में महापंचायत होगी और मुख्यमंत्री अपने अगले

शहरी दर्शन कार्यक्रम में इन श्रमिकों से भी मिलेंगे।

मालवा को बंजर होने से बचायेंगे - जल संसाधन विभाग की त्रैमासिक समीक्षा में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि मालवा को बंजर होने से बचाने के लिए नर्मदा का जल मालवा क्षेत्र में ले जाने की एक व्यावहारिक कार्ययोजना बनाई जाये। विभागीय निर्माण कार्यों में ई-मेजरमेन्ट और ई-पेमेन्ट व्यवस्था लागू करने और प्रदेश के सभी सिंचाई जलाशयों को नेट से जोड़े जाने का निर्णय भी लिया गया। समीक्षा में सिंचाई परियोजनाओं के नए प्रस्तावों पर भी चर्चा की गई।

हर गांव में बनेगा खेल मैदान - प्रदेश के हर गांव में खेल मैदान बनाने का महत्वपूर्ण निर्णय गत दिनों खेल एवं युवा कल्याण विभाग की त्रैमासिक समीक्षा बैठक में लिया गया। बैठक में यह निर्णय भी लिया गया कि प्रदेश में टेलेन्ट सर्च के माध्यम से प्रतिभाशाली एवं उदीयमान खिलाड़ियों को व्यापक प्रशिक्षण दिया जायेगा और उन्हें ओलम्पिक खेलों के लिये तैयार किया जाएगा। बैठक में यह निर्णय भी लिया गया कि बरखेड़ा नाथू गाँव में शूटिंग अकादमी के पास ही अन्तरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा।

प्रदेश के पटवारी पायेंगे लैपटॉप - प्रदेश में भूमि संबंधी आँकड़ों, भूमि मापन और रिकार्ड शुद्धता के लिये सभी पटवारियों को लैपटॉप दिये जायेंगे और प्रदेश में भूमि प्रबंधन मिशन भी बनाया जाएगा यह निर्णय राजस्व विभाग की त्रैमासिक समीक्षा बैठक में लिया गया। बैठक में यह निर्णय भी लिया गया कि राष्ट्रीय भू-अभिलेख प्रबंधन कार्यक्रम में नक्शे के डिजीटाइजेशन को भी गति दी जायेगी। लोक सेवा प्रदाय व्यवस्था के जरिए राजस्व सेवा का बेहतर प्रदाय किया जा रहा है, यह जानकारी भी दी गई।

'स्मार्ट क्लास प्रोजेक्ट' सौ कॉलेजों में- मध्यप्रदेश के सौ कॉलेजों में स्मार्ट क्लास प्रोजेक्ट लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिये एक केन्द्रीय स्टूडियो भी तैयार किया जाएगा। यह निर्णय उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में लिया गया। बैठक में विश्वविद्यालय परिनियमों में संशोधन, शासकीय महाविद्यालयों में ऑनलाइन प्रवेश और उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए विश्व बैंक परियोजना शीघ्र लागू किये जाने की बात भी कही।

स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ायें - स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाये जाने की व्यापक योजना के निर्देश विभाग की त्रैमासिक समीक्षा में दिए गए। शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों के सुदृढ़ीकरण के लिये एक सौ साठ करोड़ रुपयों की योजना केन्द्र सरकार को भेजने, राज्य शिक्षा सेवा का गठन करने, शिक्षा अधिकार अधिनियम में संशोधन के लिये केन्द्र सरकार को अनुरोध-पत्र भेजने, शिक्षकों के लिये आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाने और सभी दाखिल बच्चों को गणवेश, साइकिलें और किताबों को दिये जाने और उसका भौतिक सत्यापन करने का निर्णय भी लिया गया।

जलवायु परिवर्तन कार्ययोजना बनी - मध्यप्रदेश जलवायु परिवर्तन की कार्ययोजना बनाने वाला देश का पहला राज्य है। यह जानकारी पर्यावरण विभाग की त्रैमासिक समीक्षा बैठक में दी गई। बैठक में नर्मदा नदी में प्रदूषण नियंत्रण की महत्वाकांक्षी कार्ययोजना बनाने, नगरीय क्षेत्रों में पर्यावरण प्रबंधन और प्रदूषण नियंत्रण के लिये प्रमुख नगरीय निकायों की बैठक बुलाने और तीन नगरों चित्रकूट, ओरछा और अमरकंटक के मास्टर प्लान बनाने और भोपाल में बन रहे - 'शौर्य स्मारक' को मार्च2013 तक पूरा करने का निर्णय भी लिया गया।

गांवों में घर-घर नल कनेक्शन लगेंगे - मुख्यमंत्री पेयजल योजना से अब प्रदेश के गांवों में घर-घर नल कनेक्शन की सुविधा

मिलेगी यह निर्णय लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की त्रैमासिक समीक्षा में लिया गया। बैठक में यह निर्णय भी लिया गया कि पेयजल योजनाएं आगामी तीस साल की पेयजल जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई जाएं। विभाग में ई-मेजरमेन्ट और ई-पेमेन्ट व्यवस्था लागू करने, शत-प्रतिशत हैंडपम्प की जानकारी नेट पर डालने और समूह नल-जल योजनाओं तथा नल-जल निकास तथा उपचार योजनाओं के क्रियान्वयन, संचालन, संधारण के लिये मध्यप्रदेश जल निगम के गठन का निर्णय भी लिया गया।

सभी जिलों में लगेंगी डायलिसिस मशीनें - किडनी के मरीजों के निःशुल्क इलाज के लिये सभी जिला अस्पतालों में

डायलिसिस मशीनें लगाई जाएंगी। यह जानकारी गत दिनों स्वास्थ्य विभाग की त्रैमासिक समीक्षा बैठक में दी गई। बैठक में थेलेसिमिया व सिकल सेल बीमारियों के लिए पचास लाख रुपयों की उपचार निधि बनाने, राज्य सहायता निधि से गरीबों को सहायता राशि दिये जाने की प्रक्रिया को और सुगम बनाने और मलेरिया के संक्रमण को रोकने की बात भी कही गई।

कृषि ऋण में आरक्षित वर्ग की भागीदारी बढ़ायें - सहकारी बैंकों और सहकारी समितियों द्वारा दिये जाने वाले कृषि ऋण में अनुसूचित जाति और जनजाति के किसानों की भागीदारी बढ़ाने की विशेष पहल किये जाने के निर्देश सहकारिता विभाग की समीक्षा में दिये गये। सहकारी बैंकों में वर्ष 2013 तक कोर बैंकिंग लागू करने, सहकारिता क्षेत्र में कम्प्यूटर प्रशिक्षण का विस्तार करने और सहकारी ऋण के लिये ब्याज दर में कमी के प्रभाव के आकलन का निर्णय भी लिया गया।

नर्मदा नदी को क्षिप्रा से जोड़ा जाएगा- नर्मदा-क्षिप्रा-सिंहस्थ लिंक योजना में ओंकारेश्वर नहर से बड़वाह के समीप से नर्मदा नदी का दस क्यूसेक पानी लिफ्ट कर इन्दौर जिले के ग्राम उज्जैनी के समीप क्षिप्रा नदी में डाला जाएगा। नर्मदा घाटी विकास विभाग ने इसके लिए चार सौ बत्तीस करोड़ रुपयों की योजना भी तैयार की है यह जानकारी विभाग की समीक्षा बैठक में दी गई। नर्मदा घाटी विकास की सभी परियोजनाएं समय सीमा में पूरा करने का निर्णय भी बैठक में लिया गया।

कमजोर वर्ग के लिये बनें आवास योजनाएं - कमजोर वर्गों के लिये प्रदेश में नये आवासों के लिये बड़ी संख्या में योजनाएँ बनाने के निर्देश दिये गए हैं और राज्य शासन की नई आवास नीति भी जल्द ही तैयार हो जायेगी यह जानकारी आवास विभाग की समीक्षा बैठक में दी गई। बैठक में यह निर्णय भी लिया गया कि कमजोर वर्ग के लिये भोपाल में चौदह सौ और जबलपुर में तेरह सौ आवास बनाये जायेंगे और भोपाल में बाग मुगलिया में झुग्गी बस्ती के पुनर्वास के अंतर्गत आवास बनेंगे।

समय पर चलेंगी मेट्रो ट्रेन - भोपाल और इन्दौर में मेट्रो ट्रेन परियोजनाओं का प्रचालन निर्धारित समय पर किया जाये यह निर्देश मुख्यमंत्री ने नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की समीक्षा बैठक में दिये। बैठक में अमरकंटक से गुजरात की सीमा तक नर्मदा नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिये नर्मदा किनारे के त्रेपन शहरों की नल-जल निकासी परियोजनाएं बनाने तथा घरेलू कामकाजी महिलाओं को प्रशिक्षण देकर उनके रोजगार के अवसरों के परीक्षण का निर्णय भी लिया गया।

समय पर पूरा हो फीडर सेपरेशन कार्य -प्रदेश में जनवरी 2013 से घरों में चौबीस घण्टे बिजली प्रदाय के लिये फीडर सेपरेशन का काम तेजी से किया जा रहा है। प्रदेश में कुल छः हजार दो सौ बासठ फीडर में से दो हजार उनहत्तर फीडर का सेपरेशन किया जा चुका है और सभी फीडर सेपरेशन का काम नियत समय में हो जायेगा। यह जानकारी ऊर्जा विभाग की त्रैमासिक समीक्षा बैठक में दी गई। बैठक में यह निर्देश भी दिए गए कि ऊर्जा विभाग सभी संभावनाओं को ध्यान में रख काम करें।

उत्पादन के साथ उत्पादकता भी बढ़ायें - कृषि क्षेत्र में विभिन्न फसलों के उत्पादन में हो रही बढ़ोत्तरी के साथ ही प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादन बढ़ाने का निर्णय किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग की समीक्षा बैठक में लिया गया। बैठक में धान उत्पादन की मेडागास्कर पद्धति 'रिज टू फरो' को बढ़ावा देने, कोदो-कुटकी के उत्पादन को बढ़ावा देने, इन मोटे अनाजों के लिये भी समर्थन मूल्य की घोषणा करने और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का पूरा लाभ लेने का निर्णय भी लिया।

बिगड़े वनों के सुधार की योजना बनेगी - प्रदेश में बिगड़े वनों की सुधार की व्यापक कार्ययोजना बनेगी, यह निर्णय वन विभाग की समीक्षा बैठक में लिया गया। वनों में नए अतिक्रमणों को सख्ती से रोकने, वनौषधि निर्माण के कार्य को विस्तार देने, वन और वन्य प्राणी की सुरक्षा तथा जनता की सुविधाओं का ध्यान रखने, छोटे वन अपराधों के लम्बित प्रकरण तुरन्त निपटाने और वन अधिकार पत्रों के वितरण की समीक्षा के निर्णय भी लिए गए।

'बेटी बचाओ अभियान' का द्वितीय चरण जल्दी ही - बेटी बचाओ अभियान का द्वितीय चरण प्रदेश में जल्दी ही आरम्भ किया जाएगा साथ ही प्रदेश में पोषण स्तर का एक राज्यव्यापी सर्वेक्षण भी किया जाएगा। यह निर्णय महिला बाल विकास विभाग की समीक्षा के दौरान लिये गये। बैठक में किशोरी बालिकाओं के व्यावसायिक प्रशिक्षण की कार्ययोजना बनाने और प्रदेश के सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों की जी.आई.एस. मैपिंग का निर्णय भी लिया गया।

परिवहन व्यवस्था में सुधार होगा - प्रदेश में परिवहन व्यवस्था के सुधार की विस्तृत कार्ययोजना बनाने, ऐसी कार्ययोजना में यात्रियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखने, परिवहन से जुड़े लायसेन्स और रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था का सरलीकरण करने, भोपाल-इन्दौर-ग्वालियर और जबलपुर में आर.टी.ओ. भवन बनाने और विभिन्न सरकारी योजनाओं के अंतर्गत वाहन पाने वाले बेरोजगार युवकों को वाहन परमिट दिये जाने में वरीयता का निर्णय भी लिया गया।

परियोजना क्रियान्वयन इकाईयाँ मजबूत हों - प्रदेश के विभिन्न विभागों के भवनों का निर्माण पूरी गुणवत्ता के साथ तेजी से पूरा करने के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा स्थापित परियोजना क्रियान्वयन इकाईयों को सुदृढ़ बनाया जायेगा। यह निर्णय भवन निर्माण कार्यों की समीक्षा की उच्चस्तरीय बैठक में लिया गया। बैठक में यह निर्णय भी लिया गया कि ये इकाईयाँ निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर निगरानी, समय-सीमा में निर्माण कार्य पूरा करवायेंगी एवं तकनीकी कमियों को दूर करेंगी।

अनुसूचित जनजाति की आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति में सुधार के प्रयास हों - केन्द्र सरकार से अनुसूचित जनजाति से संबंधित योजनाओं की किश्तें विलम्ब से प्राप्त होने से योजनाओं के क्रियान्वयन में बाधा आती है। मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने निर्देश दिये हैं कि विभागीय मंत्री स्वयं दिल्ली जाकर समय पर किश्त जारी कराने के प्रयास करें जरूरत पड़ने पर वे खुद भी पहल करेंगे। श्री चौहान आदिम जाति कल्याण विभाग की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में आदिम जाति कल्याण मंत्री कुंवर विजय शाह, प्रमुख सचिव श्री शैलेन्द्र सिंह, सचिव श्रीमती सूरज डामोर, वित्त विकास निगम की एम.डी. श्रीमती वीणा घाणेकर, आयुक्त आदिवासी विकास श्री आशीष उपाध्याय भी उपस्थित थे। बैठक में जानकारी दी गयी थी कि केन्द्र से प्रथम किश्त विलम्ब से प्राप्त हुयी थी। बैठक में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अनुसूचित जनजाति की आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति में सुधार के विशेष प्रयास किये जायें। आदिवासी समाज आज भी संकोची है। उद्योगों, व्यवसायों में उनका प्रतिनिधित्व तो कम है ही अनेक शासकीय नौकरियों में भी बैकलॉग बना रहता है। उन्होंने विभाग की चिन्हित योजनाओं के लिये दो हजार 257 करोड़ के प्रस्तावों पर सहमति व्यक्त करते हुये आगे प्रत्येक प्रस्ताव की उपयोगिता पर अलग से चर्चा करने के निर्देश दिये। इन प्रस्तावों में जबलपुर तथा इंदौर में पाँच-पाँच सौ सीटर कन्या पोस्ट मैट्रिक छात्रावास, विद्यार्थियों को स्टेशनरी भत्ता, मेडिकल, इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों को लैपटॉप, कौशल उन्नयन, आश्रम छात्रावास में निवासरत बच्चों को निःशुल्क स्वेटर, जूते, मोजे प्रदाय आदि प्रस्ताव शामिल हैं। उन्होंने रोजगार के नये अवसरों को सृजित करने के साथ ही कौशल उन्नयन के रोजगार बहुलता वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ करने के निर्देश दिये। इस अवसर पर बताया गया कि विमुक्त एवं घुमक्कड़, अर्धघुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग द्वारा पहली बार 11 हजार जाति प्रमाण-पत्र वितरित किये गए हैं। बैठक में विभागीय मंत्री श्री विजय शाह, अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के अध्यक्ष श्री इन्द्रेश गजभिए, सचिव श्री मोहनराव, आयुक्त श्री जे.एन. मालपानी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

❑ राजेश शर्मा

मुख्यमंत्री ने किया विन्टेज भोपाल का विमोचन

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गत दिनों भोपाल में 'विन्टेज भोपाल' पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक में भोपाल व आसपास के क्षेत्रों के इतिहास का सचित्र रोचक विवरण दिया गया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान से भोपाल में सिंगापुर के काउन्सलेट जनरल श्री ली चुंग यिंग लिन ने भेंटकर मध्यप्रदेश में निवेश को लेकर रुचि दिखाई। विगत दिनों मुख्यमंत्री ने निवेशकों से सीधी चर्चा कर कहा कि वे किसी भी स्तर पर प्रक्रियागत बाधा आने पर सीधे संवाद कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार निवेश प्रक्रियाओं में पूरी तरह पारदर्शिता रखने के लिये प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने गत दिनों मुम्बई में छतरपुर जिले से प्राप्त हीरों से बने आभूषणों की प्रदर्शनी का लोकार्पण भी किया। यह जानकारी हमारे लिये श्री नवीन पुरोहित ने संकलित की है।

मुख्यमंत्री ने किया पुस्तक 'विन्टेज भोपाल' का विमोचन

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने विगत दिनों मंत्रालय में 'विन्टेज भोपाल' पुस्तक का विमोचन किया। पुस्तक में भोपाल तथा आस-पास के क्षेत्रों के इतिहास का सचित्र रोचक विवरण दिया गया है। 'विन्टेज भोपाल' पुस्तक का लेखन सचिव खेल एवं युवा कल्याण श्री अशोक शाह और उप संचालक पुरातत्व सुश्री गीता

सभरवाल द्वारा किया गया है। पुस्तक का लेखन श्री शाह ने तब किया था जब वे आयुक्त पुरातत्व थे। पुस्तक में पुराने भोपाल के बारे में अनेक खोजपरक जानकारियाँ दी गयी हैं। लेखक द्वय ने अपनी खोज में बताया है कि एक समय था जब श्यामला हिल्स, राजभवन क्षेत्र, गुफा मंदिर क्षेत्र में प्रागैतिहासिक मानव विकास करता था। नेपोलियन तृतीय द्वारा साँची के एक द्वार की मांग के कारण इसके पूर्वी द्वार की अनेक प्रतिकृतियाँ तैयार की गयीं। बाद में यह प्रतिकृतियाँ यूरोप के मुख्य संग्रहालयों में सजायी गयीं। श्री अशोक शाह को आशापुरी के 25 मंदिरों की खोज का श्रेय भी है। आयुक्त पुरातत्व के कार्यकाल में उन्होंने पत्थरों का ढेर दिखने वाले इन मंदिरों के पूर्ण उद्धार की योजना भी बनायी थी। विमोचन के मौके पर मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री मनोज श्रीवास्तव और जनसम्पर्क आयुक्त श्री राकेश श्रीवास्तव भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री से मिले काउन्सलेट जनरल श्री यिंग लिन

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्यप्रदेश पूँजी निवेश के लिये आदर्श प्रदेश के रूप में उभरा है। इसमें भारत सहित दुनिया की कई बड़ी कम्पनियों ने रुचि दिखाई है। सिंगापुर भी इसमें भागीदारी करे। मुख्यमंत्री श्री चौहान गत दिनों मंत्रालय में सिंगापुर के काउन्सलेट जनरल श्री ली चुंग यिंग लिन से चर्चा कर रहे थे। श्री ली ने कहा कि सिंगापुर स्किल डेवलपमेंट, पर्यटन और अधोसंरचना के क्षेत्र में निवेश में रुचि रखता है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि हम सिंगापुर को भारत के करीब पाते हैं और चाहते हैं कि इंदौर में आगामी 28 अक्टूबर से होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में सिंगापुर पार्टनर कंट्री बने। उन्होंने कहा कि सिंगापुर से उद्यमियों का बड़ा प्रतिनिधि-मंडल इन्वेस्टर्स मीट में आये। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में हम वोकेशनल यूनिवर्सिटी शुरू करने

जा रहे हैं। प्रदेश में स्किल डेवलपमेंट मिशन चलाया जा रहा है। इसके माध्यम से युवाओं को उद्योगों में काम के लिये प्रशिक्षित कर रहे हैं। प्रदेश में इको टूरिज्म में बड़ी संभावनाएँ हैं। साथ ही ऐतिहासिक स्थलों को केन्द्र बनाकर भी पर्यटन गतिविधियाँ विकसित की जा सकती हैं। श्री ली ने कहा कि सिंगापुर द्वारा राष्ट्र स्तर पर स्किल डेवलपमेंट के लिये केन्द्र से एमओयू किया गया है। इसके अंतर्गत मध्यप्रदेश में भी स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में काम किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि वोकेशनल यूनिवर्सिटी उद्योगों को प्रशिक्षित मानव संसाधन उपलब्ध करा सकती है। उन्होंने प्रदेश की प्राकृतिक और वन संपदा की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि पर्यटन के क्षेत्र में सिंगापुर मध्यप्रदेश को विशिष्ट सहयोग कर सकता है।

मुख्यमंत्री की निवेशकों से सीधी चर्चा

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गत दिनों मंत्रालय में निवेशकों से चर्चा की और निवेश प्रक्रिया संबंधी औपचारिकताओं को शीघ्रता से पूरा करने के निर्देश दिये। श्री चौहान ने कहा कि राज्य सरकार निवेश प्रक्रियाओं में पूरी तरह पारदर्शिता रखने के लिए प्रतिबद्ध है। निवेश के माध्यम से विकास और रोजगार निर्माण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने निवेशकों से कहा कि वे किसी भी स्तर पर प्रक्रियागत बाधा आने उनसे पर सीधे संवाद कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री चौहान ने पहल करते हुये

हर सोमवार को निवेशकों से मुलाकात का समय तय किया है। जिन कंपनियों और समूहों के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री से मिलकर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की उनमें रियो टिंटो, मेस्को माइनिंग, शिवा ग्लोबल, भूषण स्टील, अल्ट्राटेक और एबीजी सीमेंट शामिल थे। बैठक में उद्योग मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय, खनिज राज्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ला, मुख्य सचिव श्री आर. परशुराम, अपर मुख्य सचिव खनिज एवं वन श्री देवराज बिरदी, प्रमुख सचिव पर्यावरण श्री इकबाल सिंह बैंस, प्रमुख सचिव राजस्व श्री बी.पी. सिंह, उद्योग आयुक्त श्री राजेश चतुर्वेदी एवं व्यापार एवं निवेश सहायता निगम के प्रबंध संचालक श्री अरुण भट्ट तथा मुख्यमंत्री के सचिव श्री एस.के. मिश्रा उपस्थित थे।

मध्यप्रदेश के हीरों के आभूषणों की प्रदर्शनी का अनावरण

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्यप्रदेश के हीरे अब पूरी दुनिया में चमक रहे हैं। उन्होंने हीरे की कटिंग और पॉलिशिंग के क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं को रेखांकित करते हुए

निवेशकों को इस तेजी से उभरते क्षेत्रमें निवेश करने का आमंत्रण दिया। श्री चौहान ने बताया कि इन्दौर में जेम्स ज्वेलरी पार्क स्थापित किया जा रहा है। इस पार्क में विश्व-स्तरीय अधोसंरचना उपलब्ध करवाई जायेगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान गत दिनों मुम्बई में छतरपुर जिले से प्राप्त हीरों के आभूषणों की प्रदर्शनी के अनावरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उल्लेखनीय है कि रियो टिन्टो एक्सप्लोरेशन इंडिया प्रायवेट लिमिटेड द्वारा बंदर, विकासखण्ड बक्सवाहा में हीरा उत्खनन का काम किया जा रहा है। डायमंड आभूषणों की डिजाइन मध्यप्रदेश की ही सुश्री रीना अहलुवालिया ने तैयार की। इन आभूषणों को प्रदेश की महिला शक्ति के नाम समर्पित किया गया। श्री चौहान ने कहा कि निवेशकों को दी जा रही सुविधाओं के चलते मध्यप्रदेश एक महत्वपूर्ण निवेश क्षेत्र के रूप में सामने आया है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश निवेश मित्र राज्य होने के साथ-साथ शांति का टापू है। उन्होंने बताया कि उद्योगों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर ज्यादा से ज्यादा रोजगार उपलब्ध करवाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। श्री चौहान ने कहा कि रियो टिन्टो द्वारा प्रदेश में किये जा रहे हीरा उत्खनन कार्य में संलग्न 70 प्रतिशत कारीगर प्रदेश के हैं।

ग्रामीण विकास विभाग का उच्च-स्तरीय दल चीन पहुँचा

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव के नेतृत्व में अध्ययन के उद्देश्य से चीन और अमेरिका की यात्रा पर गए विभागीय वरिष्ठ अधिकारियों के दल ने गत दिनों चीन के गुंगझोऊ क्षेत्र के ग्रामीण अँचलों में विभिन्न परियोजनाओं का अवलोकन किया। बीस दिवसीय अध्ययन-भ्रमण में दल के सदस्य चीन और अमेरिका के विभिन्न स्थानों का भ्रमण करेंगे। यह दल22 अगस्त की रात्रि में नई दिल्ली लौटेगा। दल खासतौर से इन देशों की ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिये ग्रामीण अँचलों में आजीविका के विकास कार्यक्रमों को लागू करने के लिये हुई कार्यवाहियों का जायजा लेगा। इस भ्रमण से मध्यप्रदेश में भी गाँवों के विकास और ग्रामीणों की आजीविका योजनाओं के सुचारु अमल में मदद मिलेगी।

मध्यप्रदेश में ग्रामीण अँचलों के सर्वांगीण विकास के लिये कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की शुरुआत की गई है, जिससे ग्रामीणों के आर्थिक उत्थान के साथ-साथ गाँवों की नई तस्वीर बन रही है। पंच-परमेश्वर योजना के अंतर्गत सभी 23 हजार 12 ग्राम-पंचायतों में पक्के आंतरिक मार्गों और नालियों का निर्माण हो रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम-सड़क और मुख्यमंत्री ग्राम-सड़क योजना के तहत बारहमासी पक्की सड़कों के जरिये सुदूर अँचलों तक सम्पर्क सुविधाएँ सुलभ कराई जा रही हैं। महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के जरिये मेढ़-बँधान और ग्रामीणों के खेतों के सुधार तथा निकास के गंदे पानी का फलोद्यान विकास के लिये उपयोग कर ग्राम-वासियों के आर्थिक विकास को मजबूत बनाया जा रहा है। इसके अलावा आजीविका के विभिन्न कार्यक्रमों के जरिये ग्रामीण महिलाओं के स्व-सहायता समूहों की महिला सदस्यों को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास हो रहे हैं। इन समूहों के द्वारा निर्मित सामग्री के विक्रय के लिये उत्पादक कम्पनियों और फेडरेशनों का गठन कर सामग्री का बेहतर मूल्य उपलब्ध कराने के संगठित प्रयास हो रहे हैं।

अध्ययन-भ्रमण से लौटने के बाद चीन और अमेरिका में ग्रामीण विकास की विभिन्न परियोजनाओं के बेहतर प्रबंध और तौर-तरीकों के अनुभवों को प्रदेश में स्थानीय रूप से उपयोग कर ग्रामीण जन-जीवन को खुशहाल बनाने की दिशा में सुनियोजित प्रयासों को बढ़ावा दिया जायेगा।

❑ देवेन्द्र जोशी

15 अगस्त से ग्राम-सभाओं का आयोजन

आगामी 15 अगस्त से प्रदेश में चरणबद्ध ग्राम-सभाएँ सभी ग्राम-पंचायतों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र की ग्राम-सभाओं में निश्चित कार्य-सूची के स्थायी विषयों के साथ-साथ 18 महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा करवाई जायेगी। ग्राम-सभाओं के आयोजन की सूचना ग्राम-पंचायत के सूचना-पटल के साथ महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थलों पर लगाई जायेगी। इसके अलावा परम्परागत डोंडी (मुनादी) द्वारा भी लोगों को ग्राम-सभा के आयोजन की जानकारी दी जायेगी।

ग्राम-सभाओं की शुरुआत में देश की स्वतंत्रता में योगदान देने वाले महापुरुषों के जीवन पर प्रकाश डाला जायेगा। ग्राम-स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति के सदस्य भी ग्राम-सभा में सक्रियता से भागीदारी करेंगे। ग्राम-सभा में इस बार वृक्षारोपण, मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम, ग्राम में स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था तथा टीकाकरण और स्वास्थ्य कार्यकर्ता की उपलब्धता पर चर्चा होगी। मनरेगा के कार्यों तथा विभागीय योजनाओं और कार्यक्रमों का सामाजिक अंकेक्षण होगा। मध्यप्रदेश लोक-सेवाओं के प्रदान की गारंटी नियम के बारे में भी ग्रामीणों को जानकारी दी जायेगी। हरियाली चुनरी तथा नर्मदा परिक्रमा-पथ के विकास पर विचार-विमर्श होगा। समग्र स्वच्छता अभियान के कार्यों की प्रगति की जानकारी ग्रामीणों को देते हुए समस्त शौचालयविहीन परिवारों को शौचालय निर्माण के लिये प्रेरित किया जायेगा। ग्राम सभा में सभी ग्रामीणों द्वारा अपने ग्राम को खुले में शौच से मुक्त कराने का संकल्प लिया जायेगा। मर्यादा अभियान के बारे में जागरूकता लाने के साथ ही महिलाओं के सम्मान की सुरक्षा के लिये प्रेरणा जागृत की जायेगी।

ग्राम-सभाओं में ग्रामीण अँचलों को कुपोषण के कलंक से मुक्त कराने का संकल्प लिया जायेगा और 6 वर्ष तक के बच्चों खासतौर से कुपोषित बच्चों को रोजाना आँगनवाड़ी केन्द्र लाने की व्यवस्था का अनुश्रवण होगा। शासकीय तथा अनुदानप्राप्त प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों को मिल रहे मध्यान्ह भोजन के बारे में जानकारी दी जायेगी। स्वच्छ पेयजल की सुलभता और नियमित आपूर्ति की व्यवस्था की समीक्षा होगी। सामाजिक सुरक्षा और इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन तथा अन्य सामाजिक सुरक्षा सहायता योजना के

(शेष अगले पृष्ठ पर)

ई-पेमेंट से मजदूरी भुगतान करने में बालाघाट प्रथम

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब मजदूरों को काम तो भरपूर मिल रहा है, लेकिन मजदूरी का भुगतान समय पर करना एक समस्या है। इस समस्या को हल करने के लिये बालाघाट जिला प्रशासन ने बैंक के सहयोग से मनरेगा मजदूरी भुगतान के लिए ई-पेमेंट का सफल प्रयोग किया है। ई-पेमेंट से मजदूरों को10 घंटे के भीतर मजदूरी का भुगतान कर बालाघाट मध्यप्रदेश राज्य ही नहीं वरन् देश का भी प्रथम जिला बन गया है।

मनरेगा के कार्यों में मजूदरों को समय पर मजदूरी भुगतान प्रारंभ से ही एक जटिल समस्या रहा है। इसमें दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक सुविधाओं का नहीं होना भी एक कारण रहा है। बालाघाट जिला नक्सल प्रभावित एवं आदिवासी बाहुल्य होने के कारण जिला प्रशासन का सदैव प्रयास रहा है कि मजदूरों को त्वरित भुगतान हो। जिला पंचायत से जनपद पंचायत, जनपद पंचायत से ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत से बैंक एवं बैंक से मजदूर के हाथ में मजदूरी की राशि पहुंचाने के लिए प्रदेश में सबसे पहले 15 अगस्त 2011 से बालाघाट जिले में बी.टी.एम. (बायो मेट्रिक कार्ड) से मजदूरी भुगतान शुरू किया गया। लेकिन इंटरनेट की समस्या एवं हितग्राही के अंगूठे के निशान का मिलान नहीं होने से कई बार इसमें भी समस्या आ जाती है। इस समस्या से निजात पाने के लिए ई-पेमेंट अपनाने का निर्णय लिया गया। कलेक्टर की पहल पर माह दिसम्बर 2011 से मनरेगा की मजदूरी भुगतान की राशि जिला पंचायत से सीधे ई-पेमेंट से ग्राम पंचायतों को भेजी जाने लगी। इससे मजदूरी भुगतान में लगने वाला 30 दिनों का समय घटकर 10 दिन रह गया।

तीन ग्राम पंचायत में हुआ प्रयोग - 16 अगस्त 2012 को ग्राम पंचायत अंसेरा, गर्रा एवं महदूली से मांग पत्र मस्टर रोल इन्ट्री प्रोजेक्ट साफ्टवेयर के माध्यम से ई-मेल के द्वारा जिला पंचायत को भेजा गया। जिला पंचायत की लेखा शाखा में इस मांग पत्र का परीक्षण कर उसी दिन एस.डी.एफ.सी. साफ्टवेयर के माध्यम से ई-मेल द्वारा तीनों ग्राम पंचायतों के 370 जाबकार्ड धारकों के बैंक खाते में 2 लाख 36 हजार 808 की राशि जमा करा दी गई।

300 से अधिक पंचायतों को ई-पेमेंट से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू - भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से जिला प्रशासन द्वारा 16 अगस्त को किया गया यह प्रयोग सफल रहा। अपनी इस पहल से उत्साहित जिला प्रशासन ने जिले की 692 ग्राम पंचायतों में से आधी पंचायतों को ई-पेमेंट से जोड़ने का कार्य प्रारंभ कर दिया है। इसके बाद इस व्यवस्था को जिले की सभी ग्राम पंचायतों में लागू कर दिया जायेगा। इस नई व्यवस्था से मजदूरों को मजदूरी के लिए एक दिन से अधिक का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

❑ देवेन्द्र जोशी

(पिछले पृष्ठ का शेष)

हितग्राहियों से संबंधित कार्य होंगे। ग्रामीण आवास योजना के क्रियान्वयन के बारे में चर्चा होगी और मुख्यमंत्री आवास मिशन का लाभ उठाने के बारे में बताया जायेगा। गरीबी की रेखा के नीचे वाले परिवारों और आवासहीन परिवारों की सूची भी ग्राम-सभा में पढ़ी जायेगी। पंच-परमेश्वर योजना के जरिये गाँव में हो रहे सी.सी. रोड निर्माण की प्रगति तथा निर्माण की गुणवत्ता पर ग्राम-सभा में चर्चा होगी।

स्कूल चलें हम अभियान के बारे में भी ग्रामीणों को जागरूक किया जायेगा। ग्राम-पंचायतों के क्षेत्राधिकार में आने वाले स्कूलों में शिक्षा के स्तर और शैक्षणिक कैलेण्डर के अनुसार निर्धारित पाठ्यक्रमों के अध्यापन के बारे में चर्चा होगी। स्कूल में स्वीकृत पदों पर शिक्षक की पद-स्थापना और शिक्षकों की नियमित रूप से स्कूलों में उपस्थिति तथा आवश्यकतानुसार अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के बारे में ग्राम-सभा में चर्चा होगी। ग्राम-सभा में बताया जायेगा कि शिक्षा समिति द्वारा शालाओं का कब-कब निरीक्षण किया गया है। आँगनवाड़ी केन्द्रों में वितरित किये जा रहे पोषण-आहार की गुणवत्ता और नियमित वितरण के बारे में भी जागरूकता जायेगी।

इन ग्राम-सभाओं में ग्राम में पदस्थ तथा कार्यरत आँगनवाड़ी और स्वास्थ्य कार्यकर्ता, हेण्ड-पम्प मैकेनिक, राशन दुकान के संचालक, मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम को चलाने वाली एजेंसी तथा कृषि और उद्यानिकी के कर्मचारी और डेयरी संचालक तथा मछली-पालन विभाग के कर्मचारी भी मौजूद रहेंगे।

❑ हरिओम गुप्ता

नरसिंहपुर में अनार की खेती

मीठे और स्वादिष्ट गन्ने और अरहर की खेती के लिए मशहूर नरसिंहपुर जिले में अब स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभप्रद 'अनार' की खेती की शुरुआत की गई है। यही नहीं बल्कि अनार की खेती शुरू करने वाले किसानों को जलगाँव (महाराष्ट्र) का एक्सपोजर भ्रमण करवाकर अनार की खेती के अवलोकन के साथ ही इसकी खेती की तकनीक और बारीकियों से भी अवगत कराया गया है।

जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना (डी.पी.आई.पी.) की पहल पर नरसिंहपुर जिले के कनवास संकुल के सर्रा-खड़ई गाँव में उद्यानिकी विभाग के समन्वय से पौधे प्राप्त कर लगभग 16 किसानों द्वारा अनार की भगवां किस्म की पौध लगाई गई है। प्रति एकड़ 250 पौधों के मान से अनार की पौध लगाई गई है, जिनमें चटख लाल रंग के फूल भी आने लगे हैं। इन कृषकों के खेतों में इसके पहले उद्यानिकी विभाग के समन्वय से ड्रिप सिंचाई पद्धति भी स्थापित की गई है।

अनार की खेती शुरू करने वाले सर्रा-खड़ई गाँव के किसान विष्णु, भगवत सिंह, डालचंद्र, हाकम, परसू, हरिप्रसाद एवं केवट बताते हैं कि हमने जलगाँव में अनार की खेती तथा कंजेरा (सागर) में पॉली मल्चिंग से मिर्च एवं सब्जी की खेती देखकर अपने यहाँ अनार की खेती शुरू की है। अनार के साथ हम इन खेतों में विभिन्न सब्जियों एवं पपीते का उत्पादन भी करेंगे। इसके लिए 14 किसानों के यहाँ लगभग 6 एकड़ में ड्रिप सिंचाई की गई है।

सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के नजदीक दूर-दूर तक फैले गन्ने के हरे-भरे खेतों से भरी गर्मी में होते हुए हम शक्कर नदी पार कर सर्रा-खड़ई गाँव पहुंचते हैं। भगवत सिंह के खेत में अनार के पौधे एवं उनमें लगे लाल फूल देखकर आभास होता है कि किसानों ने अपनी ओर से पूरा परिश्रम किया है। स्व-सहायता समूहों में शामिल महिलाएँ इसमें उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं।

जिला परियोजना प्रबंधक श्री उदय भदौरिया बताते हैं कि नरसिंहपुर जिले के किसानों को जलगाँव के साथ ही सागर जिले के कंजेरा (देवरी) का एक्सपोजर भ्रमण भी कराया गया। वहाँ किसानों ने पॉली मल्चिंग से मिर्च की खेती एवं पॉली हाउस में तैयार किये जाने वाले पौधों तथा ड्रिप सिंचाई पद्धति के इस्तेमाल का अवलोकन किया। अनार की खेती के साथ ही सब्जी उत्पादक किसानों को 'मड़वा पद्धति' से सब्जी उत्पादन करने के लिए भी मार्गदर्शन दिया जा रहा है। इसके तहत खेतों के पास झोपड़ीनुमा मड़वा बनाकर उस पर सब्जी - गिल्की, लौकी आदि की बैलें (लताएँ) चलाई जाती हैं। इससे सब्जियों को अच्छी बढ़वार मिलती है और उत्पादन भी अधिक प्राप्त होता है। कनवास सहयोग दल के समन्वयक श्री जैन के अनुसार सर्रा-खड़ई में परियोजना के माध्यम से आजीविका ऋण के रूप में 9 लाख 21 हजार रुपये उपलब्ध कराये जा चुके हैं। यहां कुल 10 स्व-सहायता समूहों के जरिये लगभग 121 महिलाएँ परियोजना से जुड़ी हैं। ग्राम उत्थान समिति की अध्यक्ष श्रीमती माया बाई हैं। सर्रा-खड़ई में गठित समूहों में अमरकंटक, सतपुड़ा, हिमालय, कैलाश, नीलगिरी, द्रोणागिरी आदि शामिल हैं, जो यहाँ के लोगों में पहाड़ों के प्रति अपनत्व भाव को दर्शाते हैं।

सर्रा गाँव की दीवारों पर लिखे स्लोगन 'अटल बाल आरोग्य मिशन के तहत पोषण आहार' तथा शालाओं में प्रवेश के लिए प्रेरित करने वाले नारे बरबस ही हमारा ध्यान खींचते हैं। गाँव में महिलाओं ने धुआं रहित चूल्हे भी बनाये हैं। ग्राम पंचायत के सरपंच श्री पी.एस. राजपूत सेवानिवृत्त अधिकारी हैं तथा अंग्रेजी में बात करते हैं। सरपंच से आस-पास के जंगलों से लकड़ी की कटाई रोकने के लिए बायोगैस संयंत्र की स्थापना को प्रोत्साहन देने पर चर्चा होती है। सर्रा की महिलाओं के 'जगार दल' द्वारा गाये गये गीत 'मेरा समूह है प्यारा- गरीबी हटाओ बहना' से उनकी जागरूकता परिलक्षित होती है जो ग्राम सभाओं में उनकी सक्रिय भागीदारी को स्पष्ट करती है।

कोटखेड़ा - नौरादेही अभयारण्य के समीप बसा है, तारादेही संकुल का कोटखेड़ा गाँव। वन अंचल के नजदीक स्थित कोटखेड़ा, दमोह जिले का दूरस्थ गाँव है। यहाँ डी.पी.आई.पी. परियोजना के अंतर्गत 22 स्व-सहायता समूह गठित हुए हैं, जिनमें लगभग 200 से अधिक महिलाएँ शामिल हैं। परियोजना द्वारा ग्राम उत्थान समिति के जरिये यहाँ लगभग 18 लाख रुपये उपलब्ध कराये जा चुके हैं।

लोधी समाज बहुल कोटखेड़ा में चर्चा के दौरान लगभग 80 से अधिक महिलाएँ उपस्थित थीं जो अपनी और अपने परिवार की आजीविका के लिए महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को रेखांकित करती हैं। कोटखेड़ा की चेना लोधी, अंगूरी, भगवती बाई, ममता, सुखबाई आदि महिलाएँ मुखर होकर अपनी बात रखती हैं जबकि अन्य महिलाएँ उनकी कही बातों की पुष्टि करती नजर आती हैं। आजीविका साधनों की ओर बढ़ते कदमों में किसी ने खेती-किसानी के काम में ऋण राशि का उपयोग किया तो किसी महिला ने समूह की अन्य महिला सदस्य के साथ मिलकर आटा चक्की लगाई है। सिंचाई के लिए नलकूप खुदवाये और भैंस पालन तथा अन्य व्यावसायिक गतिविधियों की ओर भी महिलाओं का रुझान बढ़ा है।

ग्राम उत्थान समिति की अध्यक्ष श्रीमती मेंदा बाई हैं। ग्राम सखी चेना लोधी बारहवीं तक पढ़ी हैं। यहाँ गठित हरेक समूह ने 6 से 8 हजार रुपये तक बचत राशि जुटाई है। कोटखेड़ा गाँव में आंध्रप्रदेश की एस.ई.आर.पी. 'सर्प' की टीम ने लगभग 10 दिन रुककर प्रशिक्षण दिया एवं समूहों गठन किया था।

नरगुंवा माल - दमोह जिले के ही तेंदूखेड़ा संकुल के नरगुंवा माल में परियोजना की पहल पर गठित 8 स्व-सहायता समूहों में शामिल महिलाएँ अपनी आजीविका संवर्द्धन की दिशा में किये जा रहे प्रयासों के प्रति अधिक उत्साहित और जागरूक लगीं। गाँव के स्कूल भवन में हुई बातचीत में लगभग 50 से अधिक महिलाएँ उपस्थित थीं। यहाँ ग्राम उत्थान समिति की अध्यक्ष मनीषा बाई, उपाध्यक्ष शकुंतला बाई तथा समूहों में शामिल आशारानी, कृष्णा, राधारानी, ममता और अशोक रानी ने समूहों के सदस्यों द्वारा नियमित रूप से बैठकें करने, पंच सूत्रों के पालन, समूहों द्वारा की गई बचत, समूह सदस्यों की आजीविका योजना एवं आजीविका संवर्द्धन के लिए आने वाले समय में किये जाने वाले कार्यों के बारे में बताया गया। उन्हें परियोजना की बेहतर समझ है।

तेन्दूखेड़ा-जबलपुर मार्ग पर स्थित नरगुंवा माल में लगभग 6 माह पूर्व ही कार्य की शुरुआत हुई है। इसके पहले परियोजना का काम आस-पास के गाँवों में चल रहा था। तब उसके बारे में जानकर यहाँ की महिलाएँ भी अपने गाँव में डी.पी.आई.पी. परियोजना के जरिये स्व-सहायता समूहों में जुड़कर आजीविका साधनों को बढ़ाने के लिए बड़ी उत्सुक रही। सहयोग दल समन्वयक श्री चौबे बताते हैं कि यहाँ 8 समूहों के जरिये लगभग 100 परिवार परियोजना से जुड़ चुके हैं। नरगुंवा माल में परियोजना द्वारा आजीविका के लिए 4 लाख 63 हजार रुपये उपलब्ध कराये जा चुके हैं।

रिकार्ड संधारण बेहतर - डी.पी.आई.पी. परियोजना में महिलाओं समूहों की आजीविका गतिविधियों के सुचारु संचालन की दृष्टि से लेखांकन (समूहों का हिसाब-किताब) कार्य का अत्यधिक महत्व है। इस उद्देश्य से स्व-सहायता समूहों और ग्राम उत्थान समितियों के लिए विभिन्न लेखा रजिस्टर एवं पंजियां डिजाइन की गई हैं। परियोजना के संकुल कार्यालयों से जानकारी के संकलन के लिए एम.आई.एस. (मैनेजमेंट इंफार्मेशन सिस्टम) विकसित किया गया है, जिसके जरिये सूचनाएँ संकुल, जिला और राय परियोजना इकाई तक संकलित होकर पहुंचती हैं। राज्य स्तर पर इस कार्य की सतत् मॉनीटरिंग की जाती है।

नरसिंहपुर जिले के भ्रमण के दौरान गोटेगाँव स्थित संकुल कार्यालय को एम.आई.एस. रिपोर्ट संकलित कर सम्प्रेषित करने, समूहों की एम.आई.एस. शीट क्रमांक 12 संधारित करने तथा समूहों की प्रतिमाह की बचत, ऋण वापसी संबंधी जानकारी संकलित कर व्यवस्थित रूप से भेजने के कार्य में बेहतर पाया गया। यहाँ परियोजना में शामिल हरेक गाँव की वेल्थ रैंकिंग रिपोर्ट एवं समूहों की एम.आई.एस. शीट व्यवस्थित रूप से संधारित की जा रही है।

सहयोग दल समन्वयक श्री कुशवाह ने समूहों की जानकारी संकलित करने के कार्य से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि संकुल के मानेगाँव में 48 महिलाओं को सिलाई मशीन उपलब्ध कराकर आवश्यक सिलाई प्रशिक्षण दिया गया है। नरसिंहपुर जिले के मॉनीटरिंग एवं इवेल्युएशन समन्वयक श्री एस.डी. चौधरी ने बताया कि जिले के सभी संकुल कार्यालयों में समूहों के एम.आई.एस. रिपोर्ट संकलित करने, संधारित करने एवं सम्प्रेषित करने की इसी प्रकार की व्यवस्था संचालित है।

मनरेगा से आई विकास की बहार

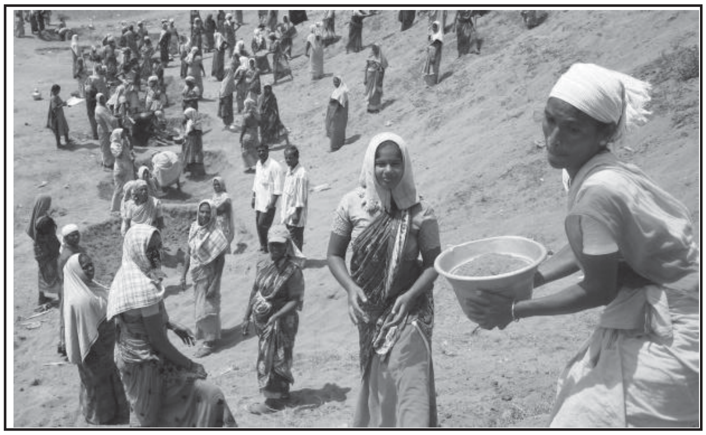

ग्रामीण विकास के लिये सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ग्रामीणों के विकास में मील का पत्थर साबित हुई है। शहडोल जिले के विकासखण्ड सोहागपुर की ग्राम पंचायत भानपुर इसका सजीव उदाहरण है। ग्राम पंचायत भानपुर में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत कई विकास कार्य सम्पन्न कराये गये हैं जिससे गाँव के लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं और उनका रहन-सहन भी बदला है। ग्राम पंचायत भानपुर में मनरेगा की उपयोजना कपिलधारा से अब तक 36 कूपों का निर्माण कराया गया है। गाँव में योजनान्तर्गत भूमिशिल्प कार्यों के अलावा स्टापडैम, सी.सी. रोड का निर्माण, निर्मल वाटिका तथा नंदनवन योजना के तहत वृक्षारोपण, तालाब निर्माण, मेढ़ बंधान जैसे अनेकों मूलभूत विकास कार्य कराये जा रहे हैं।

ग्राम पंचायत भानपुर के निवासी श्री मिल्लू बैगा ने बताया कि मनरेगा योजना हम जैसे गरीब किसानों के लिये वरदान बन गई है। पहले हमारी फसलें अक्सर बारिश पर निर्भर होती थीं अगर बारिश अच्छी हुई तो बढ़िया फसल अगर बारिश कम हुई तो फिर पूरा साल भगवान भरोसे गुजरता था। आर्थिक स्थिति भी ऐसी नहीं थी कि खुद अपने खर्च पर कुआं खुदवा सकें लेकिन जब हमें सरकार की कपिलधारा योजना के बारे में पता चला तो हमने इस योजना के लिये आवेदन किया। कपिलधारा कुएँ के निर्माण हो जाने से हमारे खेतों में पैदावार काफी बढ़ गई है। बेहतर सिंचाई सुविधा से गेहूँ, चना और प्याज का उत्पादन दोगुना हो गया है जिससे वार्षिक आय भी बढ़ गई है। अब मैंने अपने खेतों में सब्जी का उत्पादन करना भी शुरू कर दिया है। गाँव के ही बेसाहन बैगा ने बताया कि सिंचाई के अभाव में फसल काफी कम व गुणवत्ताहीन होती थी इसलिये मैं खेती-किसानी छोड़कर रिक्शा चलाता था। जब से मेरे खेत में कपिलधारा कूप का निर्माण हुआ है और भरपूर पानी मिला है तब से मैंने रिक्शा चलाना छोड़ वापस खेती-किसानी करना शुरू कर दिया है। साल में दो बार फसल लेने के साथ सब्जी का उत्पादन भी करता हूँ जिससे अच्छी आमदनी होती है। अब मैंने इसे ही अपना रोजगार बना लिया है। ग्राम दुबहा के हितग्राही कल्याण सिंह ने कहा कि पहले मेरे खेतों में सिर्फ औसत उत्पादन ही होता था लेकिन भूमिशिल्प उपयोजना के तहत मेरे खेत में भूमि सुधार कार्य किया गया तथा कृषि विशेषज्ञों द्वारा उचित मार्गदर्शन से मेरे खेतों में अच्छी पैदावार होने लगी है।

ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों के बारे में ग्राम पंचायत सचिव श्री दीनबंधु कोल ने बताया कि ग्राम पंचायत भानपुर में 339 जाबकार्डधारी परिवार हैं। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत क्षेत्र भूमिशिल्पी योजनान्तर्गत 25 हितग्राहियों को लाभ प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि भूमिशिल्प कार्यों से जहाँ भू-जल स्तर बढ़ता है वहीं भूमि की उर्वरकता में भी वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा मनरेगा से ग्राम पंचायत क्षेत्र के 40 आवासहीन परिवारों के लिये आवास बनवाये गये हैं, सामाजिक सुरक्षा, इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार सहायता के तहत 32 परिवार के लोग लाभान्वित हो रहे हैं। गांव में एक माध्यमिक शाला तथा आँगनवाड़ी संचालित की जा रही है। मनरेगा के तहत ग्राम पंचायत भानपुर 3ें रोड तथा 5 जगह वृक्षारोपण कार्य किया गया है। मनरेगा योजना ने गाँवों में अधोसंरचना व विकास कार्यों की नई इबारत लिखी है।

ग्राम पंचायत भानपुर के सरपंच श्री सूरजबली बैगा ने बताया कि मनरेगा योजना के लागू होने से पहले लोग खेती-किसानी के लिये अक्सर मानसून पर निर्भर रहते थे। लेकिन मनरेगा योजना से कपिलधारा कूप, स्टापडैम, तालाब निर्माण से लोगों की वर्षा पर निर्भरता कम हुई है। साथ ही साथ कृषि उत्पादन बढ़ने से लोगों की आय में भी वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि पहले गाँव से शहर आने-जाने में बरसात के दिनों में काफी असुविधा होती थी। गाँव से शहर का सम्पर्क पूरी तरह टूट जाता था लेकिन मनरेगा से द्वितीय श्रेणी मार्ग निर्माण तथा सी.सी. रोड निर्माण हो जाने से गाँव से शहर का आवागमन काफी आसान हो गया है जिससे गाँव के बच्चों को शहर में पढ़ने जाने में मुश्किल नहीं होती है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत हो रहे आधारभूत विकास कार्यों से जहाँ न केवल ग्रामीणों का शहरों की ओर पलायन रुका है बल्कि कृषि उत्पादन में आशातीत वृद्धि हुई है जिससे किसानों को आर्थिक लाभ भी हो रहा है।

❑ आकांक्षा सिंह

सिंचाई से हुई भरपूर पैदावार

जबलपुर जिले की कुण्डम विकासखण्ड में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना गरीब और पिछड़े ग्रामीणों और कृषकों के लिये वरदान साबित हुई है। ग्राम पंचायत जैतपुरी देवहरा में पहले सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं थी। गाँव के आदिवासी किसान छनकलाल के पास लगभग 3.2 एकड़ असिंचित जमीन थी जिसमें वह वर्षा के सहारे मक्का, उड़द, धान की थोड़ी बहुत फसल ले पाता था जिससे वह अपने परिवार का भरण पोषण कर पाता था, लेकिन जबसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की उपयोजना कपिलधारा के तहत कूप निर्माण के लिये सहायता मिली है तबसे उसके जीवन में खुशहाली आ गई है।

छनकलाल को कपिलधारा उपयोजना के तहत कूप निर्माण के लिये 1.33 लाख रुपये की सहायता मिली। इस राशि से छनकलाल ने 60 फीट गहरे कुएँ का निर्माण कराया। कुएँ का निर्माण होने से अब छनकलाल के खेतों को वर्षभर भरपूर पानी उपलब्ध हो रहा है जिससे न केवल फसल उत्पादन में अतुलनीय वृद्धि हुई बल्कि आय में भी कई गुना वृद्धि हुई है। छनकलाल ने कहा कि इस योजना ने मेरे खेतों की तस्वीर और मेरी तकदीर दोनों बदल दी है। एक गरीब और छोटे कृषक के लिये यह योजना किसी वरदान से कम नहीं है। उन्होंने कहा कि कूप निर्माण के दौरान जो पथरीली मिट्टी निकली थी उसे खेत की मेढ़ पर डाल दिया है जिससे मेढ़ काफी मजबूत बन गई है। इससे बरसात में भी खेत के कोने-कोने तक मेढ़ के सहारे आने जाने की सुविधा मिल गई है। छनकलाल ने कहा कि मेढ़ बंदी से खेत में पानी रुकता है जिससे खेतों में अधिक समय तक नमी रहती है जिससे फसल अच्छी होती है। छनकलाल के खेत में कुएँ के पास रिचार्ज पिट भी बनाया गया है जिससे रिचार्ज पिट का पानी कुएँ में रिस-रिस कर जा सके। फसलों में भरपूर सिंचाई से हुई विशाल पैदावार से छनकलाल का सिर गर्व से ऊँचा हो जाता है। मनरेगा की उपयोजना से गरीब कृषक की जिदंगी में आया सुखद बदलाव तो ग्रामों में हो रहे विकास की बानगी भर है जिनके सुखद परिणाम भविष्य में ऐसे ही मिलते रहेंगे।

❑ ऋषिराज चढार

स्टापडैम से मिला सिंचाई का पानी

शहडोल जिले के गोहपारू विकासखण्ड का गाँव भदवाही छोटी-छोटी पहाड़ियों से घिरा ऊबड़-खाबड़ एवं ढालू क्षेत्र में सघन बसाहट वाला एक आदिवासी बहुल गाँव है। ग्राम भदवाही के लोगों की आजीविका का मुख्य साधन कृषि एवं मजदूरी है। क्षेत्र में सिंचाई के साधन न होने के कारण अक्सर पानी की कमी रहती है और यहां के किसान सामान्यतः खरीफ फसल जैसे कोदों, कुटकी, धान की उपज करते थे। पानी की कमी के कारण साल में सिर्फ एक ही फसल उगाते थे वो भी बरसात के समय ताकि सिंचाई की जरूरत न पड़े। ऐसे में न तो अच्छी किस्म की फसल हो पाती थी और न ही अच्छी पैदावार।

ग्राम भदवाही में एकीकृत कृषि कार्यक्रम (आई.ए.पी.) योजना के जरिये विकास की नई इबारत लिखी गई। आई.ए.पी. योजना से छोटी-छोटी जल संरचनाओं का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर कराया गया जिससे कुल 80 हैक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध हुई। सिंचाई सुविधा उपलब्ध होने से ग्राम बेला एवं भदवाही से न केवल कृषकों का पलायन रुका है, बल्कि सिंचाई क्षमता में वृद्धि होने से कम वर्षा की स्थिति में भी खरीफ का उत्पादन प्रभावित नहीं हुआ। अब किसान सिंचाई के लिये सिर्फ वर्षा पर या प्रकृति पर निर्भर नहीं है। किसानों ने जल संरक्षण कर अब अपनी मदद स्वयं करना शुरू कर दिया है।

(शेष पृष्ठ 26 पर)

आधुनिक तकनीक से खेती में हुई अपार वृद्धि

उमरिया जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर नगर पालिका परिषद पाली के वार्ड क्र. 1 मोहल्ला धौरई के जागरूक कृषक फूल सिंह कुशवाहा का लखपति बनने का सपना साकार होते दिखाई देने लगा है। आदिवासी एवं वनांचल क्षेत्र के कृषक भारी भरकम जमीन होने के बाद भी कृषि को लाभ का धंधा बनाने का महज सपना देख रहे हैं, किन्तु फूल सिंह कुशवाहा ने मात्र तीन एकड़ जमीन में अत्याधुनिक तौर तरीके से फसल उत्पादन लेकर सबको चौंका दिया है। इसका श्रेय उन्होंने अपनी पत्नी श्रीमती गोपी बाई को दिया है। गोपी बाई ने चर्चा में बताया कि उन्होंने सागर जिले की खुरई तहसील में पिता से खेती का हुनर सीखा था। ससुराल आने पर मन में कल्पना थी कृषि फार्म बनाने की लेकिन पति की एसईसीएल में नौकरी पर होने के कारण पूरा नहीं दिख रहा था। जो बंजर जमीन को उपजाऊ बनाकर साकार रूप में परिणत किया।

श्री फूल सिंह कुशवाहा ने आषाढ़ माह में 18 जून को जब तापमान लगभग 44 डिग्री था तभी खेत में ट्यूबवेल से पानी लगाकर रोपा के लिये धान की वेहन लगा दी और तीन चार दिन में सिंचाई करते रहे। नर्सरी डालने के14 दिन बाद खेत को बखखर से मचमचा कर धान की रोपाई कर दी। यह धान 5 जुलाई तक हरियाली में तब्दील हो गई। वहाँ से गुजरने वाले हर व्यक्ति को धान की हरियाली स्वमेव अपनी ओर आकर्षित कर रही है।

श्री पद्धति से रोपित धान के संबंध में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी पाली श्री आर.के. द्विवेदी एवं कृषि वैज्ञानिक डॉ. बी.के. तिवारी ने नर्सरी डालने और रोपाई की विधि बताई ठीक उसी विधि से खेती पर उतारू हो गया, उन्होंने धान बीज और कल्चर भी व्यवस्था करा दी। तीन एकड़ में लगभग180 बोरा धान उत्पादन का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा वे सब्जी, गुलाब, मौसमी, अनार, आम, नींबू, केला, अमरूद, हल्दी, पपीता की विभिन्न उन्नत प्रजातियों से भी प्रतिवर्ष एक लाख रुपये का अतिरिक्त उत्पादन कर रहे हैं।

कक्षा सातवीं पास फूल सिंह एवं पांचवी पास गोपीबाई ने अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाकर बेटा प्रकाश को इंजीनियर तथा बेटी प्रभा को डॉक्टर बना दिया है। कुशवाहा के पास एक जर्सी गाय एवं मुर्रा भैंस है। वर्ष 1996 में नाला एवं बंजरयुक्त जमीन क्रय की थी जिसे पलाउ कराकर खेती योग्य बनाया। वर्तमान में ट्रेक्टर, कल्टीवेटर थ्रेसर, ट्राली केजव्हील, मारकर से रोपाई, कोनोबीडर से निंदाई, स्प्रे मशीन, जीप, अल्टो कार एवं टू व्हीलर भी है।

श्री कुशवाहा ने बताया कि उन्होंने विनर कंपनी की 250 रुपये किलो धान का बीज क्रय कर रोपाई की है जिससे रिकार्ड उत्पादन लेने का लक्ष्य है। इसके अतिरिक्त हल्दी, पपीता, आम, नींबू, केला, अनार, मौसमी का भी उत्पादन भी बढ़ेगा। उन्होंने बताया कि कृषि फार्म देखकर यहां से गुजरने वाले बहुरीटोला, सूखा, धौरई, बिजला, खालौंध, बरबसपुर, बन्नौंदा, परसौंदा, छिंदहा, सलैया, सरवाही आदि गांव के किसान किसानी पूछने आते हैं जिन्हें सहज रूप में वे नुसखे जो स्वयं अख्तियार किए हैं बेहिचक बताते हैं और अन्य किसानों ने इसका लाभ उठाना भी शुरू कर दिया है।

फूल सिंह हर माह आसपास के किसानों की किसान पंचायत बुलाकर उन्हें खेती के गुर बताने में भी पीछे नहीं हैं वे खेती की निःशुल्क रूप से सलाह एवं प्रेरणा देते हैं।

उन्होंने अपने खेत के चारों तरफ तारफेंसिंग करवाकर स्प्रिंकलर पाइप का जाल फैलाया है जिससे कम पानी में अधिक सिंचाई होती है। गर्मियों में शहरी क्षेत्र के लोग सुबह शाम पिकनिक मनाने आते हैं। कौन कहता है कि खेती लाभ का धंधा नहीं बन सकता। यदि वास्तव में किसान भाई ठान लें कि खेती से हम लाभ कमायेंगे तो कोई ताकत नहीं जो उन्हें रोक सके। उत्तम खेती मध्यम वान, अधम चाकारी भीख निदान की कहावत को चरितार्थ किया है धौरई निवासी फूल सिंह कुशवाहा ने।

❑ सी.एल. पटेल

कपिलधारा कूप से पाया खुशियों का खजाना

सीधी जिले से तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जनपद पंचायत सीधी की ग्राम पंचायत चौफाल पवाई में कपिलधारा कूप ने विकास के नये आयाम स्थापित किये हैं। गांव के स्थानीय रहवासी श्री राजकुमार सिंह गोड़ बताते हैं कि कपिलधारा कूप की बदौलत उनकी किस्मत बदल गई है। सिंचाई साधन के विकास से मेहनत का पूरा फल मिल रहा है। इसी का परिणाम है कि इस बरस 15 क्विंटल धान पैदा की थी। खेतों में बुआई का काम पूरा हो चुका है अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस वर्ष चना 2 क्विंटल, गेहूं 18 क्विंटल, अरहर 2 क्विंटल, राई 15 से 20 किलो तक पैदा होगी। कूप के पास ही आलू लगाई थी जो अब तक35 से 40 किलो फल चुकी है। प्याज, टमाटर, लहसुन, मूली, चन्दसूल, मटर व गोभी जैसी विभिन्न प्रकार की सब्जियां भी लगा रखी हैं। जो घर के काम तो आती ही हैं साथ ही साथ उसे स्थानीय बाजार में बेचकर कुछ अतिरिक्त आय भी प्राप्त हो रही है। राजकुमार बताते हैं कि कपिलधारा कूप के पहले उन्हें पीने के पानी के लिए भी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। पानी समय पर न मिल पाने के कारण पिछले बरस पूरी खेती चौपट हो गई थी। खेतों की सिंचाई के लिये पानी सुन्दर सिंह गोड़ से नहीं खरीदना पड़ेगा। हर बरस उन्हें खेत सिंचाई के लिये 4 से 5 हजार तक खर्च करने पड़ते थे जो अब नहीं करने पड़ेंगे। महात्मा गांधी नरेगा के कूप ने उनकी किस्मत का ताला खोल दिया है।

ग्राम सरपंच श्री ध्रुव प्रताप सिंह बताते हैं कि श्री राजकुमार पिता श्री बुद्धसेन का परिवार गांव के मेहनती लोगों में गिना जाता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम-म.प्र. की उपयोजना कपिलधारा कूप का लाभ इन्हें दिया गया है। कूप निर्माण वित्तीय वर्ष 2011-12 में 2 लाख 13 हजार की लागत से बनाया गया है जिसमें लगभग 12 हजार 7 सौ मानव दिवस का रोजगार अर्जित किया गया है। कूप निर्माण के कार्य में हितग्राही राजकुमार के परिवार ने भी काम किया है। कपिलधारा कूप मिल जाने से जहां सिंचाई साधन विकसित हुए हैं वहीं पेयजल समस्या का परस्पर समाधान भी हो रहा है। शीघ्र ही इनके कूप को ऊर्जीकृत करने के लिए पम्प दिलाया जा रहा है। पम्प की राशि बैंक को भेजी जा चुकी है। पम्प मिल जाने से यह और अधिक सुविधाजनक रूप से खेती किसानी कर सकेंगे। राजकुमार के पिता श्री बुद्धसेन कहते हैं कि सरकार की योजना से उन्हें जो कूप मिला है। उसका लाभ लेकर उनका पूरा परिवार खुश है। अब उन्हें मेहनत का पूरा लाभ मिल सकेगा। राजकुमार की पत्नी श्रीमती जागवती गोड़ बताती हैं कि कपिलधारा कूप बन जाने से घर के निस्तार के लिये तथा खेतों की सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिल रहा है। अब खेत खाली नहीं रहेंगे, वे जल्द ही अपने खेतों में सब्जी की बढ़िया खेती करेंगी।

❑ शिव प्रसाद सोनी

(पृष्ठ 24 का शेष)

भू-जल स्तर में सतत् होते सुधार के कारण अब किसान साल में दो फसलें ले रहे हैं। गाँव के निवासी राम मिलन ने बताया कि अब खेती के हालात पहले से काफी अच्छे हो गये हैं। पहले तो हमें अक्सर चिंता रहती थी कि बारिश कैसी होगी, फसल सही होगी कि नहीं और जो फसल होती थी उसका सही दाम न मिल पाने से आर्थिक तंगी अलग, लेकिन आजीविका परियोजना ने तो ग्राम विकास के साथ-साथ हमारे जीवन को भी सफल बना दिया है।

अब हमें खेती-किसानी की चिंता नहीं है। गाँव के ही कृषक रमेश ने कहा कि कैनई टोला से जमूरिहा टोला के बीच रपटा बन जाने से अब बारहमासी आवागमन की सुविधा हो गई है। पहले बरसाती मौसम में अक्सर रास्ता बंद हो जाता था।

गाँव के युवक राजू बैगा ने कहा कि इन जल संरचनाओं के निर्माण होने से अब हमें अपने मवेशियों के लिए साल भर पानी मिल जाता है। उन्होंने कहा कि इस काम में बेला, भदवाही और पड़ोस के गाँवों के मजदूरों को रोजगार भी मिला। इससे गाँव में पानी की किल्लत खत्म हो गई है।

❑ गजेन्द्र द्विवेदी

बजट अनुमान तैयार करने के लिये मार्गदर्शी सिद्धांत

पंचायत राज संस्थाओं में योजनाओं के उचित क्रियान्वयन के लिये सही बजट का होना जरूरी है। यदि बजट अनुमान में पैसे और संसाधनों व खर्चों का प्राक्कलन ठीक ढंग से बनाया जाये तो वित्तीय अनियमितताओं की संख्या काफी कम हो जाती है। बजट में संभावित खर्चों एवं प्राप्तियों का सटीक आकलन होना जरूरी है। योजना एवं बजट बनाते समय आकस्मिक व्यय मद का उल्लेख भी करना चाहिए।

सामान्य प्रशासन समिति जब अगले साल के लिये कार्यक्रम और बजट अनुमान तैयार करेगी तो यह ध्यान में रखेगी कि -

- अगले साल किस मद में कितना धन और संसाधन प्राप्त होंगे इसका अनुमान ठीक तरह से तैयार किया जायेगा ताकि, अगले साल मिलने वाली कोई भी राशि या योगदान छूट न जाए। इसमें यह भी ध्यान रखना होगा कि दिए गए ऋणों, कर वसूली और दूसरी सभी आमदनियों को शामिल किया गया हो।
- हर प्रस्तावित कार्यक्रम के लिये होने वाले संभावित खर्च का अनुमान एकदम सटीक होना चाहिए। खर्च के इस अनुमान में न तो बचत दर्शायी जाए और न ही अनुमान से अधिक खर्च, अगर ऐसा होता है तो इसे वित्तीय अनियमितता माना जाएगा।
- अगले साल किस मद में कितनी प्राप्ति होगी वह अनुमान पिछले दो-साल में वास्तव में मिले धन-संसाधन के आधार पर तैयार होगा। ऐसा कोई भी प्रस्तावित से अधिक कार्यक्रम जिसमें धन संसाधन मिलना तय है उसके लिये अनुमान बनाते समय यह ध्यान रखा जाएगा कि इसमें इस मद में पिछले साल का बकाया और दूसरे खर्चे शामिल कर लिए गए हैं।
- स्थाई स्थापना व्यय जैसे बिजली का खर्च, फोन का खर्च आदि किराया, लोगों को दिए जाने वाले भत्ते के लिये स्थाई मासिक अनुमान वास्तविकता के आधार पर तैयार होगा। जब यह अनुमान तैयार करेंगे तो इसमें इस आधार पर कोई कटौती नहीं होगी कि इस मद में पिछले साल बचत हुई है। इसी तरह अगर किसी कर्मचारी के मासिक वेतन का अनुमान तैयार कर रहे हैं तो उस कर्मचारी का कुल स्वीकृत मासिक वेतन (सकल वेतन) का आयकर काट कर मांग नहीं करेंगे यानि कर्मचारी के साथ समायोजित किया जायेगा।

योजना एवं बजट

जनपद पंचायत के लिये तैयार बजट अनुमान में एक मद, आकस्मिक व्यय का होगा। जब आकस्मिक व्यय अनुमान लगाया जाएगा तो यह ध्यान रखना होगा कि -

- सबसे पहले यह देखें कि पिछले दो सालों का आकस्मिक व्यय कितना था।
- पिछले दो सालों में आकस्मिक व्यय को जोड़कर उसका औसत निकालेंगे।
- यह औसत ही अगले वर्ष (जिसके लिए अनुमान बना रहे) का आकस्मिक व्यय का अनुमान होगा।

आकस्मिक व्यय का अनुमान बनाते समय यह भी ध्यान रखा जायेगा कि इस अनुमान में बजट के किसी भी 'नियमित मद' (ऐसा मद जिसके लिये बजट में अलग से अनुमान बनाया जाता है) में हुए आकस्मिक व्यय को नहीं जोड़ा जाएगा।

- अगर जनपद पंचायत को किसी खास योजना के लिये भारत सरकार, राज्य सरकार, जिला पंचायत या जनपद पंचायत से कोई संसाधन मिलता है तो वह सिर्फ उसी योजना की गतिविधियों पर खर्च होगा।
- अगर जनपद पंचायत ने कोई उधार लिया है तो उस उधार और उस पर लगने वाले ब्याज के भुगतान को, तय की शर्तों के अनुसार भुगतान की व्यवस्था बजट अनुमान में जरूर शामिल करना चाहिए।
- अगले साल के लिये जो बजट अनुमान तैयार किया जा रहा है

अगर वह पिछले साल के बजट की कुल राशि से ज्यादा है और यह अन्तर दस प्रतिशत से ज्यादा है तो यह बताना जरूरी है कि अगले साल के बजट में खर्चा पिछले साल के खर्चे से दस प्रतिशत से ज्यादा क्यों है। उदाहरण के लिये पिछले साल का बजट एक लाख रुपये का था और अभी तैयार किया जा रहा बजट अनुमान अगर एक लाख दस हजार है तो ठीक है लेकिन अगर यह एक लाख ग्यारह हजार या इससे ज्यादा है तो यह बताना पड़ेगा कि इसका कारण क्या है? अगर गाँव में कुछ ऐसे काम तय हुए हैं जो गाँव खुद ही कर लेगा या उसके लिये सरकार या ऊपर की स्तर के पंचायतों से पैसा नहीं चाहिए तो उसमें भी यह साफ-साफ स्पष्ट किया जाएगा कि गाँव की जनता या कोई संस्था कितना संसाधन दे रही है।

- अगर कोई निर्माण कार्य जो पिछले साल शुरू हुआ था और अभी पूरा नहीं हुआ है तो उसे अगले साल पूरा करने की संभावना के साथ बजट अनुमान में निर्माण कार्य को पूरा करने में लगने वाले संभावित खर्च को भी लिखा जाएगा।
- बजट में अनुमान लगाते समय यह ध्यान रखा जायेगा कि यह अनुमान 100 रुपये के पूर्णांकों में ही हो जैसे कि अगर किसी खर्च के लिये अनुमान 640 रुपये है तो इसे 600 रुपये लिखेंगे और अगर अनुमान 660 रुपये है तो इसे 700 रुपये लिखा जाएगा।
- सामान्य प्रशासन समिति को यह ध्यान रखना होगा कि बजट अनुमान में शामिल हर बजट अनुमान के साथ नोट भी होना चाहिए कि इस अनुमान और इसके लिए संभावित खर्च का कारण क्या है और यह क्यों किया जा रहा है। मतलब यह है कि हर बजट अनुमान और उसके खर्च का स्पष्टीकरण देना जरूरी है।

बजट के मंजूरी के बाद योजना पर खर्च कैसे करें

यह स्पष्ट किया जाना जरूरी है कि बजट के जनपद पंचायत द्वारा अनुमोदन के बाद जब बजट में प्रस्तावित योजनाओं पर खर्च का समय आएगा तो भी यह जरूरी है कि

- उस योजना के विभिन्न प्रावधान
- योजना पर खर्च कैसे होगा

जैसे विषयों पर जनपद पंचायत का अनुमोदन लिया जाये, मतलब यह हुआ कि

- पहले एक बार बजट अनुमान का अनुमोदन
- अनुमोदन के बाद जब गतिविधियों पर खर्च शुरू हो तो उसका अनुमोदन भी जनपद पंचायत से करवाना जरूरी है।

अगर प्रस्तावित गतिविधि पर अनुमान से ज्यादा खर्च आया तो क्या करेंगे?

कई बार ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है जब किसी प्रस्तावित कार्यक्रम या गतिविधि पर अनुमान से ज्यादा खर्चा हो जाए। दूसरी परिस्थिति यह हो सकती है कि समितियों को विशेष रूप से सामान्य प्रशासन समिति को कई बार ऐसी गतिविधियां करनी पड़ें जिन्हें बजट अनुमान बनाते समय नहीं सोचा था। ऊपर बतायी गयी दोनों परिस्थितियों में जनपद पंचायत की अनुमति लेना जरूरी है। नियम के उपनियम 8 के अनुसार किसी भी नये मद को बजट में शामिल करने के लिये जरूरी है कि

- यह बताया जाए कि गतिविधि के लिये अतिरिक्त पैसा किस स्रोत से आएगा।
- साथ ही अगर उस स्रोत से पैसा खर्च करने के लिये किसी संस्था या अधिकारी से पूर्व मंजूरी लेनी है तो खर्च से पहले वह मंजूरी भी लेनी पड़ेगी।

अगर एक काम के लिये तय पैसा दूसरे काम में खर्च करना हो तब क्या करेंगे?

अगर कभी ऐसी परिस्थिति आए कि जनपद पंचायत को किसी एक गतिविधि के लिये उपलब्ध पैसे को दूसरी गतिविधि में खर्च करना हो तब

- जनपद पंचायत बजट अनुमान - दो नामक प्रारूप में जानकारी भरकर जनपद पंचायत की बैठक में मंजूर होना जरूरी है।
- अगर प्रस्तावित व्यय जनपद पंचायत के अपने आय के स्रोत से नहीं हो रहा है और यह संसाधन जनपद पंचायत या अन्य किसी विभाग या संस्था से मिला है तो इस पैसे को दूसरे मद में खर्च करने से पहले संबंधित पंचायत या संबंधित संस्थान के सक्षम अधिकारी से अनुमति लेना जरूरी है।
- जनपद पंचायत जब भी एक मद से दूसरे मद में खर्च का प्रस्ताव पास करेगी तो प्रस्ताव पास होने के15 दिन के भीतर संबंधित जनपद पंचायत को सूचना देना जरूरी होगा।

अनुपूरक बजट

अगर कभी जनपद पंचायत को यह महसूस हो कि इस साल की जरूरतें जनपद पंचायत द्वारा पास किए गए बजट अनुमानों से ज्यादा होंगी तो सामान्य प्रशासन समिति को यह अधिकार होगा कि

- जनपद पंचायत बजट अनुमान (प्रारूप)-तीन में एक अनुपूरक बजट तैयार करेगी।
- अनुपूरक बजट को जनपद पंचायत के सामने विचार तथा अनुमोदन के लिये रखा जाएगा।
- जनपद पंचायत अनुपूरक बजट की मांगों को सही ठहरते हुए पूरी रिपोर्ट के साथ जनपद पंचायत के पास मंजूरी के लिए भेजेगी।
- जनपद पंचायत अनुपूरक बजट प्रस्तावों की जांच करेगी और जहाँ जरूरी हो वहां बदलाव भी करेगी। पूरी तरह से विचार के बाद जनपद पंचायत इस अनुपूरक बजट को पास करेगी। जनपद पंचायत को 15 दिन के भीतर जनपद पंचायत को अपने फैसले की सूचना देनी होगी।

पंचायतों में नवीन अंशदायी पेंशन प्रणाली योजना लागू

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 एवं मध्यप्रदेश पंचायत सेवा नियम 1993 के अंतर्गत प्रदेश की समस्त जिला एवं जनपद पंचायतों की सेवा में नियोजित मूल पदों के कर्मचारियों के लिये नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू की गई है जिसके तहत जिला एवं जनपद पंचायत द्वारा अंशदान की कटौत्री समानुपातिक रूप से अनुदान मद से किये जाने के लिये पंचायत राज संचालनालय को अधिकृत किया गया है।

पंचायत राज संचालनालय मध्यप्रदेश
अरेरा हिल्स, तिलहन संघ भवन, भोपाल-462004
फोन नं. 0755-2557727 फैक्स नं. 0755-2552899, ई-मेल dirpanchayat@mp.gov.in

क्रमांक/पंचा.रा./बजट/2012/7672 **भोपाल, दिनांक 13/07/2012**

प्रति,

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत-समस्त,
मध्यप्रदेश।

विषय - जिला/जनपद पंचायतों में नवीन अंशदायी पेंशन प्रणाली योजना लागू करने की प्रक्रिया।

संदर्भ - म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय भोपाल के परिपत्र क्र. एफ. 2/24/2009/22/प-1, दिनांक 11.06.2012।

राज्य शासन द्वारा संदर्भित पत्र के माध्यम से म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 70 एवं म.प्र. पंचायत सेवा (भर्ती तथा सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1993 के अंतर्गत प्रदेश की जिला एवं जनपद पंचायतों की सेवा में नियोजित मूल पदों के कर्मचारियों के लिये नवीन अंशदायी योजना 01.07.2012 से लागू की गई है। सुलभ संदर्भ हेतु परिपत्र की छायाप्रति संलग्न है।

परिपत्र की कंडिका क्र . 2 अनुसार जिला/जनपद पंचायत द्वारा अंशदान की कटौत्री समानुपातिक रूप से अनुदान मद से किये जाने हेतु पंचायत राज संचालनालय को अधिकृत किया गया है। योजना अंतर्गत कंडिका क्र. 3 में मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते की10 प्रतिशत राशि (रुपये के अपूर्ण भाग को अगले रुपये में पूर्णांकित किया जावेगा) कर्मचारी के मासिक अंशदान के रूप में वेतन देयक से सीधे कटौत्रा किया जाना है, साथ ही इतनी ही राशि नियोक्ता अंशदान के रूप में जमा किया जाना है।

कर्मचारी का मासिक अंशदान	नियोक्ता का मासिक अंशदान	कुल जमा अंशदान
1	2	3
केवल मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते की 10 प्रतिशत	कॉलम 1 अनुरूप समानुपातिक राशि	कॉलम 1 एवं 2 का योग

1. सहमति पत्र - पेंशन फण्ड रेगुलेटरी एण्ड डेवलपमेंट अथारिटी (PFRDA) के अनुसार राज्य के जिला/जनपद पंचायतों के द्वारा नवीन पेंशन योजना में भाग लेने के लिये निर्धारित प्रपत्र Annexure-I में एक सहमति पत्र आयुक्त पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग, भोपाल के माध्यम से PFRDA को भेजे जाने की कार्यवाही की गई है।

2. NSDL (नेशनल सिक्युरिटी डिपाजिटरी लिमिटेड (NSDL) सेन्ट्रल रिकार्ड कीपिंग एजेंसी) के साथ पंजीकरण - सहमति पत्र की कार्यवाही के पश्चात् एन.एस.डी.एल. के साथ विभागीय नोडल अधिकारियों, एवं कर्मचारियों के पंजीयन की कार्यवाही की जाना आवश्यक होगी। संलग्न प्रारूप पत्रकAnnexure 2, 3 एवं 4 में नोडल अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पंजीयन के प्रपत्र संलग्न हैं। पंचायतराज संचालनालय अंतर्गत 50 जिलों में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, जिला पंचायत के कर्मचारियों के साथ-साथ उनके अधीन समस्त जनपद पंचायतों के कर्मचारियों के लिये नोडल अधिकारी होंगे। अतएव मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत उनके जिले के जिला/जनपद पंचायत के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के पंजीयन की कार्यवाही के लिये उत्तरदायी होंगे।

3. कर्मचारियों के पंजीयन - कर्मचारियों के पंजीयन के लिये प्रपत्र 4 में जानकारी भरकर एन.एस.डी.एल. के फेसिलिटेशन सेंटर पर जमा की जाना होगी। यह प्रपत्र एन.एस.डी.एल. की वेबसाइटhttp://npscra.nsdl.co.in पर भी उपलब्ध है। फेसिलिटेशन सेंटर की जानकारी भी वेबसाइट पर उपलब्ध है। फेसिलिटेशन सेंटर भोपाल, जबलपुर एवं इंदौर में है, जिन्हें पत्र व्यवहार के लिये, सुविधाजनक रूप से नोडल अधिकारी अपने स्तर पर चयन कर सकेंगे।

पूर्ण रूप से भरे हुये प्रपत्र फेसिलिटेशन सेंटर पर जमा होने के पश्चात सेंटर द्वारा एक Acknowledgement ID दी जायेगी, जिसके माध्यम से रजिस्ट्रेशन की अद्यतन स्थिति एवं Permanent Retirement Account No. (PRAN) जानकारी नोडल अधिकारियों द्वारा वेबसाइट पर ज्ञात की जा सकती है।

रजिस्ट्रेशन होने पर NSDL के DDO को एक TPIN/IPIN तथा कर्मचारियों को PRAN किट दी जायेगी। PRAN किट में PRAN CARD, IPIN, TPIN तथा एन.पी.एस. पुस्तिका सम्मिलित होगी। DDO को यह PRAN किट अपने समस्त कर्मचारियों को वितरित करना होगी। (रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में 3-4 सप्ताह का समय व्यतीत होगा)

4. नोडल अधिकारियों के कार्य - नोडल अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत उनके जिले के जिला/जनपद पंचायत के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के पंजीयन के साथ-साथ एक पृथक बैंक खाते को संधारित करेंगे, जिसमें उनके जिले के जिला/जनपद पंचायत के समस्त मूल अधिकारियों/कर्मचारियों की मासिक अंशदान की राशि एवं नियोक्ता अंशदान को पूर्ण विवरण के साथ प्रतिमाह प्राप्त कर जमा करेंगे। (डाटा कलेक्शन का पत्रकAnnexure-5 पर संलग्न है।)

5. कटौतियों का विवरण NSDL को प्रस्तुत करना - कर्मचारी एवं नियोक्ता के अंशदान की कटौती का विवरण NSDL को भेजने के लिये NSDL की वेबसाइट http://npscra.nsdl.co.in साफ्टवेयर डाउनलोड की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है, जिसका उपयोग करके File Preparation Utility (FPU), File Validation Utility (FVU) को डाउनलोड किया जा सकता है। (कटौती का डाटा अपलोड करने के संबंध में स्वस्पष्ट डेमो वेबसाइट पर उपलब्ध है।)

डाटा अपलोड करने के लिये वेबसाइट www.npscra.co.in पर लॉगिन करना होगा। कर्मचारी कन्ट्रीब्यूशन फाइल (SCF) को अपलोड करने के लिये पंजीकरण के समय डी.डी.ओ. को आवंटित किये गये I Pin की आवश्यकता होगी।

फाइल अपलोड होने के पश्चात फाइल रिफरेंस नंबर वेबसाइट पर उपलब्ध होगा, जिसका उपयोग संबंधित फाइल की अद्यतन स्थिति जानने के लिये किया जा सकेगा। फाईल अपलोड होने के पश्चात् अंशदान जमा करने का फार्म (SCF) वेबसाइट पर तैयार होगा, जिसमें ट्रस्टी बैंक को भुगतान की जाने वाली राशि का विवरण होगा, यह फार्म डी.डी.ओ. के द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना होगा।

कर्मचारी कन्ट्रीब्यूशन फाईल को अपलोड करने के लिये फाईलों की संख्या का कोई बंधन नहीं है। आहरण अधिकारी के द्वारा कितनी भी फाईलों को अपलोड किया जा सकता है। यह ध्यान रखा जाना आवश्यक होगा कि प्रत्येक फाईल अपलोड के साथ उसमें दर्शित राशि का भुगतान ट्रस्टी बैंक को पृथक-पृथक किया जावे। यदि कई फाईलों की राशि एक बार में भुगतान की जायेगी तो कर्मचारियों के खाते में राशि का स्थानांतरण किया जाना संभव नहीं होगा।

6. अंशदान की राशि का स्थानांतरण - फाईल अपलोड होने पर अंशदान को कुल राशि (कर्मचारी एवं नियोक्ता अंशदान) ट्रस्टी बैंक, बैंक ऑफ इण्डिया के माध्यम से फण्ड मैनेजरों को निवेश के लिये प्रेषित की जायेगी।

अंशदान की राशि जमा करने हेतु राज्य शासन द्वारा बैंक ऑफ इण्डिया की भोपाल स्थित अरेरा हिल्स शाखा, में एक विशेष खाता खोला गया है, जिसका खाता क्रमांक 900710110000986 एवं आई.एफ.एस.सी. कोड BKID0009007 है। इस खाते में अंशदान की राशि चेक, ड्राफ्ट अथवा इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से जमा की जा सकती है।

यदि राशि चेक/ड्राफ्ट के माध्यम से भेजी जा रही है तो उपरोक्त बिन्दु 5 अनुसार वेबसाइट पर तैयार अंशदान जमा करने का फार्म (SCF) चेक/ड्राफ्ट के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। यह फार्म आहरण अधिकारी के द्वारा पूर्ण किया जाकर अपने हस्ताक्षर सहित बैंक ऑफ इण्डिया, अरेरा हिल्स शाखा भोपाल को प्रेषित किया जाना होगा।

अंशदान की राशि इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से भी भेजी जा सकती है, इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के प्रकरणों में Annexure-6 के अनुसार दी गई प्रक्रिया का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार बैंक ऑफ इण्डिया को राशि प्राप्त होने के T+2 दिनों में ट्रस्टी बैंक के द्वारा राशि का स्थानांतरण फण्ड मैनेजरों को किये जाने के निर्देश हैं। राशि स्थानांतरित होने पर बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा यह जानकारी एन.एस.डी.एल. को दी जाती है, जिसके पश्चात् एन.एस.डी.एल. की वेबसाइट पर Matched and booked दर्शाया जाता है। यदि राशि स्थानांतरित करने के पश्चात् निर्धारित समयावधि में Matched and booked स्थिति वेबसाइट पर नहीं होती है तो इस संबंध में बैंक ऑफ इण्डिया एवं एन.एस.डी.एल. को जानकारी दिया जाना होगा, ताकि विसंगतियों का कारण ज्ञात किया जा सके एवं उसे दूर किया जा सके।

7. एन.एस.डी.एल. को सेवा शुल्क का भुगतान - जिला/जनपद पंचायत द्वारा स्थायी पेंशन खाता खोलने (रुपये 50/-) खाता संधारण का वार्षिक शुल्क (रुपये 350/-) एवं प्रति अंतरण शुल्क (रुपये 10/-) आदि समस्त प्रकार के प्रभार पंचायत राज संचालनालय द्वारा सीधे एन.एस.डी.एल. को देय होंगे, जिसके लिये एन.एस.डी.एल. द्वारा पंचायत राज संचालनालय को पूर्ण विवरण के साथ प्रति त्रैमास देयक प्रस्तुत करने होंगे। प्रभार राशियों का भुगतान योजना क्रमांक-4610 अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क वसूली के विरुद्ध अनुदान से किया जावेगा।

अंशदायी पेंशन योजना के लिये राज्य स्तर पर संयुक्त संचालक (वित्त) पंचायतराज संचालनालय, नोडल अधिकारी होंगे। अतएव तत्संबंधी की गई समस्त कार्यवाही की प्रतिलिपि पंचायतराज संचालनालय को उपलब्ध करायी जानी होगी।

संलग्न - उपरोक्तानुसार

(विश्वमोहन उपाध्याय)
आयुक्त
पंचायत राज संचालनालय
मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक/पं.रा./बजट-पे.यो./2012/ **भोपाल, दिनांक 2012**

प्रतिलिपि -

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग म.प्र. भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग म.प्र. भोपाल।
4. आयुक्त, संचालनालय पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा, म.प्र. शासन, वित्त विभाग।
5. आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश, भोपाल।
6. संभागायुक्त, समस्त संभाग, मध्यप्रदेश।
7. कलेक्टर, जिला समस्त मध्यप्रदेश।
8. संचालक, महात्मा गांधी प्रशिक्षण संस्थान आधारताल, जबलपुर, म.प्र.।
9. संचालक, संजय गांधी प्रशिक्षण संस्थान पचमढ़ी, जिला होशंगाबाद, म.प्र.।
10. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत समस्त मध्यप्रदेश।

आयुक्त
पंचायत राज संचालनालय
मध्यप्रदेश

माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों की होगी देखभाल

माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के तहत प्रत्येक विकासखण्ड स्तर पर 3-3 अधिकारियों का पैनल तैयार किया गया है जो नियमों में वर्णित प्रावधानों के अनुसार वरिष्ठ नागरिकों की देखरेख और भरण-पोषण का कार्य करेगा। इसके तहत अधिकांश जिलों में सुलह अधिकारियों की नियुक्ति की है। इन अधिकारियों के नाम एवं पते यहां प्रकाशित किये जा रहे हैं। जिससे अधिक से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को जानकारी प्राप्त हो सके।

माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 एवं नियम 2009

प्रपत्र

क्र.	जिले का नाम	अनुविभाग का नाम	अनुविभाग के अंतर्गत गठित सुलह अधिकारियों के पैनल में रखे गये नाम	प्रत्येक अनुविभाग में गठित भरण पोषण अभिकरण के अंतर्गत पंजीकृत प्रकरण			सुलह अधिकारियों के पैनल के प्रकाशन की तिथि (समाचार पत्रों की कतरनों के साथ)	अनुविभाग के अंतर्गत गठित अभिकरण के द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध जिला मजिस्ट्रेट को की गई अपील की अद्यतन स्थिति			जिला स्तरीय बैठकों के आयोजन की संख्या	रिमार्क
				पंजीकृत प्रकरण	निराकृत प्रकरण	लम्बित प्रकरण		पंजीकृत अपील	निराकृत अपील	लम्बित अपील		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	विदिशा	विदिशा	1. श्री दिनेश मिश्रा एडवोकेट 2. श्री विमल तारण एडवोकेट 3. श्रीमती प्रभा जैन एडवोकेट	3	3	-	-	-	-	-	-	
		बासौदा	1. श्री ताराचंद्र भावसार 2. श्री सुभाषचंद्र ताम्रकार 3. श्री मुकेश रघुवंशी	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ग्यारसपुर	1. श्री मुकेश सोनी विधि विशेषज्ञ 2. श्री प्रताप सिंह रघुवंशी सामाजिक कार्यकर्ता	-	-	-	-	-	-	-	-	
		नटेरन	1. श्री लक्ष्मीनारायण अग्रवाल विधि विशेषज्ञ 2. श्री हरगोविंद धाकढ विधि विशेषज्ञ 3. श्री हुकेमचंद भावसार विधि विशेषज्ञ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		कुरवाई	1. श्री नसीर अली एडवोकेट 2. श्री राजेन्द्र कुमार सोनी एडवोकेट 3. श्री कमलकुमार पटल एडवोकेट									
		सिरोंज	1. श्री रमेश गर्ग 2. श्री अशोक रावल 3. श्री उमेश पाली									
		लटेरी	1. श्री कृष्ण मोहन पाराशर 2. श्री शब्बीर खान									
28	6. नर्मदापुरम संभाग जिला बैतूल	मुलताई	1. तहसीलदार मुलताई 2. थाना प्रभारी मुलताई 3. श्री एच.सी. दुबे सेवा निवृत्त प्राचार्य सामाजिक कार्यकर्ता 4. मंदाकिनी बारस्कर सामाजिक कार्यकर्ता 5. संगीता परसाई सामाजिक कार्यकर्ता 6. सुनीता महिला आरक्षक मुलताई	3	2	1						
		आमला	आमला 1. तहसीलदार आमला 2. थाना प्रभारी आमला 3. श्री शिवपाल रामपुरे सामाजिक कार्यकर्ता 4. श्री एस.एन. सूर्यवंशी सामाजिक कार्यकर्ता 5. ललिता परते महिला आरक्षक आमला									
		भैसदेही	1. श्री व्ही. डकोसे/इठोवा कोसें वकील भैसदेही 2. श्री कुवर लाल इवने नि-आदर्श पिपरिया 3. श्रीमती भागवंती/रामनारायण साहू आठनेर		-	-	-	-	-	-	-	-
29	होशंगाबाद											
30	हरदा	हरदा	1. श्री डी.पी. श्रीवास्तव अध्यक्ष पेंशनर्स एसोसियेशन हरदा 2. शासकीय अभिभाषक हरदा 3. अनुवि.अधि. दण्डाधिकारी हरदा 4. अनुवि.अधि. पुलिस हरदा 5. मुख्यकार्यपालन अधि. जनपद पंचायत हरदा 6. विकासखण्ड चिकि. अधि. 7. श्री धर्मेन्द्र पारे प्राध्यापक शास.महा.विद्या. हरदा	10	07	03		0	0	0	04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			8. परि.अधि. एकीकृत बालविकास परियोजना हरदा									
		टिमरनी	1. श्री मदनराव गर्दे 2. श्री अतुल भुस्कुट्टे 3. श्री चंद्रशेखर संसारी 4. श्री कैलासचंद्र तिल्लोर 5. खंड चिकि. अधिकारी टिमरनी पदेन 6. नगर निरीक्षक टिमरनी पदेन	02	01	01		-	-	-		
		खिरकिया	1. पी.एस. चौहान अनु. अधि. राजस्व अध्यक्ष 2. अनुविभागीय अधि. पुलिस 3. मु.का.पा. जन.पंचा. खिरकिया 4. परियोजना अधिकारी महिला बाल विकास 5. खण्ड चिकि. अधि. 6. शासकीय अभिभाषक हरदा 7. श्री डी.पी. श्रीवास्तव पेंशनर्स संघ हरदा 8. प्राचार्य उत्कृष्ट विद्यालय खिरकिया	0	0	0		-	-	-		
31	7 सागर संभाग जिला सागर	खुरई	1. श्री मुहम्मद शफी कुरैशी अधिवक्ता, खुरई 2. कुमारी रागनी श्रीवास्तव, अधिवक्ता खुरई 3. श्री प्रमोद कुमार चौधरी अधिवक्ता मालथोन	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	
		बीना	1. श्री चंद्र शेखर पाठक सेवा निवृत्त न्यायाधीश, बीना 2. श्रीमती प्रेम क्लोडियस सर्वोदय चौक मून होटल बीना 3. श्री आर.एल. श्रीवास्तव गांधी वार्ड बीना 4. श्री सेउमल बजाज गांधी वार्ड बीना	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	
		देवरी	1. श्री वीरेन्द्र गुप्ता (सामाजिक कार्यकर्ता) देवरी 2. श्री कैलाश बड़गैया (सामाजिक कार्यकर्ता) केसली 3. श्री टन्टूलाल पाण्डे (सामाजिक कार्यकर्ता) गौरझामर	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
		राहतगढ़	1. श्री सीताराम पटेल ग्राम	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			बुधवारा राहतगड़ 2. डॉ. उमाशंकर सोनी वार्ड नं. 3 राहतगढ़ 3. श्री खालिद हुसैन वार्ड 15 राहतगढ़ 4. श्री मोतीलाल मनिहार वार्ड 15 राहतगढ़									
		बण्डा	1. श्रीमती गोल्डी ठाकुर जनपद अध्यक्ष पचमढ़ी 2. श्री जीवनलाल मिश्रा अधिवक्ता सिविल लाईन नं. 10 बण्डा 3. श्री एस.के. नामदेव अधिवक्ता वार्ड नं. 7 बण्डा	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	
		रहली	1. श्री राजेन्द्र कुमार जारौलिया अधिवक्ता 2. श्रीमती उषा पत्नि लक्ष्मीप्रसाद पटैल खमरिया 3. डॉ. मनोज जैन रहली									
		सागर	1. श्रीमती मीना ताई पिलपिलापुरे सिविल लाईन सागर 2. श्री प्रकाश चौबे बड़ा बाजार सागर 3. श्री कृष्ण सिंह राजपूत मुकाम महुआखेड़ा सागर	1	1	1	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	
32.	दमोह	हटा	1. डॉ. सी.एल. नेमा	निरंक	निरंक	निरंक	28.08.2012	निरंक	निरंक	निरंक		
		दमोह	1. श्री एल.एल. तिवारी	निरंक	निरंक	निरंक	28.08.2012	निरंक	निरंक	निरंक		
		तेन्दूखेड़ा	1. श्री आर.बी.एल. शर्मा	निरंक	निरंक	निरंक	28.08.2012	निरंक	निरंक	निरंक		
33.	पन्ना											
34.	छतरपुर											
35.	टीकमगड़	टीकमगढ़	1. अनुविभागीय दण्डाधिकारी टीकमगढ़ 2. डॉ. श्री कैलाश बिहारी द्विवेदी 3. श्रीमती शिवकली रुसिया 4. श्री एल.पी. रावत 5. श्री पी.एन. पाण्डे									
		जतारा	1. अनुविभागीय दण्डाधिकारी जतारा 2. श्री जगदीश शरण नायक 3. श्री रमेश पाठक 4. श्री अवैध बिहारी श्रीवास्तव									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			5. श्री लक्ष्मी नारायण चौरसिया									
		निवाड़ी	1. अनुविभागीय दण्डाधिकारी निवाड़ी 2. श्री लक्ष्मीनारायण नायक 3. श्री राजेन्द्र बहादुर खरे 4. श्री दयाराम नामदेव									
		पृथ्वीपुर	1. श्री एम.डी. मिश्रा									
36.	8. जबलपुर संभाग जिला जबलपुर	जबलपुर	1. श्री सुरेन्द्र कुमार जैन 2. श्री सुनील कुमार शर्मा 3. श्री दयाराम विश्वकर्मा	1	0	1						
		कुण्डम	1. श्री शंभू प्रसाद खरे 2. श्री मुस्की लाल बशकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		पाटन	1. श्री नरेन्द्र सिंह 2. श्री राजरतन सिंह 3. श्री तुलसी राठौर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		सिहोर	1. श्री प्रकाश चंद पालीवाल 2. श्री वाषुदेव पांडे	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		कोतवाली	1. श्री संपूर्ण तिवारी 2. डॉ. पूनम सिंह 3. डॉ. अजय सिंह राजपूत	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		गोरखपुर	1. श्री जी.एस. तिवारी 2. श्री एस.डी.एस. राजपूत	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		रांझी	1. श्री मूलचंदानी 2. श्री रामस्वरूप साक्या 3. श्री बंशीलाल भाटिया 4. श्री संतोष घाघरे 5. श्री राजकुमार दुबे	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		गोहलपुर	1. श्री अजीत कुमार तिवारी 2. श्री चिंतामन साहू 3. श्री गुलाम मोहम्मद राईन	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ओमती	1. श्री महेश प्रसाद प्रजापति 2. श्रीमती पुष्पलता पाटिल 3. कमलेश अग्रवाल	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37.	कटनी											
38.	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	1. श्री रसिक लाल परमार 2. श्रीमती संध्या कोठारी 3. श्री सी.वी. नेमा	3	0	3	31.03.2012	-	-	-	1	
		गाडरवारा	1. श्री मिनेन्द्र डागा	2	2	0	28.03.2012	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			2. श्री वीरेन्द्र फौजदार 3. श्री सुरेन्द्र सिंह कौरव 4. श्री लालदेवी सिंह जूदेव 5. आर.बी. सिरोठिया									
		तेन्दूखेड़ा	1. श्री भगवानदास सोनी 2. श्रीमती सुनीता पटेल 3. श्री डेलन सिंह पटेल	-	-	-	5.4.2012	-	-			
		गोटेगांव	1. श्री गोविंद तिवारी 2. श्री मोहनसिंह पटैल 3. श्री कैलाशचंद अग्रवाल				9.4.2012					
39.	छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	1. श्रीमती ब्राउन 2. श्री एस.पी. माहोरे, अधिवक्ता 3. श्री योगेश तिवारी	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		सौंसर	1. श्री रमेश कुमरे, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सौंसर 2. श्री महेन्द्र गुरु, अधिवक्ता सौंसर 3. श्री नरेश डबर, मांगुरली 4. श्री राजेन्द्र भक्ते, देवी									
		अमरवाड़ा	1. श्री पं. बंसत पिता ईश्वर प्रसाद चौबे अमरवाड़ा 2. श्री पुरुषोत्तम पिता कनकलाल शर्मा 3. श्री सुबोध पिता श्री जगदीश प्रसाद श्रीवास्तव									
		जुन्नारदेव	1. श्रीमती माधुरी बत्रा, महिला कार्यकर्ता, जुन्नारदेव 2. श्री आर.डी. भोण्डेकर, वरिष्ठ अधिवक्ता 3. श्री दिलीप श्रीवास्तव वरिष्ठ अधिवक्ता 4. श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार, वरिष्ठ नागरिक									
		परासिया	1. श्री के.पी. पांडे सेवानिवृत विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी 2. डॉ. श्रीमती मधु बत्रा, संचालक बत्रा क्लीनिक 3. श्री राजेन्द्र दुबे, अधिवक्ता, परासिया									
		पांढुर्णा	1. उप खण्ड अधिकारी, राजस्व 2. श्री एस.के. पाटिल, सहायक लोक अभियोजक अधिकारी विधि 3. श्री रमेश पिता नानकराम खेतल, अध्यक्ष चेतना मंच पांढुर्णा									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		चौरई	1. श्रीमती सीमा कुदसिया नुसरत पति ए. रहमान निवासी पांढुर्णा 2. पं. रमेश पिता देवशंकर शुक्ला 3. श्री एचा.एन. शर्मा अधिवक्ता, चौरई									
40.	सिवनी											
41.	मण्डला	मण्डला	1. श्री अयोध्या प्रसाद ज्योतिषि 2. श्री राजेश जैन 3. श्री अशोक बडगैया	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		बिछिया	1. श्री झल्लूलाल तेकाम 2. श्री जोधसिंह राजपूत 3. श्री कामता प्रसाद सोनी									
		नैनपुर	1. श्री रमेश सिरसाम 2. श्री कासिम अली 3. श्री चन्द्रकांत उइके									
42.	बालाघाट	बालाघाट	1. श्री टी.सी. टेम्भरे, प्रेमनगर बालाघाट 2. श्री संजय अग्निहोत्री, अधिवक्ता, भटेरा चौकी बालाघाट									
		कटंगी	1. श्री लोचनलाल ठाकरे, सा. कार्यकर्ता सिरपुर (कटंगी) 2. श्री विशाल कोठारी, जैन संगठन कटंगी 3. श्री रामसिंह ठाकुर, ग्राम चिचगांव									
		वारासिवनी	1. श्री जयनारायण कसार, वारासिवनी 2. श्री हीरालाल चौबे, अधिवक्ता वारासिवनी 3. श्री ए.के. झा, पेंशनर के प्रतिनिधि वारासिवनी									
		बैहर	1. डॉ. रामलाल गौतम, ग्राम रूपझर परसवाड़ा 2. श्री बुद्धनसिंह मर्सकोले, ग्राम पौनी 3. श्री शिवनाथ यादव, कम्पाउन्डर टोला बैहर									
		लांजी	1. श्रीमती उषादेवी पशीने, अध्यक्ष सारदा महिला मंडल लांजी 2. श्री एस.डी. धारने लांजी									
43.	9. रीवा संभाग जिला रीवा	हुजुर रीवा	1. डॉ. सज्जन सिंह	निरंक	निरंक	निरंक						
		2. रायपुर	1. श्री ऋषण देव सिंह									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		कर्चुलियान	2. श्रीमती सुनिता सिंह 3. श्री सुधीर अग्निहोत्र									
		3. मनगवां	1. श्रीमती देवकली त्रिपाठी 2. श्री गया प्रसाद पांडे श्री आर.जी. सिंह									
		4. मउगंज	1. श्री संतोष मिश्रा 2. श्री रामदत्त त्रिपाठी 3. श्री वंशमणि पाण्डेय									
44.	सिंगरौली	 2. 3. 4. 5.										
45.	सीधी											
46.	सतना											
47.	10. शहडोल संभाग जिला उमरिया											
48.	डिण्डौरी											
49.	शहडोल	1. जैसिंह नगर	1. श्री रामभगत चतुर्वेदी 2. श्री राजेश गुप्ता (सेमरा) 3. श्री रोहणी तिवारी (चितराव)	-	-	-	-	–	-	-	-	-
		2. जैतपुर	1. श्री तीरथ प्रसाद गौतम (हथगला) 2. श्री सच्चिदानंद तिवारी (वहगढ) 3. श्री सियाशरण सिंह (खाम्हीडोल)									
		3. व्यौहारी	1. श्री कृष्ण गुप्ता (व्यौहारी) 2. श्री शिव तिवारी (औदारी) 3. श्री रामसखा विश्वकर्मा (पपौध)									
		4. सोहागपुर	1. श्री कमलेश मिश्रा (वरतरा) 2. श्री अजय कुमार गुप्ता (गोहपारू)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			3. श्री सुरेश शर्मा (छतवई)									
50.	अनूपपुर	कोतमा	1. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कोतमा 2. अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) कोतमा 3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कोतमा 4. परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास कोतमा 5. श्री शंकर सिंह चंदेल ग्राम कोतमा 6. श्री अनिल कुमार शर्मा, एडवोकेट ग्राम मझौली जनपद कोतमा									
		पुष्पराजगढ़	1. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अध्यक्ष पुष्पराजगढ़ 2. थाना प्रभारी राजेन्द्र ग्राम पुलिस सदस्य पुष्पराजगढ़ 3. खण्ड चिकित्सा अधिकारी सदस्य पुष्पराजगड़ 4. श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता समाज सेवी 5. श्री मुरारी लाल 6. परियोजना अधिकारी, बाल विकास पुष्पराजगढ़ सदस्य 7. पंचायत एवं समाज सेवा संगठक पुष्पराजगढ़									
		अनूपपुर	1. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अध्यक्ष अनूपपुर 2. अनुविभागीय अधिकारी राजेन्द्र ग्राम पुलिस सदस्य पुष्पराजगढ़ 3. मुख्यकार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत अनूपपुर 4. परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास पुष्पराजगढ़ सदस्य 5. श्री सी.के. पटेल अधिवक्ता अनूपपुर सदस्य 6. श्री शिवभूषण त्रिपाठी सेवा निवृत्त सदस्य 7. पंचायत एवं समाज सेवा संगठक पुष्पराजगढ़ (सदस्य सचिव)									

मसाला उत्पादन से होगी आय में वृद्धि

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में विभिन्न विभागों के जरिये कई हितग्राहीमूलक योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं का लाभ विभिन्न वर्ग के लोग ले रहे हैं। इस कॉलम के अंतर्गत हम आम जनता के हित के लिये चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी प्रकाशित करते हैं। इस अंक में हम किसानों के लिये मसाला क्षेत्र विस्तार योजना की जानकारी दे रहे हैं।

मसाला क्षेत्र विस्तार

योजना का उद्देश्यः-

1. गुणवत्तायुक्त अधिक उपज देने वाली किस्मों के मसाला बीज किसान द्वारा उपयोग करने हेतु तथा मसाला फसलों का क्षेत्र विस्तार एवं उत्पादन में वृद्धि करना।
2. कृषकों के परम्परागत कम आय वाली खाद्यान्न फसलों के स्थान पर अधिक आय देने वाली मसाला फसलों की खेती की ओर प्रोत्साहित करना।
3. मसाला उत्पादन कर मसाला उत्पादकों की आय में वृद्धि करना।
4. उत्पादन बढ़ाकर मसाला उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर मसाला उपलब्ध कराना।

योजना का कार्यक्षेत्र एवं विस्तार:- प्रदेश के सम्पूर्ण जिले।

योजना का स्वरूपः-

1. योजना के तहत कृषक को अधिकतम 2 हैक्टेयर तक लाभ देने का प्रावधान है, जिसकी न्यूनतम सीमा 0.25 हैक्टेयर है। कृषक को अधिकतम 2 हैक्टेयर की सीमा तक खरीफ, रबी एवं जायद में अनुदान का लाभ दिया जा सकेगा।
2. योजनान्तर्गत निर्धारित सीमा में उन्नत मसाला बीज की अनुदान राशि पात्रता अनुसार देय होगी।
3. कृषक को नवीन भूमि/खाद्यान्न फसलों के स्थान पर मसाला की फसल लेने पर ही अनुदान की पात्रता होगी।
4. किस-किस जिले के लिये कौन-कौन सी मसाला फसलें promote की जावेंगी, यह निर्णय संचालनालय स्तर पर गठित समिति तय करेगी। समिति का निर्णय शासन को भेजकर शासन की सहमति प्राप्त की जावेगी।

अनुदान की पात्रताः-

1. सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को उन्नत/संकर मसाला उत्पादन पर आदान सामग्री का 50 प्रतिशत अधिकतम 12,500 रुपये प्रति हैक्टेयर जो भी कम होगा अनुदान देय होगा।
2. कन्द वाली व्यावसायिक फसल हल्दी, अदरक, लहसुन फसल उत्पादन हेतु अधिकतम 25,000/- रुपये अनुदान देय होगा।
3. मसाला फसलों के लिये लगने वाली आदान सामग्री के लागत व्यय का निर्धारण संचालनालय स्तर पर गठित समिति करेंगी, जिसमें सदस्य के रूप में कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर/ग्वालियर उद्यानिकी विभाग के वैज्ञानिक, नाबार्ड के प्रतिनिधि एवं राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के सदस्य होंगे।

प्रदर्शन एवं मिनीकिट कार्यक्रम

योजना का उद्देश्यः-

1. यह राज्य योजना है। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश में उद्यानिकी फसलों के उत्तम गुणवत्ता वाले बीजों का प्रदर्शन एवं उन्नत जातियों के रोपण को बढ़ावा देकर क्षेत्र विस्तार करना, उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाना है।

2. प्रान्त की जलवायु एवं मृदा के अनुकूल फल, सब्जी, मसाला, पुष्प एवं औषधीय प्रजातियों के प्रसार की संभावनाओं का पता लगाना एवं उन क्षेत्रों में उत्पादकों को प्रेरित कर क्षेत्र बढ़ाना है।
3. उद्यानिकी फसलों के क्षेत्र में वृद्धि कर उत्पादन बढ़ाकर कृषकों की आय में वृद्धि करना।

योजना का कार्यक्षेत्र एवं विस्तार:-

1. प्रदेश के सम्पूर्ण जिले।
2. इस योजना के क्रियान्वयन में लघु सीमान्त, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों को तथा कृषि/उद्यानिकी से जुड़े अल्पसंख्यक समुदाय के कृषकों एवं महिला हितग्राही कृषकों का प्राथमिकता दी जावेगी।

योजना का स्वरूप:-

1. आगामी तीन वर्षों का जिलेवार प्रदर्शन/मिनीकिट कार्यक्रम का निर्धारण संचालनालय स्तर पर गठित समिति की अनुशंसा पर शासन स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर किया जावेगा, समिति के सदस्य के रूप में कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर/ग्वालियर, उद्यानिकी विभाग के वैज्ञानिक, संचालनालय स्तर से मनोनीत दो उन्नतशील कृषक एवं विभाग के दो वरिष्ठ अधिकारी जिन्हें संचालक द्वारा मनोनीत किया जायेगा, होंगे।
2. योजना के तहत कृषक के खेतों पर400 वर्ग मीटर या गठित समिति द्वारा निर्धारित फसल विशेष के लिये क्षेत्रफल में मिनीकिट अथवा प्रदर्शन का आयोजन किया जावेगा।
3. योजनान्तर्गत निर्धारित सीमा में प्रदर्शन/मिनीकिट में लगने वाली आदान सामग्री (बीज एवं बीजोपचार दवा) विभाग द्वारा निःशुल्क प्रदाय की जावेगी।
4. इच्छुक निजी कम्पनियों द्वारा निःशुल्क बीज/बीजोपचार दवा उपलब्ध कराये जाने पर प्रदर्शन/मिनीकिट जिले में आयोजित किये जायेंगे।

अनुदान की पात्रता:-

1. हितग्राही के पास सुनिश्चित सिंचाई का साधन होना आवश्यक है।
2. हितग्राही को प्रावधान अनुसार बीज, बीजोपचार दवा एवं साहित्य अनुदान के रूप में दिया जावेगा।
3. शेष आदान की व्यवस्था हितग्राही को स्वयं करनी होगी।
4. हितग्राही को स्वयं अपनी भूमि पर उद्यानिकी की फसल उगाना आवश्यक होगा।

हितग्राही चयन की प्रक्रिया:-

1. हितग्राही की सूची, खरीफ, रबी एवं जायद हेतु अलग-अलग मुख्य फसलों की प्रजातिवार सहायक संचालक उद्यान स्तर पर तैयार की जावेगी।
2. जिलों को दिये गये बजट प्रावधान के विभिन्न लेखा शीर्षों में प्रावधानित राशि के आधार पर हितग्राही का चयन किया जावेगा।
3. तैयार की गई हितग्राही कृषकों की यह सूची सम्बन्धित ग्राम सभा में माह अप्रैल में अनुमोदित कराई जावेगी। यह सूची लक्ष्य से 20 प्रतिशत अधिक होगी।
4. इस अनुमोदित सूची में किसी भी अन्य स्तर से कोई परिर्वतन नहीं होगा। अनुमोदित प्रतीक्षा सूची से आवश्यकता होने पर कृषकों को कार्यक्रम में शामिल करने का अधिकार प्रतीक्षा सूची के क्रमानुसार सहायक संचालक उद्यान को होगा। इसका अनुमोदन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत से प्राप्त कर सूची सूचनार्थ जिला पंचायत के समक्ष रखेंगे।

व्यावसायिक उद्यानिकी फसलों की संरक्षित खेती की प्रोत्साहन योजना

उद्देश्य:-

1. कृषकों को आर्थिक सहायता प्रदान कर संरक्षित खेती (ग्रीन हाउस/शेड नेट/प्लास्टिक टनल इत्यादि) को प्रोत्साहित करना।
2. नियंत्रित वातावरण में वर्ष भर ताजी सब्जियों एवं पुष्प की खेती कर इनके उत्पादन में वृद्धि करना।
3. सब्जियों एवं पुष्पों की गुणवत्ता में सुधार लाना।
4. कम क्षेत्रफल में अधिक उत्पाद लेना।
5. उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि।
6. युवा पीढ़ी में आधुनिक खेती के प्रति रुझान बढ़ाना।
7. कृषि को लाभकारी स्वरूप प्रदान करना।
8. प्राकृतिक प्रकोप से फसल की सुरक्षा को सुनिश्चित करना।

कार्यक्षेत्र:-

प्रदेश के सभी जिले।

योजना का प्रारंभ:-

इस योजना का प्रारंभ वित्तीय वर्ष 2011-12 से किया जावेगा।

योजना का स्वरूप:-

राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन द्वारा निर्धारित अनुदान के मापदण्ड एवं बागवानी में प्लास्टिकल्चर उपयोग संबंधी राष्ट्रीय समिति (एन.सी.पी.ए.एच) के द्वारा निर्धारित ड्राइंग डिजाइन के अनुसार ग्रीन हाउस, शेडनेट हाउस एवं प्लास्टिक टनल इत्यादि का निर्माण किया जावेगा। राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन द्वारा जब-जब अनुदान में परिवर्तन किया जावेगा, दरें तदनुसार स्वयमेव परिवर्तित हो जावेंगी। किन्हीं कारणों से यदि भारत सरकार द्वारा अनुमोदन नहीं होता है तो, प्रशासकीय विभाग दरों के सम्बन्ध में संशोधन हेतु अधिकृत रहेगा।

सम्पर्क:- जिले के सहायक संचालक उद्यान विभाग।

(स्रोत : आगे आयें लाभ उठायें - नवम्बर 11)

पंचायत की कार्यवाहियों का निरीक्षण

पंचायत राज संस्थाओं के पदाधिकारियों द्वारा जा रहे कार्यों और उनको सौंपे गये दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा से हो इसलिए मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 में पंचायत की कार्यवाहियों के निरीक्षण करने का प्रावधान है। अधिनियम के तहत वर्ष में एक बार कभी भी निरीक्षण करने का प्रावधान है। पंचायतों में किसी प्रकार की गड़बड़ी की सम्भावना होने पर भी निरीक्षण किया जा सकता है।

त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था के अन्तर्गत निर्वाचित संस्थाओं के पदधारियों द्वारा किए जा रहे कार्य एवं उनको सौंपे गये दायित्वों का निर्वहन उनके द्वारा किस प्रकार किया जा रहा है, इस उद्देश्य से प्रदेश में मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक एक सन् 1994) की धारा 84 की उपधारा (1) (2) एवं इसके संगत मध्यप्रदेश पंचायत (कार्यवाहियों का निरीक्षण) नियम, 1995 बनाये गये हैं। इसके अंतर्गत पंचायत की कार्यवाहियों का निरीक्षण करने के लिये निम्न अधिकारियों को अधिकार प्रदत्त किए गए हैं -

(क) ग्राम पंचायत के मामले में पंचायत तथा समाज शिक्षा संगठक, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंचायत समन्वय अधिकारी, जिसकी अधिकारिता में पंचायत आती है।

(ख) ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत के मामले में आयुक्त या संचालक, पंचायत या मुख्यकार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत और कलेक्टर जिसकी अधिकारिता में ग्राम पंचायत आती है या कलेक्टर के अधीनस्थ कोई अधिकारी जो इस निमित्त उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए या कोई अन्य अधीनस्थ अधिकारी, जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाए।

(ग) जिला पंचायत के मामले में आयुक्त या संचालक, पंचायतराज या उनके अधीनस्थ कोई अधिकारी जिसे आयुक्त पंचायतराज द्वारा अधिकृत किया जाए।

पंचायतों का वार्षिक निरीक्षण यथास्थिति, अनुविभागीय अधिकारी, कलेक्टर, आयुक्त या संचालक, पंचायतराज या उनके अधीनस्थ अधिकारी द्वारा जो राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिये प्राधिकृत किया जाए तैयार किए गए निरीक्षण रोस्टर के अनुसार वर्ष में एक बार निरीक्षण किया जाने का प्रावधान है।

पंचायतों का आकस्मिक निरीक्षण भी किया जाता है यदि उपरोक्त अधिकारियों की जानकारी में कोई ऐसी बात आती है, जिससे किसी प्रकार की गड़बड़ी की संभावना है या अन्यथा निरीक्षण की आवश्यकता महसूस होने पर भी निरीक्षण किया जा सकता है।

पंचायत द्वारा पारित किसी आदेश या प्रस्ताव या अपनायी गयी प्रक्रिया या किये गये किसी कार्य या की गई कार्यवाही की वैधता तथा औचित्य के संबंध में अपना समाधान करने के प्रयोजन के लिये प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जायेगा।

निरीक्षण के दौरान निरीक्षणकर्ता अधिकारी यदि आवश्यक समझे तो -

(क) गवाह बुला सकेगा;

(ब) साक्ष्य अभिलिखित कर सकेगा;

(ग) अभिलेख की प्रतियां ले सकेगा;

(घ) अभिलेख जब्त कर सकेगा; या

(ङ) दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए बाध्य कर सकेगा:

परन्तु निरीक्षणकर्ता अधिकारी के लिये यह आवश्यक होगा

कि वह उसके द्वारा परीक्षित किसी साक्ष्य के सार का नोट बनाए। यदि निरीक्षणकर्ता अधिकारी द्वारा कोई अभिलेख जब्त किया जाता है तो वह उसकी रसीद दे, जिसमें जब्त किये गए अभिलेख के ब्यौरे का विवरण का उल्लेख किया जाए तथा उसे आवश्यकता से अधिक समय तक अपनी अभिरक्षा में वह नहीं रख सकेगा।

निरीक्षणकर्ता अधिकारी, निरीक्षण पूर्ण हो जाने के पश्चात् यथाशक्य, शीघ्र एक निरीक्षण रिपोर्ट तैयार करेगा। निरीक्षण रिपोर्ट यह बताएगी कि -

(क) पंचायत द्वारा किए गए किसी कार्य या की गई किसी कार्यवाही की अवैधता या अनौचित्य;

(ख) शक्तियों का दुरुपयोग;

(ग) किसी बात को करने का लोप;

(घ) लेखे तथा अभिलेखों को रखने में अनियमितता;

(ङ) विहित प्रक्रिया का अनुसरण न करना;

(च) अधिनियम द्वारा या अधिनियम के अधीन अधिरोपित कर्तव्यों के निर्वहन में लगातार व्यक्तिक्रम;

(छ) अधिनियम के अधीन किसी प्राधिकारी द्वारा दिए गए किसी विधिसम्मत आदेश या निर्देश का पालन न करना।

(3) निरीक्षण रिपोर्ट, निरीक्षण का निर्देश देने वाले अधिकारी या प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी।

इस प्रकार पंचायतराज संस्थाओं द्वारा की जा रही कार्यवाहियों व कार्यकलापों के संबंध में राज्य सरकार समय-समय पर जानकारी प्राप्त कर सकेगी।

❑ जी.पी. अग्रवाल

"नोनी" प्रकृति की अनोखी देन

नोनी (मोरिन्डा-सिट्रीफोलिया ले.) जो आज से दो हजार वर्ष पूर्व पालीनेशियन्स द्वारा औषधीय उपयोग हेतु पहचाना गया था। इसका स्वास्थ्यवर्धक पौधों में अपना एक प्रमुख स्थान है। यह रूबिएसी कुल का पौधा है इसका उद्भव भारत में हुआ और अब एशिया, आस्ट्रेलिया, द. अमेरिका व अफ्रीका महाद्वीपों में फैल गया है। इस प्रजाति का शब्द दो लेटिन शब्दों से निकाला गया है मोरस (मलबरी) और इंडिकस (इंडियन) सिट्रीफोलिया जाति नाम इसकी पत्ती की सिट्रस पत्ती से समानता के कारण रखा गया है। 'इंडियन मलबेरी' (भारतीय शहतूत) इस भोज्य पेड़ का अंग्रेजी नाम है। नोनी एक सदाबहार पेड़ है जो नौ मीटर तक बढ़ता है पूरे वर्ष फल व फूल देता है। पौधे के सभी हिस्से (भाग) विभिन्न बीमारियों के इलाज में काम आते हैं पर फल सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसकी रोगनिवारण क्षमता बहुत अधिक है जैसे कि एंटी बैक्टिरियल, एंटी वायरल, एंटी हैलमिंथिक, एंटी फंगल, एंटी - इन्फ्लेमेट्री, और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले प्रभाव, चर्म रोग, हृदय रोग, मधुमेह आदि।

यूरोपियन संगठन में नोनी रस को हाल ही में एक नये खाद्य पदार्थ के रूप में स्वीकार किया गया है। नोनी के कच्चे व पके फलों का रस प्रयोग किया जाता है। इसकी जड़ें लाल रंग बनाने के काम आती हैं। जबकि पत्तियाँ, छाल व फल के अवशेष मुँह पर लगाने वाली क्रीम, साबुन आदि बनाने में प्रयुक्त होते हैं। वर्तमान समय में नोनी के प्रति रुचि बहुत बढ़ी है। सन् 1976 से यू.एस. पेटेन्ट ट्रेडमार्क आफिस में 19 पेटेन्ट पहले ही पंजीकृत हो चुके हैं। नोनी के बारे में विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययन भारत में वर्ल्ड नोनी रिसर्च फाउन्डेशन, चेन्नई द्वारा संभव हो सका है जो कि कृषि, पशु चिकित्सा, एवं मानव चिकित्सा की विभिन्न अनुसंधान परियोजनाओं में आर्थिक मदद करते हैं।

नोनी फल में कई फाइटो कैमिकल्स होते हैं जिनमें से एक सौ साठ पदार्थ पहले ही पहचाने जा चुके हैं। इसमें कार्बनिक एसिड्स, कई एन्थरोक्यूनॉंस जैसे (डैमनाकैन्थाल), फिनॉलिक पदार्थ एल्कलायड्स आदि भी होते हैं। इस फल में केलशियम, पोटैशियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम की बहुत अधिक मात्रा होती है। इसमें 20 में से 17 एमीनो एसिड पाये जाते हैं। इस तरह से यह फल बहुत ही उपयोगी है। अभी तक यह उद्यानिकी विभाग द्वारा अधिसूचित नहीं था पर अब इसे कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा फलों की सूची में शामिल कर लिया है।

❑ जितेन्द्र कुमार शर्मा

बीजोपचार एवं अंकुरण परीक्षण कर बोनी करें

बुवाई से पहले बीजोपचार किया जाये तो यह काफी फायदेमंद होता है। यदि घर का बीज बो रहे हैं तो बण्डे-बखारी से निकालने के बाद बीज को अच्छी तरह सुखाकर इसकी छनाई-सफाई कर लें ताकि कटे-टूटे एवं असामान्य दाने अलग हो जायें फिर इन्हें फफूंदनाशक दवाओं से उपचारित कर बुवाई करें। इस तरह बीज का उपचार कर लेने से फसल कई घातक बीजजनित बीमारियों से मुक्त रहेगी।

पंचो ! खरीफ और रबी मौसम का यह सन्धिकाल का समय है। खरीफ की फसलों की कटाई-गहाई एवं रबी फसलों की बोनी, दोनों कार्य एक साथ एक समय होने के कारण, खेती का यह समय दोनों मौसमों के सन्धिकाल के नाम से जाना जाता है। रबी फसलों में अलसी, मसूर की बोनी लगभग एक माह पहले से प्रारंभ है। सरसों, चना एवं गेहूँ की बोनी का समय भी चल रहा है।

यदि घर का बीज बो रहे हैं तो बण्डे-बखारी से निकालने के बाद, बीज को अच्छी तरह धूप में सुखा लें। सच कहा जाय तो, यह बीज है ही नहीं, इसे बीज का नाम देना उचित नहीं है, यह शुद्ध अनाज है, कुछ क्रियायें अपना कर, आप इसे बीज के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहला काम इसे अच्छी तरह धूप दिखाने के बाद, इसकी छनाई-सफाई कर लें, ताकि कटे-टूटे एवं असामान्य दाने अलग हो जायें। स्वास्थ्य, सुडौल, एकसार दाने बीज के रूप में रखें। बोने के पूर्व बीजों को फफूँदनाशक दवा कर्बेन्डाजिम (बाविस्टीन) 2 (दो) ग्राम प्रति किलो बीज को मात्रा के हिसाब से अवश्य उपचारित करें। सीमित मात्रा में क्विंटल-दो क्विंटल बीज उपचारित करने के लिये पुराने घड़े का प्रयोग करें, एक सामान्य आकार के घड़े में लगभग दस किलो गेहूँ का बीज आता है घड़े में बीज डालकर लगभग 20 ग्राम (खाली माचिस की चार डिबिया भरकर) बाविस्टीन फफूँदनाशक दवा घड़े में डालें और घड़े के मुँह पर कपड़ा बांध कर अच्छी तरह हिलायें, ताकि बीज में दवा भली-भांति मिल जाये। इस तरह बीज का उपचार कर लेने पर आपकी फसल कई घातक बीज जनित बीमारियों से मुक्त रहेगी। इसके अतिरिक्त बीजों के अंकुरण पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। खेतों में उचित पौध संख्या होने पर आपको भरपूर पैदावार मिलेगी। फफूंदनाशक दवा से उपचार के बाद जीवाणु खाद कल्चर से बीज का उपचार करें, इसके लिये खाद्यान्न एवं तिलहन फसलों में अजैटोबैक्टर एवं स्फुर घोलक (पी.एस.बी.) के दो-दो पैकेट प्रति एकड़ बीज की मात्रा के हिसाब से बीज में हाथों से अच्छी तरह से मिलाकर बोनी करें।

बेहतर होगा कि बीज की छनाई-सफाई के बाद एवं उपचार के पूर्व बीजों का अंकुरण परीक्षण कर लिया जाये, इससे आप प्रति इकाई क्षेत्र में बीज दर की मात्रा का निर्धारण स्वयं कर सकेंगे, अंकुरण परीक्षण के लिये दोहरे अखबार के पन्नों को पानी में डुबा कर किसी समतल स्थान पर रखें एवं साफ किये गये बीज से बिना छांटे सौ दाने गिनकर अखबार के टुकड़े पर फैलायें, और अखबार को मोड़ कर रख दें, प्रतिदिन हल्का पानी सींचते रहें, पॉलिथीन की थैली में बीज की पुड़िया रखने पर नमी जल्दी खत्म नहीं होगी और अंकुरण भी जल्दी आयेगा, अखबार के पन्नों के अलावा अंकुरण परीक्षण के लिये आप प्लास्टिक की ट्रे का प्रयोग भी कर सकते हैं। लगभग 4-5 दिनों में अंकुरित होने के बाद, अंकुरित दाने गिन कर प्रतिशत निकाल लें, गेहूं एवं चने के बीजों का अंकुरण का निर्धारित

मापदण्ड 85 प्रतिशत है, मामूली अंतर आने पर उसी अनुसार बीज की मात्रा बढ़ा दें।

कृषि विस्तार की भाषा में उपरोक्त कृषि क्रियाओं को कम लागत या लागतहीन तकनीक के नाम से जाना जाता है, इन्हें अपनाने पर कोई विशेष खर्च नहीं करना पड़ता, लेकिन फसलोत्पादन में आश्चर्यजनक वृद्धि होती है। वैसे थोड़े से क्षेत्र के लिये अपनी सामर्थ्य अनुसार प्रमाणित या आधार बीज बोकर अगले वर्ष के लिये बीज तैयार करना सबसे अच्छा होगा। सभी जानते हैं कि बीज ही खेती की जान है। अतः इस विषय में जागरूकता का परिचय दें।

टिकाऊ खेती के लिये कल्चर का प्रयोग करें

पंचो ! कल्चर अंग्रेजी भाषा का शब्द है, जिसके कई अर्थ होते हैं, उन में से एक है-'जामन'। यह वही जामन है, जो हमारे घरों में दूध से दही बनाने या जमाने के काम आता है। एक छोटी सी कटोरी भर जामन लीटर दो लीटर दूध को कुछ ही घंटों में दही के रूप में जमा देने की क्षमता रखता है। क्या आप बता सकते हैं कि अगर यही छोटी सी कटोरी भर जामन दस-बारह लीटर की बाल्टी भर दूध में डाल दिया जाय तो दही जमेगा या नहीं? अवश्य जमेगा, समय घण्टों की बजाय दिनों का लग सकता है। कल्पना कीजिये यही छोटी कटोरी भर जामन यदि दूध से भरे दो सौ लीटर के ड्रम में डाल दिया जाये, तो क्या होगा? दही जमेगा या नहीं? अवश्य जमेगा, लेकिन समय कुछ अधिक लगेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि एक छोटी सी कटोरी भर जामन दूध के विशाल भण्डार को भी दही के रूप में जमा देने की क्षमता रखता है। वास्तव में जामन में मौजूद जीवाणु (बैक्टीरिया) संख्या में द्विगुणित होकर दूध के पूरे माध्यम को अपने रूप में बदल देते हैं। इसी तरह कल्चर में मौजूद जीवाणु पूरे खेत की मिट्टी को जीवाणु मय बना देते हैं। मिट्टी में जीवाणुओं की संख्या जितनी ज्यादा होगी वो उतनी ही उपजाऊ मिट्टी कहलायेगी। आपकी फसलों के कल्चर के पैकेटों में भी पौधे की बढ़वार के लिये आवश्यक जीवाणु एजेटोबैक्टर, राइजोबियम, एजोस्पाइरिलम इत्यादि पाये जाते हैं। इन जीवाणुओं के नाम के ऊपर ही कल्चरों के नाम रखे गये हैं। इन नन्हें जीवाणु जिन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, की विशेषता यह है कि वायुमण्डल में मौजूद नाइट्रोजन पोषक तत्व को अवशोषित कर पौधों को उपलब्ध कराते है। आवश्यकता से अधिक संचित नाइट्रोजन फसलों के जीवनकाल के बाद भी भूमि में संचित रहता है और अगली फसल के काम आता है। महंगी यूरिया के माध्यम से आप यही नाइट्रोजन पोषक तत्व अपनी फसल को देते हैं, एक बात और गौर करने की है कि रसायनिक उर्वरकों के पोषक तत्व पूरी की पूरी मात्रा में पौधों को सुलभ नहीं हो पाते। इनका काफी कुछ हिस्सा विभिन्न प्राकृतिक कारणों से बेकार चला जाता है, जबकि जीवाणु खाद कल्चर से अवशोषित नाइट्रोजन प्राकृतिक रूप से पूरी की पूरी फसलों के काम आती हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि कल्चर के प्रयोग से खेतों के उपजाऊपन में वृद्धि होती है।

पिछले कई वर्षों से आप स्फुरधारी उर्वरकों डी.ए.पी. या सुपर फॉस्फेट उर्वरक का प्रयोग अपनी फसलों में कर रहे हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि प्रयोग किये गये इन उर्वरकों की आधे से ज्यादा मात्रा, मिट्टी के कणों के बीच विभिन्न रासायनिक क्रियाओं के कारण 'फिक्स' हो जाती है, जिसे रसायन की भाषा में 'फास्फेट फिक्सेशन' कहा जाता है। फास्फोरस या स्फुर पोषक तत्व की यह मात्रा पौधों की जड़ों की पहुंच की सीमा से बाहर हो जाती है, इस अघुलनशील स्फुर को घोल कर पौधों की जड़ों को सुलभ कराने का काम 'स्फुर घोलक' जीवाणु खाद, जिसे हम पी.एस.बी. (फॉस्फेट साल्युबल बैक्टीरिया) कहते हैं - करता है, यह सभी फसलों के लिये उपयोगी रहता है।

अनाज, गन्ना, कपास एवं सब्जी वाली फसलों के लिये एजेटोबैक्टर/एजोस्पाइरिलम एवं पी.एस.बी. उपयोगी होता है। दलहनी फसलों में, फसल विशेष का राइजोबियम एवं पी.एस.बी. प्रयोग करें। प्रयोग विधि बीजोपचार के रूप में ज्यादा प्रचलित है, लेकिन भूमि उपचार से आप के खेत की मिट्टी को ज्यादा लाभ मिलेगा। भूमि उपचार के लिये खेत की तैयारी करते समय 2 (दो) किलो नाइट्रोजन स्थिर करने वाले कल्चर जैसे- एजेटोबैक्टर एवं 3 किलो स्फुर घोलक पी.एस.बी. गोबर की अच्छी पकी हुई भुरभुरी खाद के साथ मिलाकर, पूरे खेत में समान रूप से मिट्टी में मिलायें। भूमि उपचार के समय मिट्टी में नमी होना चाहिए। कुछ सावधानियाँ रखना आवश्यक है, कल्चर के पैकेटों को तेज धूप से बचायें। गेहूँ, चना, इत्यादि ज्यादा बीज दर वाली फसलों में नाइट्रोजन स्थिर करने वाले एवं पी.एस.बी. दोनों कल्चरों के दो-दो पैकेट प्रति एकड़ बीज के हिसाब से प्रयोग करें। इसके प्रयोग से पन्द्रह से बीस प्रतिशत उत्पादन में वृद्धि होगी। पंचो ! कल्चर का असर फसलों में रासायनिक उर्वरकों की तरह नजर नहीं आता, लेकिन यह एक जैविक खाद है, इसके प्रयोग से उत्पादन में निश्चित रूप से वृद्धि होती है। इसमें किसी भी प्रकार की शंका न करें। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके प्रयोग से मिट्टी की उर्वरा शक्ति में बढ़ोत्तरी होती है, और लंबे समय तक टिकाऊ या स्थिर उत्पादन प्राप्त करने का यह एक सशक्त माध्यम है।

❑ भानुप्रताप सिंह

ग्रामसभाओं के चरणबद्ध आयोजन की प्रशंसा

ग्रामसभाओं के सशक्तीकरण के लिए अधिकाधिक गाँव वालों का जुड़ाव जरूरी है और इसी से इसके आयोजन तिथि के बारे में बड़वानी जिले के मोयदा से लक्ष्मीचन्द जैन का पत्र हम छाप रहे हैं जिसमें चरणबद्ध आयोजनों के निर्णय की सराहना की गई है। शाजापुर जिले के सारंगपुर कस्बे से विक्रमसिंह ने हमें जो पत्र लिखा है उसमें अतिवृष्टि की स्थिति में भी जल संरक्षण व सम्वर्धन नीति की बात है। आपके पास भी यदि ऐसा कोई सुझाव हो तो हमें पत्र लिखें।

चरणबद्ध आयोजन अच्छी नीति है

सम्पादक जी! पहले जब ग्राम पंचायतों को एक सुनिश्चित तिथि पर ग्रामसभा के आयोजन को कहा जाता था तब ग्रामसभा का आयोजन आसान नहीं होता था। ऐसी स्थिति में जैसे स्वतंत्रता दिवस या गांधी जयंती पर जब पंचायतों में इस पर्व पर केन्द्रित कार्यक्रम भी होते हैं अतः उस दिन ग्रामसभा का आयोजन एक औपचारिकता बन जाता है। अब चरणबद्ध ग्रामसभाओं के आयोजन से तय तिथि से आठ या दस दिन में ग्रामसभा सम्पन्न हो जाती है।

लक्ष्मीचन्द जैन, मोयदा
(जिला बड़वानी)

बाढ़ और बरसात के पानी में फर्क है

सम्पादक जी! पता नहीं सरकारी स्तर पर इस मानसून सत्र में जल संरक्षण और जल सम्वर्धन के लिये जल रोको संरचनाएं बनाई गई हैं अथवा नहीं मगर इस बार कृपा वंत मानसून के कारण अतिवृष्टि की स्थिति बनी। यहाँ गांव वालों के पिछले अनुभवों के आधार पर मानसून के सामान्य प्रवाह का तो इन संरचनाओं पर प्रभाव नहीं होता है मगर बाढ़ से इन संरचनाओं को नुकसान तय है अतः इस का ध्यान रखें।

विक्रम सिंह
सारंगपुर (जिला शाजापुर)

बहुउपयोगी टैंकर की सौगात खूब भाई

सम्पादक जी! पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री गोपाल भार्गव ने पिछले दिनों सागर में आयोजित समारोह में सत्तर ग्राम पंचायतों को जो बहुउपयोगी वाटर टैंकर दिये हैं वो सौगात गाँव वालों को खूब भाई है। असल में ये टैंकर गाँव में पीने के पानी की समस्या का हल तो करेंगे ही समय आने पर इन टैंकर में लगी मोटर से ये ग्रामीण क्षेत्रों में आग बुझाने में भी काम आयेंगे।

ओमप्रकाश गुप्ता
महाराजवाड़ा, उज्जैन (म.प्र.)

चिट्ठी चर्चा

बाढ़ पीड़ितों ने पाया बढ़ा हुआ मुआवजा

पिछले दिनो प्रदेश में अधिकांश इलाकों में अतिवृष्टि का प्रकोप देखा गया और गाँव-खेड़े जो बड़ी नदियों अथवा पहाड़ी नदियों के किनारे बसे थे वहाँ अतिवृष्टि से ज्यादा नकसान पहुँचा और बाँधों का बैकवॉटर जिन स्थानों पर बढ़ा वहाँ भी गाँवों में खासकर जो डूब क्षेत्र में लगे हुए वहाँ भी बाड़ के पानी से भारी नुकसान हुआ। होशंगाबाद से यशवंत दाहिया ने संजय सागर बांध के बैक वॉटर से प्रभावित गांवों का दौरा करने के बाद हमें चिट्ठी में इस बात पर प्रसन्नता जाहिर की है कि राज्य शासन ने पिछले दिनों प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ितों के लिये मुआवजे की राशि में जो बढ़ोत्तरी की थी उसका लाभ भी अब गाँव वालों को मिलने लगा है। भिण्ड जिले के रौन से मानवेन्द्र सिंह तोमर ने भी बढ़ी हुई मुआवजा दरों की सराहना की है और अपनी चिट्ठी में मैदानी कर्मचारियों की सक्रियता की भी प्रशंसा की है जिन्होंने मुआवजा प्रकरण बनाने में रुचि दिखाई।

कुक्षी (जिला धार) से सुभागसिंह पटेल ने अपनी चिट्ठी में सरकार के इस निर्णय की प्रशंसा की है जिसमें आपदा से पीड़ितों के लिये सरकारी सहायता राशि जिला कलेक्टर द्वारा दस दिनों में सभी पीड़ितों तक पहुँचाने का आदेश दिया गया है। खरगोन जिले की नान्द्रा पंचायत के एक पूर्व पंच कालूराम तेनगुरिया ने अपनी चिट्ठी में सोयाबीन की फसलों को बचाने संबंधी एक आलेख पंचायिका में 'खेती किसानी' स्तम्भ में छापने का आग्रह किया है। तेनगुरिया जी ने यद्यपि यह भी लिखा है कि वैसे तो इस स्तम्भ में ऐसे फसलों के बचाव के संकेत दिये जाते हैं मगर ज्यादा खुलासा किया जाए तो वो ज्यादा लाभकारी होता है।

एक चिट्ठी हमें ग्वालियर से फोर्ट एरिया की श्रीमती सुषमा त्रिपाठी ने लिखी है। सुषमा जी को मुख्यमंत्री तीर्थाटन योजना खूब भाई और उन्होंने इस योजना से पति-पत्नी दोनों के लाभान्वित होने के प्रावधान की भी प्रशंसा की मगर उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि इस योजना में तीर्थाटन पर जाने वाले व्यक्ति के साथ उसकी पत्नी के समान ही दीगर वरिष्ठ महिला सदस्य को भेजे जाने का प्रावधान भी किया जाए। इसी प्रकार गुना से बलभद्रप्रसाद तिवारी का कहना है कि तीर्थाटन की ऐसी ही प्रांतीय सीमा के बीच छोटी-छोटी यात्राएं भी प्रायोजित करें ताकि वरिष्ठजन चित्रकूट, मैहर, उज्जैन, ओंकारेश्वर और नलखेड़ा या दतिया जा सकें।

❑ शुभम दुबे

बात पते की -

तीरथ-दर्शन

तीरथ दर्शन का हुआ, सूबे में आगाज़।
रामेश्वरम् दर्शन गए, घर के बूढ़े आज।।
पुण्य कार्य है यह, एक अभिनव प्रयास है-
जिसके संरक्षक हुए मुख्यमंत्री शिवराज।।

विनोद शर्मा, भोपाल

माह का पत्र

तीर्थदर्शन में हो आनुपातिक आरक्षण

सम्पादक जी! इन पंक्तियों के लिखे जाने तक मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना के अंतर्गत गत दिनों भोपाल और नर्मदापुरम संभाग के वरिष्ठ धर्मावलम्बी रामेश्वरम् की तीर्थयात्रा पर गए। यह एक अच्छी योजना है मगर सरकार को इस योजना में संबंधित संभाग की ग्रामीण आबादी को प्रतिनिधित्व देने के लिए आनुपातिक आरक्षण देना चाहिये ताकि उनके साथ भेदभाव न हो।

श्रीमती निशा शुक्ला
गांव राजोदा, जिला देवास

कृपया बताएं

प्रिय सरपंच जी, जैसा कि आप जानते ही हैं 'कृपया बताएं' कॉलम में हम आपको हर माह किसी एक योजना का नाम सुझाते हैं। आप उस योजना के बारे में पंचायतों द्वारा क्या किया गया है तथा क्या और किया जा सकता है उस बारे में स्वतंत्र टिप्पणी लिख सकेंगे। उस टिप्पणी के नीचे अपना नाम, पदनाम, ग्राम पंचायत का नाम, जनपद पंचायत का नाम, जिला पंचायत का नाम तथा भेजने की तारीख अवश्य लिखें। इस स्तम्भ में हमें पाठकों से बड़ी संख्या में प्रविष्टियाँ मिलने की उम्मीद रहती है। पंचायत राज संस्थायें अधिकांश सरकारी योजनाओं के संचालन में नोडल एजेंसी का कार्य करती हैं। इस दृष्टि से किसी भी सरकारी योजना के क्रियान्वयन में सबसे प्रभावी टिप्पणी पंचायत राज संस्था की होती है। उम्मीद है इस विषय में हमारे पाठक एवं पंचायत प्रतिनिधि आगे बढ़कर सहयोग देंगे।

अगस्त 2012 के लिए इस बार विषय है -

आपके ग्राम पंचायत में अनिवार्य ग्राम सभा में किन-2 विषयों पर चर्चा हुई।

माह की कविता

मर्यादा अभियान

गाँव-गाँव में जनप्रतिनिधि अब
अलख जगायेंगे।
मर्यादा अभियान को सब मिल
सफल बनायेंगे ।।1।।

निर्मल भारत के सपने को
पूरा करना है -
गाँव गाँव को स्वच्छ और
सुन्दर भी बनायेंगे ।।2।।

स्वच्छ गाँव हो स्वच्छ प्रदेश हो
प्रदूषण का ना हो नामोनिशान
घर-घर में पक्के शौचालय
संकल्पित हो बनवायेंगे ।।3।।

तीन चरण ने हरेक गांव में
हासिल होंगे लक्ष्य सभी
मल से मुख तक संक्रमण का
नामोनिशां मिटायेंगे ।।4।।

घर-आंगनवाड़ी-शाला में
शौचालय अब खूब बनेंगे -
गांवों में भी सामुदायिक
स्वच्छता परिसर बनायेंगे ।।5।।

मनोज दुबे

हमारा पता
सम्पादक
'मध्यप्रदेश पंचायिका'
मध्यप्रदेश माध्यम
40, प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल,
भोपाल - 462011
फोन : 2764742, 2551330
फैक्स : 0755-4228409
कृपया वार्षिक ग्राहक बनने के लिए अपने दो सौ रुपये के ड्राफ्ट/मनीआर्डर मध्यप्रदेश माध्यम, भोपाल के नाम से भेजें।

मुद्रण : मध्यप्रदेश माध्यम, भोपाल